खण्ड-126, अंक-4
शुक्रवार, 6 भाद्रपद, शक संवत् 1875
(28 अगस्त, 1953 ई0)

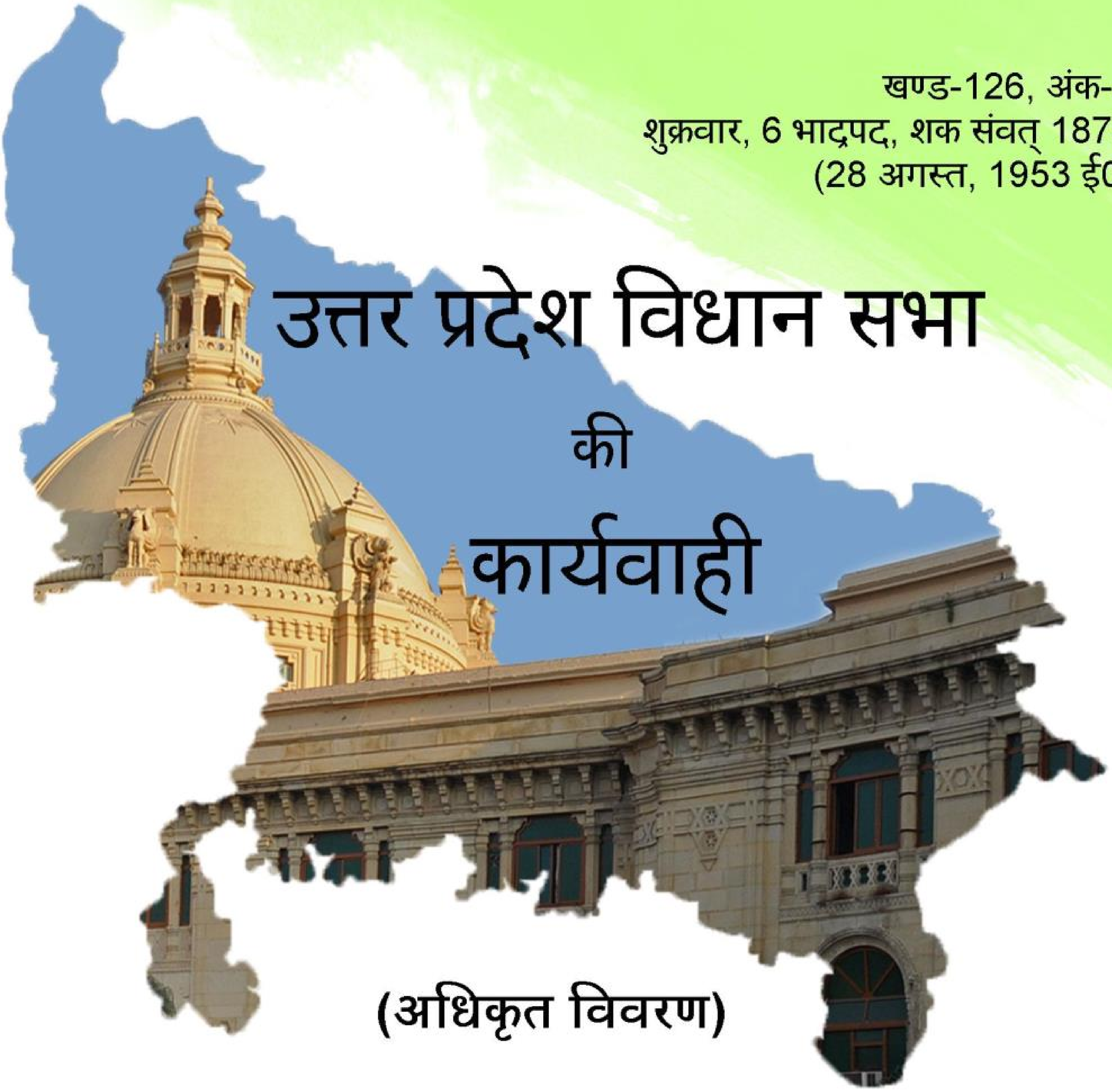

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 126 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
आगरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३, की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन	३०६–३०८
सायंकाल ५ बजे के उपरान्त सरकारी कार्य लेने पर आपत्ति ...	३०८–३१४
प्राक्कलन समिति का पद-काल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	३१४
प्रजा सोशलिस्ट दल द्वारा सभा-त्याग	३१५
उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ (पारित)	३१५–३१९
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	३१९–३२०
आजमगढ़ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य मन्त्री आदि को दिये गये स्मृति-पत्रों की जांच के सम्बन्ध में श्री राम सुन्दर पाण्डेय द्वारा ७ अगस्त, १९५३, को पूंछे गये प्रश्नों के विषय पर विवाद (श्री राम सुन्दर पाण्डेय की अनुपस्थिति के कारण नहीं हुआ)	३२०
सदन की अगली बैठक के सम्बन्ध में पूछताछ	३२१
नत्थियाँ	३२२–३३१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:o:—

शुक्रवार, २८ अगस्त, १९५३

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३८३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर मिश्र, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बक्स दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री

पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीपाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री

राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीनसिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवबक्षसिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा श्री,
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने का आदेश

*१—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार से कोई ऐसा आदेश आया है कि स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाय?

शिक्षा मन्त्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां ।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस कार्य के लिए कितने लोग नियुक्त किये गये हैं और यह स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक माना जायगा ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिए यू० पी० सरकार ने पहली जुलाई, सन् १९५३ ई०, को सात आदमियों की एक कमेटी बना दी है और वह इतिहास १८५७ से लिखा जायगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सात आदमी कौन-कौन से हैं जिनको कि यह काम सुपुर्द किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) आचार्य नरेन्द्रदेव, वाइस चांसलर, बनारस युनिवर्सिटी—चेयरमैन

(२) श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार—सदस्य

(३) आचार्य बीरबल सिंह, एम० पी०, प्रिंसिपल, काशी विद्यापीठ, बनारस ,,

(४) प्रो० राम शरण, एम० पी० ,,

(५) प्रो० मोहम्मद हबीब, अलीगढ़ युनिवर्सिटी, अलीगढ़ ,,

(६) डा० बनारसी प्रसाद सक्सेना, इलाहाबाद युनिवर्सिटी ,,

(७) प्रो० मुकुट बिहारी लाल, एम० एल० सी०, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी—सेक्रेटरी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस कमेटी को कितना स्टाफ दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—इस काम के संचालन के लिए एक स्टेनोग्राफर, एक पार्टटाइम असिस्टेंट और एक चपरासी दिया गया है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि इस योजना पर कितना खर्चा पड़ेगा ?

डाक्टर सीताराम—अभी मैं बतला चुका हूं कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी पहली जुलाई, १९५३, को बनायी गयी है इसलिए अभी खर्च के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस कमेटी के सदस्य ही इस इतिहास को लिखेंगे या दूसरों के जरिये से उस इतिहास को लिखा जायगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह कमेटी ही उसका निर्णय करेगी कि किस प्रकार इतिहास लिखा जाय।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो हमारे प्रान्त के राजनीतिक दल हैं और जिन्होंने उसमें भाग लिया है उनका भी नाम इतिहास में रहेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी यह बताना बड़ा मुश्किल है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि यह इतिहास कब लिखकर समाप्त हो जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—करीब २ साल समझे जाते हैं, लेकिन अभी से इसका उत्तर दे देना कि कितने दिनों में इतिहास तैयार हो जायगा, बड़ा मुश्किल है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी के सामने जो काम दिया गया है उसके लिए कोई लाइनें खींची गयी हैं कि इस दायरे के अन्दर उस कमेटी को काम करना है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या सरकार इस कमेटी की टर्म्स आफ रेफरेंस हाउस को बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—इतिहास को ठीक से लिखने के लिए इसका समय इन भागों में बांटा गया है:

सन् १८५७ से १८८४ तक, १८८५ से १९१७ तक, १९१८ से १९२१ तक, १९२२ से १९२८ तक, १९२९ से १९३७ तक, १९३८ से १९४२ तक और फिर १९४७ तक और फिर १९५२ तक।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—यह इतिहास कौन-कौन सी भाषाओं में लिखा जायगा?

श्री हरगोविन्द सिंह—समझना तो यही चाहिए कि वह हिन्दी भाषा में लिखा जायगा।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यही हालात लिखे जावेंगे जो अभी बताये हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—इतिहास का तो यह प्रमुख अंग होता ही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—इस कमेटी का हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा या बनारस में होगा?

डाक्टर सीताराम—बनारस में होगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—केन्द्रीय सरकार से जो आदेश आया है उसके अनुसार क्या यह सही है कि श्री सुरेन्द्र मोहन घोष को पूरा इतिहास लिखने का इन्चार्ज बनाया गया है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, लेकिन यह सेक्रेटरी इस संस्था के हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या इस कमेटी के काम करने के तरीके में यह भी बात है कि यदि उसे किसी चीज को खरीद कर प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो उन्हें खरीद कर प्राप्त कर ले?

श्री हरगोविन्द सिंह—सच तो यह है कि जिस चीज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—इस कमेटी के सभी लोग क्या इतिहास के विशेषज्ञ हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—यह इतिहास क्या केवल उत्तर-प्रदेश के लोगों का होगा?

डाक्टर सीताराम—यह समस्त भारत के लोगों का होगा।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वालों की सूची इस कमेटी या सरकार के पास है?

डाक्टर सीताराम—उसी के लिए तो यह कमेटी बनायी गयी है।

इलाहाबाद शहर तथा जिले में भीषण प्रभंजन तथा अत्यधिक वर्षा से हानि

*२—श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले सप्ताह में भीषण cyclone और वर्षा से इलाहाबाद जिले और शहर में कितनी हानि हुई?

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—पिछले सप्ताह भीषण । भंजन तथा अत्यधिक वर्षा से इलाहाबाद शहर तथा सोरांव तहसील के शहर से निकटवर्ती भाग में काफी हानि पहुंची। शहर और देहात दोनों जगह बहुत से मकान गिर गये । पेड़, तार तथा बिजली के खंभे टूट गये । मकान गिरने से शहर में ३ आदमियों की मृत्यु हुई । देहात में कुछ पशु बह गये । खड़ी फसल की भी हानि हुई । हानि की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता ।

*३—**श्री शिवनाथ काटजू**—क्या सरकार बतायेगी कि इस हानि से पीड़ित जनता की सहायता के लिए सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—इस विपत्ति में लोगों की सहायता के हेतु सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की—

(१) जिलाधीश को २५,००० रुपये लोगों की सहायता के लिए दिया गया ।

(२) जिले की पुलिस, मैजिस्ट्रेट, तथा म्युनिसिपैलिटी आदि ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सहायता की, जिन लोगों का घर गिर गया है, उन्हें धर्मशालाओं, म्युनिसिपल स्कूलों में ठहराया गया ।

(३) शहर से पानी निकालने के लिए सेना तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के पम्पों का प्रयोग किया गया ।

(४) निराश्रित लोगों को यथासम्भव भोजन भी दिया जा रहा है ।

(५) सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग द्वारा मनुष्यों की चिकित्सा तथा रोग निवारण का प्रबन्ध किया गया है ।

(६) देहात में एस० डी० ओ० जरूरतमन्द लोगों की सहायता के लिए धन दे सकते हैं ।

(७) बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में मालगुजारी तथा अन्य सरकारी पावनों की वसूली स्थगित है । पशुओं के लिए चारे आदि का प्रबन्ध भी जहां आवश्यक होगा किया जायगा ।

(८) इसके अतिरिक्त बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में नाव द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने आदि की व्यवस्था भी की गयी ।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार को विदित है कि इलाहाबाद जिले के सुरांव तहसील में फूलपुर, चायल, मंझनपुर, सिराथू और कर्छना वगैरा तहसीलों में भी बहुत नुकसान हुआ है ?

श्री चरण सिंह—जो जवाब में कहा गया है कि सुरांव तहसील में नुकसान हुआ है तो उसका मतलब यही है कि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, यह मतलब नहीं है कि और जगह नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान तो सारे जिले में हुआ है ।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार को विदित है कि केवल फूलपुर तहसील में प्रकृति के विपरीत वन महोत्सव के फलस्वरूप लगभग एक हजार पेड़ गिर गये हैं और बहुत से मकान गिर गये हैं?

श्री चरण सिंह—जितना नुकसान हुआ है, उसकी तफसील तो मालूम नहीं है, यह पहले ही अर्ज किया जा चुका है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि तहसील चायल, सेंसुल और खदेड़ी में भीषण वर्षा के कारण संकट उत्पन्न हुआ है और सैकड़ों वर्ग मील जमीन पानी से डूबी हुई है?

श्री चरण सिंह—मुझे यह तो मालूम है कि सारे जिले में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन कहां-कहां और कितना-कितना नुकसान हुआ है, यह नहीं मालूम है, जैसा कि पहले अर्ज किया जा चुका है कि विस्तार से मालूम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा दूसरे अधिकारी जो लोग संकट में फंस गये थे, उनके बचाव में लगे हुए थे और इतना समय नहीं मिला कि वह तफसीलें भेजें और न गवर्नमेंट कुछ कर ही सकती है। वह इसकी तफसील भेजेंगे कि कुल कितना नुकसान हो गया है। तमाम तफसील भेजने से कुछ फायदा भी नहीं होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सरकार किसी कलक्टर या नान आफिशियल आदमी द्वारा नुकसान की जांच करायेंगी ?

श्री चरण सिंह—वह तो स्टैन्डिंग रूल्स हैं और उनके मुताबिक जब कोई दैवी आपत्ति आती है; ख्वाह वह आग हो, ओला हो, सूखा हो, अति वृष्टि हो या साइक्लोन हो रेंवेन्यू अधिकारी उसके बाद मौके पर जाते ही हैं। लेकिन उनके जाने में देर लगेगी और न जल्दी जाने की जरूरत ही है, क्योंकि जब मालगुजारी वसूल होगी, उससे पहले एस्टीमेट आजाना चाहिए क्योंकि मालगुजारी में छूट देने का ही सवाल होता है।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार आवश्यकता पड़ने पर इस २५ हजार रुपये की रकम को और बढ़ा सकती है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, निस्सन्देह जितना जिलाधिकारी समझेंगे हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट भी आशा करती है कि माननीय शिवनाथ जी काटजू और श्री बहुगुना जी नान आफिशियल सोर्सेज से सहायता इकट्ठा करने की कृपा करेंगे।

श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बाढ़ रोकने के लिए जो एक बांध बांधा गया था, वह बह गया है उसके लिए सरकार ने क्या किया है ?

श्री चरण सिंह—मुझे माफ करेंगे, अध्यक्ष महोदय, यदि मैं यह कहूं कि मैं अच्छी तरह से सवाल को समझा नहीं। जितना समझा हूं, वह यह है कि अगर पुल बह गया है और बाद में महसूस किया जाता है कि उसके बनाये जाने की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट उसको बनाने की कोशिश करेगी और जितना श्रम वगैरा लगेगा उसमें गवर्नमेंट आशा करेगी कि वहां की जनता सरकार के कर्मचारियों की इम्दाद करे। अगर यह साबित हुआ कि उसके बनाये जाने की जरूरत नहीं है, उसका बह जाना ही अच्छा है तो नहीं बनाया जायगा।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार को विदित है कि पानी और साइक्लोन के कारण जब जिले के अन्दर एपिडेमिक की बड़ी सम्भावना है और सरकार उसके रोकने के लिए क्या कर रही है ?

श्री चरण सिंह—उसको रोकने के सम्बन्ध में पहले ही स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री (जिला गोंडा)—क्या गवर्नमेंट जिन लोगों के मकानात गिर गये हैं, उनको टिन और सीमेंट की चादरें मुफ्त सप्लाई करेगी ?

श्री चरण सिंह—सरकार अभी ऐसी इस स्थिति में नहीं है कि इसके जवाब में पूरी तरह से "हां" कह सके।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबनी करके बतलायेंगे कि जिन लोगों के मकानात गिर गये हैं और उन पर हाउस टक्स और वाटर टैक्स बाकी है, उसको माफ करने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटर को कोई हुक्म देंगे ?

श्री चरण सिंह—इस सिलसिले में भी मैं कोई वादा नहीं कर सकता लेकिन अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई डेफिनिट सजेशन देंगे तो उस पर विचार जरूर किया जायगा।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद के पड़ोस में रहने वाले प्रतापगढ़ में भी बाढ़ आयी है ?

(हंसी। कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

तारांकित प्रश्न

जिलों में पी० ए० सी० के जवानों की नियुक्तियां

*१—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय पूर्वी यू० पी० के किन किन जिलों में कितने कितने पी० ए० सी० के जवान नियुक्त किये गये हैं, और क्यों ?

*२—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसमें सरकार का कितना ज्यादा खर्च पड़ रहा है ?

*३—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ये पी० ए० सी० की टुकड़ियां कब तक के लिए इन जिलों में भेजी गयी हैं ?

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इन प्रश्नों का उत्तर देना जनहित में उचित नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके अनुसार इन पी० ए० सी० की टुकड़ियों का खर्च जिन क्षेत्रों में वे रखी गयी हैं वहां के निवासियों से वसूल किया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। इस वक्त तो कोई ऐसी योजना सरकार के सामने नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि पी० ए० सी० की टुकड़ियां कब इन जिलों में भेजी गईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस बात का बताना जनहित में उतना ही अनुचित है जितना कि मूल प्रश्न का उत्तर देना है।

गोकुल नगर पन्नी जी शुगर मिल्स, किछा, जिला नैनीताल की सहसा बंदी

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि गोकुलनगर पन्नी जी शुगर मिल्स किछा जिला नैनीताल के मिल मालिक ने मिल सहसा बन्द कर दी है ? अगर हां, तो क्यों और सरकार इस मिल को खुलवाने के हेतु क्या कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हां, मिल मालिकों का कहना है कि गत दो वर्षों में उन्हें अधिक मात्रा में हानि उठानी पड़ी है अतः वह मिल चलाने में असमर्थ हैं। सरकार आगामी ऋतु के लिये मिल चलवाने में प्रयत्नशील है।

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[इस प्रश्न का उत्तर १३ अगस्त, १९५३, की कार्यवाही के पृष्ठ २१९ पर तारांकित प्रश्न ९ के अन्तर्गत छपा है।]

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पन्नी जी शुगर मिल्स किछा, जिला नैनीताल, ने अपने मिल के १,००० मजदूरों को निकाल दिया है? अगर हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हां, उक्त मिल ने ११०० श्रमिकों में से ४५ स्थायी श्रमिकों को छोड़ कर शेष सभी श्रमिकों को यह कह कर निकाल दिया है कि मिल वाले अब मिल चलाना नहीं चाहते।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि काशीपुर की शुगर मिल के मालिक ने अब गोकुलनगर पन्नी की शुगर मिल को लेने के लिये सरकार को वादा किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी तो सूचना मुझे अभी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेग्यूलेशन ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार से इस मिल में अपना कंट्रोलर नियुक्त करने के लिये सिफारिश कर चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनसे लिखा-पढ़ी हो रही है। इतना मैं और कह दूं कि एक संबंध में और लिखा-पढ़ी हो रही है कि मिल वालों ने इस बात की इजाजत चाही थी कि वहां से उठा कर बुलन्दशहर मिल को ले जाने की अनुमति दी जाय। इसका भी प्रादेशिक सरकार ने विरोध किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले सीजन की मात्रा को देखते हुये इस मिल के कब तक खुलवाने का फैसला सरकार कर लेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी फैसला हो जाय उतना अच्छा है। मिल वालों से कहा गया था कि मिल चलाने के संबंध में अगर वे कोई सुझाव दे सकें तो उन पर विचार किया जायगा। उन्होंने कुछ सुझाव भेजे भी हैं। अभी उन पर पूरे तौर पर विचार नहीं हुआ है लेकिन जहां तक देखे गये हैं उनसे मालूम होता है कि वे संतोषजनक नहीं हैं। इस वक्त में इतना ही कह सकता हूं कि हम प्रयत्नशील हैं कि आगामी सीजन में चल जाय तो अच्छा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है कि नये मिल मालिक या प्रोप्राइटर अथवा कन्ट्रोलर, जो भी मिल के चलने पर रखे जायंगे, वे पहले इन्हीं एक हजार मजदूरों को जगह देंगे जिनको पुरानी शुगर मिल ने निकाल दिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसके बारे में पूरी तरह से आश्वासन तो नहीं दे सकता लेकिन लेबर डिपार्टमेंट का प्रयत्न हमेशा यही रहता है कि जो मजदूर पहले काम कर रहे होते हैं, पहले उन्हीं को जगह दी जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को यह विश्वास है कि अगले सीजन में यह मिल बंद नहीं रहेगी और वहां का गन्ना खड़ा नहीं रह जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हम यह आशा करते हैं कि गन्ना तो किसी हालत में भी खड़ा नहीं रह जायगा, अगर वह मिल नहीं चलेगी तो दूसरी जगह को ट्रांसफर कर दिया जायगा। इस प्रकार गन्ने के लिये तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मिल चलेगी या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। केवल आशा ही की जा सकती है।

श्री शिव कुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या सरकार मौजूदा परिस्थितियों में किसी पूंजीपति को मिल चलाने के लिये बाध्य कर सकती है और ऐसी स्थिति में मजदूरों को निकालने से रोक सकती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर कोई शख्स रोजगार नहीं करना चाहता है और साधू-संन्यासी हो जाना चाहता है तो सरकार उसको मजबूर नहीं कर सकती कि वह रोजगार चलाये। लेकिन अगर वह रोजगार चलाना चाहता है तो उसके लिये कानून है, उसके लिये कुछ पाबंदियां हैं। जैसे अगर सरकार का उसके ऊपर २५ हजार रुपया बाकी है और अगर वह उस रुपये को नहीं देना चाहता है, या गन्ने का दाम बाकी है अथवा मजदूरों का कुछ रुपया बाकी है यानी अगर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी है तो उससे वह बच नहीं सकता, ऐसी हालत में हम उसको रोक सकते हैं। मिल वाले कहते हैं कि हमें रोजगार तो करना है लेकिन दूसरी जगह करेंगे। ऐसा करने के लिये कुछ रुकावटें हैं। इसके बारे में उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इसी प्रकार मजदूरों को निकालने के भी कायदे बने हुये हैं, उन कानूनों के अन्दर ही उनको निकाला जा सकता है, उसके बारे में कुछ स्टैंडिंग आर्डर्स भी हैं। लेकिन इन कायदे और कानूनों को छोड़कर अगर किसी मजदूर को और किसी तरह से निकाला जाता है तो वे नहीं निकाल सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि पन्नी जी शुगर मिल से १ हजार मजदूरों को ऐसे समय में निकाला गया जब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अन्तर्गत प्रोसीडिंग्स पंडिंग थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, शायद यह बात सही है।

जिलाधीश, अलीगढ़ की मोटर-घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु

*७—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या यह सही है कि जिलाधीश, अलीगढ़, मि० मित्तल-के मोटर-घटना से एक व्यक्ति मर गया था जबकि वे स्वयं मोटर चला रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*८—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस मृतक व्यक्ति के परिवार को कुछ मुआविजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और कहां से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। श्री मित्तल ने मृतक के भाई को १५० रु० दिये।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति ऐक्सीडेन्ट में मारा गया वह किस गांव और किस थाने का था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस घटना की जांच किसने की और जांच करने के बाद मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी जांच थाना हरदुवआगंज पुलिस स्टेशन के इन्चार्ज श्री बालकिशोर ने की थी और चूंकि जांच करने के बाद मालूम हुआ कि किसी का कोई खास कसूर नहीं था, इसलिये मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं पैदा हो सकी।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि जिस कार को मिस्टर मित्तल चला रहे थे उसका रजिस्ट्रेशन मोटर वहिकिल्स ऐक्ट के अनुसार नहीं हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कलेक्टर साहब की मोटर के नीचे दब कर जो आदमी मरा, वह उनकी मोटर के दाहिने था या बायें था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो गवाही मिली है उससे मालूम हुआ है कि वह पहले मोटर के दाहिने था और जब मोटर पास आयी तो वह कूद करके बायों तरफ चला गया और यों दब गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस दुर्घटना के संबंध में जो मुआविजा उसके आश्रितों को दिया है उसको बढ़वाने के लिये वह कोई आदेश कलेक्टर को देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस आदमी की न तो कोई पत्नी थी न लड़का-बच्चा ही था। दरियाफ्त करने पर उसका कोई आश्रित नहीं पाया गया, इसलिये उसके तीजे या दूसरे क्रिया कर्म के लिये उसके घर वालों को १५० रु० दे दिया गया।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह बात सही है कि जब दुर्घटना हुई तो अलीगढ़ के जिला मैजिस्ट्रेट खुद ही उस मोटर को चला रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कार जो कि श्री मित्तल चला रहे थे एगेन्स्ट थर्ड पार्टी इनश्योर्ड थी या कम्प्रिहेंसिव एनश्योर्ड थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतनी बारीकी की बात तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन इनश्योर्ड थी, इतना तो मुझे मालूम है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब मोटर एक्सिडेंट हुआ तो उस आदमी की तत्कालिक मृत्यु हुई या अस्पताल में वह आदमी मरा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरी सूचना है, उसकी तत्कालिक मृत्यु हुई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—तो क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कलक्टर साहब ने उस मृत्यु की सूचना कब, कैसे और किस जगह पर सबसे पहले की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मुझे मालूम है कि उन्होंने फौरन उसकी सूचना थाने पर की और उसकी लाश भी उठा कर ले गये।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे की मृत्यु के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ ? यदि हुआ वो कौन-कौन सी चोटें सिद्ध हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पोस्टमार्टम हुआ लेकिन कौन-कौन सी चोटें सिद्ध हुईं, यह मैं नहीं बता सकता हूं।

पुलिस कान्स्टेबुलों तथा पी० ए० सी० के सिपाहियों का वेतन तथा भत्ता

*९—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि वह पुलिस कांस्टेबुलों तथा पी० ए० सी० के सिपाहियों को क्या वेतन तथा भत्ता देती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस तथा पी०ए०सी० के कांस्टेबुलों के वेतन का स्केल रु० ३०—१—४५ है और महंगाई २० रुपया प्रति मास दी जाती है । भत्ते की अलग-अलग दरें हैं और हर कांस्टेबुल को एक-सा भत्ता नहीं मिलता । सब को लगभग १० रु० प्रतिमास तक भत्ता मिल जाता है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि पी० ए० सी०के कांस्टेबिल्स को अपने वेतन में से एक खास रकम भोजन के लिये दे देनी पड़ती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मेरा ख़याल है कि देनी पड़ती है ।

श्री गेंदा सिंह—तो वह कितनी रकम महीने में देनी पड़ती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न तो इस बात का था कि उनको क्या मिलता है । उनको क्या देना पड़ता है प्रश्न यह नहीं किया गया था । इसलिये बगैर सूचना मैं जवाब नहीं दे सकता ।

श्री गेंदा सिंह—जिन कांस्टेबिलों को सरकारी ड्यूटी पर अदालतों में अपने हेडक्वार्टर्स छोड़कर जाना पड़ता है उनको दैनिक भत्ता क्या दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिनको जाना पड़ता है उनको जो ट्रेवेलिंग एलाउन्स के नियम होंगे उसके हिसाब से मिलता होगा । यह भत्ता जो नियमित रूप से भत्ता है उसके अन्दर तो है नहीं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब ये कांस्टेबिल पी०ए०सी० वाले गांवों में जाते हैं तो वहां पर सरकार की ओर से इनके खाने का इंतजाम रहता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सब जगह एक साथ तो जाते नहीं हैं । लेकिन जहां खास काम के लिये जाते हैं तो टेम्पोरेरी तरीके से उनका इंतजाम किया जाता है ।

श्री गेंदा सिंह—जब किसी विशेष कार्य से कांस्टेबिल अपना हेडक्वार्टर छोड़ते हैं तो वैसी हालत में उनके खाने-पीने का क्या इंतजाम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने पहले ही कहा कि जो नियमों के अनुसार एलाउन्स मिलना चाहिये वह मिलता है और वे अपने खाने-पीने का इंतजाम खुद करते हैं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब साधारण कांस्टेबिल बाहर जाते हैं और जब पी०ए०सी० के कांस्टेबिल बाहर जाते हैं तो उनके दोनों के भत्तों में कोई अन्तर होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन सब बातों के जो रूल्स हैं माननीय सदस्य उनको देख लें और अगर उनके पास न हों तो जब मुझसे रूल्स मांगें तो मैं दे सकता हूं ।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि इन कांस्टेबिलों को सिर्फ ६ आना दैनिक भत्ता दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहुत संभव है कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बहुत गलत नहीं न हो ।

प्रतापगढ़ जिले में हायर सेकेण्डरी स्कूलों को आर्थिक सहायता

*१०—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में कितने हायर सेकेंडरी स्कूलों को शिक्षा विभाग से कितनी वार्षिक सहायता मिलती है ?

डाक्टर सीताराम—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२२ पर।)

*११—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ जिलों के किस किस स्कूलों को जमींदारी उन्मूलन के कारण क्षति पहुंचने पर राजकीय शिक्षा विभाग से कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—राजकीय शिक्षा विभाग से इस कारण किसी भी संस्था को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है।

श्री रणंजय सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि ६ मार्च, सन् १९५३ को जमींदारी उन्मूलन के कारण हुई क्षति की पूर्ति करके ऐसे स्कूलों आदि की रक्षा करने का जो उन्होंने बचन दिया था उस पर विचार किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। डिपार्टमेंट की ओर से २१ जनवरी, सन् १९५३ को सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, अलावा टेहरी गढ़वाल और अल्मोड़े के सब जिलों के जिलाधीशों को, यह सूचना दी गई है कि ऐसे वक्फ्स और ट्रस्ट्स जो स्कूलों से ऐटेच्ड हैं उनकी नामावली तैयार करें और जब उनकी नामावली तैयार कर लेंगे तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि किसको क्या ऐनुअल ग्रान्ट देनी चाहिये।

श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार इस बात का अनुभव करती है कि जमींदारी उन्मूलन से जो क्षति पहुंची है उससे शिक्षा संस्थाओं को चलाने में बड़ी कठिनाई पड़ रही है ?

डाक्टर सीताराम—जरूर पड़ रही होगी।

श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार कृपा करके कोई अंतरिम सहायता का प्रबंध करेगी ?

श्री चरण सिंह—जिन शिक्षालयों के हक में रजिस्टर्ड डीड्स हैं उनके लिये तो इन्टीरम एन्विटी दिये जाने के आदेश जारी हो चुके हैं और जिनके हक में कोई रजिस्टर्ड डीड्स नहीं हैं उनको अदालत में अपना हक साबित करना होगा। इस तरह से मैं यह समझता हूं कि जिनके हक में सबूत हैं कि वह जमीन के द्वारा कोई आय हासिल करते थे उनको किसी किस्म की कोई हानि जमींदारी उन्मूलन से नहीं होगी बल्कि वह परेशानी से बच जायेंगे और वह आय उनको मिलती रहेगी।

श्री रणंजय सिंह—क्या रजिस्टर्ड डीड्स के निर्णय के अतिरिक्त यदि कोई सहायता सिद्ध होगी कि जमीन से उनको मिलती थी और वह मालिक रूप से उनको सहायता मिलती चली आ रही हो तो क्या सरकार उसके लिये विचार करेगी ?

श्री चरण सिंह—यदि वह अदालत में यह साबित करेंगे कि वह जायदाद वक्फ है तो वह अदालत या कम्पन्सेशन आफिसर उनको अन्विटी देगा और जहां पर खेवट में नाम है उसमें कोई साबित करने की जरूरत नहीं होगी।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—जिन शिक्षा संस्थाओं को ताल्लुकदार चलाया करते थे क्या अब उनको चलाने की व्यवस्था सरकार अपनी ओर से करेगी ?

श्री चरण सिंह—अगर उनकी जायदाद का कोई वक्फ नहीं था तो गवर्नमेंट की कोई जिम्मदारी नहीं है कि उस आमदनी को जो वह देते थे उस स्कूल या कालेज के चलाने के लिये, अपने पास से देती रहे। अब वैसे तो एजूकेशन डिपार्टमेंट का फर्ज है कि वह शिक्षा का प्रसार करे और वह भी जितना संभव होगा उतना ही करेगा। लेकिन जमीदार अपनी आमदनी जितनी देते थे उतनी हमेशा गवर्नमेंट अन्विटी के तौर पर देती रहे तो इस प्रकार की कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जो अन्विटी दी जाती है उसमें से कुछ कमीशन वसूली का काटा जाता है ?

श्री चरण सिंह—वह जो प्रतिकर जमीदारों को दिया जाता है उसक कागजात तैयार करने में ग्रास एसेट का ५० फीसदी मैनेजमेंट कास्ट काटी जाती है। सब नेट एसेट निकाले जाते हैं। चाहे वह वक्फ जायदाद हो सभी के लिये नियम एक-सा है।

श्री राम नरेश शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि प्रतापगढ़ में २५ स्कूलों में से केवल २ स्कूल जमीदारों द्वारा चलाये जाते थे ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

विलीन रामपुर राज्य के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*१२—श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय शिक्षा विभाग ने विलीन रामपुर राज्य के शिक्षा विभाग को किस दिनांक से अपन अधिकार में लिया तथा उस दिनांक को रामपुर के शिक्षा विभाग में किस किस श्रेणी के कितने कितने कर्मचारी थे ?

डाक्टर सीताराम—१ दिसम्बर, १९४९।

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२३–३२७ पर)

*१३—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त में से कितनों का स्थायीकरण अब तक किया जा चुका है तथा कितनों का शेष है ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(इसके लिये भी देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२३–३२७ पर)

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि १ दिसम्बर, सन् १९४९ ई० अर्थात् रामपुर रियासत के विलीन होने के बाद से १०५८ कर्मचारियों में से केवल ३११ को क्यों स्थायी किया गया है और ७४७ अभी तक क्यों शेष है ?

डाक्टर सीताराम—जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया अभी तक ३११ आदमियों को परमानेंट किया गया है बाकी ७४७ के लिये इस साल १९५३-५४ के बजट में कोई प्रावीजन नहीं है लेकिन इसमें से ५० फीसदी आदमियों को परमानेंट करने के लिये १९५४-५५ के बजट में विचार किया जायगा और बाकी लोगों के लिये ५५-५६ में विचार करेंगे। इसलिये अब इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कृष्ण शरण आर्य —क्या यह सही है कि १ दिसम्बर, सन् ४९ से पहले रामपुर रियासत में जितने कर्मचारी थे वे सब स्थायी थे ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या यह सही है कि २१ जून सन् ५० को माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने नैनीताल के निवासस्थान पर रामपुर रियासत के कर्मचारियों और विशेष तौर से शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि वहां शीघ्रातिशीघ्र सब को स्थायी कर दिया जाय?

डाक्टर सीताराम—हां, ऐसा किया था ।

श्री कृष्ण शरण आर्य—तो इसका क्या कारण है कि वह आगे अगले साल स्थायी किये जायेंगे और अब तक नहीं किये गये ?

डाक्टर सीताराम—धनाभाव के कारण अब तक नहीं हो सका । अब विचार हो रहा है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या पेंशन के समय वहां के नौकरों की पुरानी नौकरी भी काउन्ट की जायगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, की जायगी ।

थाना बछरावां, जिला रायबरेली में जुर्मों की संख्या

*१४—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना बछरावां, जिला रायबरेली में जनवरी, सन् ५२ से अब तक विभिन्न प्रकार के कितने जुर्म हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जनवरी, १९५२ से ११ अगस्त, १९५३ तक थाना बछरावां में ३५९ जुर्म हुये ।

*१५—श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार उन जुर्मों के तादाद की अलग-अलग लिस्ट देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गई सूचना लिस्ट 'क' में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२८–३२९ पर)

*१६—श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार उपर्युक्त थाने के एक साल के अन्तर्गत हुये कत्ल व डकैतियों की गांव वार नामावली और प्रत्येक पर हुई कार्यवाही का विवरण देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सूचना लिस्ट 'ख' में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३० पर)

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि माडल थाना बछरावां में अक्सर जुर्म छिपाये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब तक इस बात का कोई प्रमाण न हो तब तक किस बात की जांच की जाय ।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या यह बात सही नहीं है कि सरकार को इस बात की सूचना दे दी गई है कि वहां बहुत से ऐसे मामले हुये हैं जिनको छिपाया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना दे दी गई है ऐसा कहना तो ठीक न होगा लेकिन ऐसी शिकायतें कभी कभी सुनने में आती रहती हैं ।

श्री रामेश्वर प्रसाद—जैसा कि सरकार ने कहा जो सूचनायें सरकार के पास इस तरह की आईं उन पर उसने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह जिला अधिकारियों के पास रिपोर्ट के लिये भेज दी गई ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उन जुर्मों में से एक्साइज ऐक्ट के मातहत भी वहां कोई जुर्म हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लिस्ट मेरे पास है, उन में से एक्साइज ऐक्ट में ४१ हैं ।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने जुर्मों जो थाने में हुये उनका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वहां ऐसे लोग रहते होंगे जिनके मन में जुर्म करने की भावना पैदा हुई होगी । और मैं क्या कह सकता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बछरावां थाने के खिलाफ सरकार के पास कोई शिकायत आयी थी, इन शिकायतों की जांच जिले के किन अधिकारियों ने की और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी हाल में दो-तीन शिकायतें आयी थीं । उनकी जांच अभी हो कर आयी नहीं ?

अल्मोड़ा जिले में संस्कृत पाठशालाओं को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता

*१७—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अल्मोड़ा में संस्कृत पाठशालायें कितनी हैं जिन्हें सरकार आर्थिक सहायता देती है ?

डाक्टर सीताराम—७

*१८—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—ये पाठशालायें कहां-कहां हैं और प्रत्येक को कितनी धनराशि सहायतार्थ दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—इस संबंध में तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ?

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३३१ पर)

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि संस्कृत विद्यालय कामोदी देवी, जिसको सरकार की ओर से ११४० रु० सहायता मिलती है, उसकी बिल्डिंग ६ साल से अधूरी पड़ी है, उसको सरकार पूरी करने की कोशिश करेगी ?

डाक्टर सीताराम—इस मदरसे के संबंध में कोई सूचना नहीं है । अगर कोई सूचना आती है तो उस पर शिक्षा संचालक अवश्य विचार करेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो रुपया संस्कृत पाठशालाओं को दिया जाता है वह उचित रूप से खर्च हो रहा है या नहीं, उसकी जांच भी की जाती है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी जांच की जाती है । जांच करने के लिये एक संस्कृत इंस्पेक्टर और उनके तीन सहायक इंस्पेक्टर्स हैं । साथ ही साथ जिन जिलों में "ए" स्कूल हैं वहां पर डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को आज्ञा दी गयी है कि वह इन इंस्टीट्यूशंस को जा कर देखें । जहां तक मेरा खयाल है उन शिक्षा संस्थाओं में रुपये का प्रयोग उचित ढंग से किया जा रहा होगा ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार संस्कृत भाषा को सारे प्रांत में अनिवार्य करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम—अभी तो कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है, लेकिन आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक दसवीं कक्षा तक पढ़ने के लिये यह जरूर ख़याल रखा जा रहा है कि वहां पर यह भी एक विषय अनिवार्य बनाया जाय।

नैपाल-नैनीताल सीमा पर कम्युनिस्टों का उपद्रव

*१९—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैपाल-नैनीताल सीमा पर कम्युनिस्टों की प्रगति दिन पर दिन बढ़ती जा ही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक इस प्रदेश का संबंध है नैपाल-नैनीताल की सीमा पर कम्युनिज्म का विशेष रूप से प्रसार नहीं हो रहा है। परन्तु नैपाल के भीतरी हिस्से में हाल में तथाकथित कम्युनिस्टों ने कुछ उपद्रव किया था।

*२०—श्री शिवकुमार शर्मा—यदि हां, तो सरकार ने इनके रोकने के लिये क्या उपाय और प्रयत्न किये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्य के भीतर अराजकता को रोकने के लिये पुलिस का यथोचित प्रबन्ध है और इस बारे में राज्य सरकार सतर्क है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार को यह मालूम है कि अपने प्रान्त के सीमावर्ती जिलों में कम्युनिस्ट खुल्लमखुल्ला लोगों में क्रांति की और हिंसात्मक प्रचार के द्वारा सरकार को पलटने की कोशिश कर रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब ऐसी कोशिश तो कुछ लोग करते ही रहते हैं, लेकिन बहर हाल उन से घबराने की कोई बात नहीं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—इन कम्युनिस्टों के बढ़ते हुये प्रभाव को नैपाल की सीमा में रोकने के क्या कारण हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसलिये कि जो कोई भी पार्टी उपद्रव करना चाहेगी और देश में अशांति फैलायेगी उसका दमन करना हमारा धर्म है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को विदित है कि कम्युनिस्ट पार्टी नैपाल की सीमा पर उपद्रव करना चाहती है और अगर यह सही है तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी को वहां के लिये इल्लीगल करार करने जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने प्रश्नों को देखा नहीं। सवाल यह है कि क्या नैपाल सीमा पर कम्युनिज्म का प्रसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने केवल इतना ही जवाब दिया है कि कोई खास प्रचार नहीं हो रहा है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो "कम्युनिज्म का प्रचार" कहा उसका क्या अर्थ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मतलब उसका है कम्युनिस्ट पार्टी के प्रसार से खास तौर से।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कुछ हम लोगों के समझने लायक और स्पष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो आपको थोड़ा सा कहीं विद्यार्थी बनना पड़ेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैपाल की सीमा पर पुलिस की कितनी टुकड़ियां भेजी गई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस किस्म की बात बताना तो लोकहित की दृष्टि से घोर अनुचित होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नैपाल में भीमदत्त पंत का जो दल है क्या वह कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसमें संकेत रूप से कह दिया गया है कि नैपाल के भीतरी हिस्से में ऐसे कितने ही कम्युनिस्टों के उपद्रव हो चुके थे। हम कोई खास राय जाहिर नहीं कर सकते गोकि हमारा ख्याल ऐसा है जरूर।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश जारी किये हैं कि जिनसे नैपाल की सीमा पर या राज्य के किसी अन्य स्थान में कम्युनिज्म का प्रचार करना कोई जुर्म है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर कम्युनिज्म से मतलब हो किसी खास सिद्धांतों से तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी ने पूरी तैयारी कर ली है कम्युनिज्म के उपद्रवों को रोकने के लिये नैपाल की सीमा पर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक कम्युनिज्म से मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के उपद्रवों से है, मैंने पहले ही कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी या कोई भी पार्टी हो उसके उपद्रवों को रोकने के लिये हम पूरी तरह तैयार हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैपाल की सीमा पर कम्युनिस्ट प्रगति रोकने के लिये जो पुलिस मुकर्रर की गई है उस पर अब तक कितना खर्च हो चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझको बार-बार यह कहना पड़ेगा कि इन बातों को बताना उचित नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रिंसिपल की नियुक्ति

१—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में गत वर्ष कितनी छात्रायें थीं और उन पर कितना व्यय हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—१—ट्रेनिंग सेक्शन में (३६ छात्रायें)

२—कालेज से संलग्न प्रैक्टिसिंग स्कूल में (१५० बच्चे)

व्यय—६३,२१३ रु० ६ आ० ६ पा०

२—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद की प्रिंसिपल की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश द्वारा इस पद के लिये हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी नहीं। कालेज के कार्य के हित में शासन ने वहीं की भूतपूर्व हेडमिस्ट्रेस को प्रिंसिपल के पद पर स्थानापन्न नियुक्ति की थी जो अभी तक कार्य कर रही हैं। उक्त पद को खुली भर्ती से भरने के संबंध में कमीशन को लिखा जा रहा है।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के दो रिक्त स्थानों पर निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—मैं दो एक सूचना दे देना चाहता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये २७ अगस्त को दिन के १२ बजे से ३ बजे तक विधान वा चनालय में मतदान हुआ। ९९ सदस्यों ने मतादान में भाग लिया। इनमें से एक पत्र अवैध होने के कारण रद्द किया गया। मतगणना का यह निम्न नतीजा है —

१—श्री वीरेंद्र नाथ मिश्र	९७
२—श्री अब्दुल मुईज खां	९१
३—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल	६

इस तरह श्री वीरेंद्रनाथ मिश्र तथा श्री अब्दुल मुईज खां इन स्थानों पर निर्वाचित हुय।

सार्वजनिक लेखा समिति के दो रिक्त स्थानों पर निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—सार्वजनिक लेखा समिति में दो सदस्यों का चुनाव होना था। ६ सदस्यों के नाम नामांकित हुये थे। उनमें से चार ने अपने नाम वापस ले लिये। इसलिये श्री भगवती प्रसाद शुक्ल और श्री हरदयाल सिंह पिपल निर्विरोध निर्वाचित हुये।

श्री झारखंडे राय द्वारा दिये गये भूमि पुनर्वितरण विधेयक को कार्यसूची में सम्मिलित न करने पर श्री झारखंडे राय की आपत्ति

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मुझे आप से यह सूचना पूछनी है कि पिछले दिन भूमि पुनर्वितरण के ऊपर एक विधेयक मैंने भेजा था। मैं जानना चाहता हूं कि वह विधेयक आज के अजेंडा में क्यों नहीं प्रकाशित किया गया?

श्री अध्यक्ष—जब उस पर कानूनी राय ली गयी तो उसमें एक त्रुटि पाई गयी और वह विधान के अनुसार पेश नहीं किया जा सकता था। उसमें त्रुटि यह है कि आपने जो जायदाद हासिल करने के बारे में जिक्र किया है उसमें कोई कम्पेंसेशन वगैरा का जिक्र नहीं है और संविधान के अनुसार जिसमें कम्पेंसेशन का जिक्र न हो और खाली किसी की जायदाद अक्वायर करने का जिक्र हो तो इस तरह की चीज विधेयक में नहीं हो सकती। लिहाजा कार्यक्रम में उक्त विधेयक नहीं रखा गया। अगर आप दुरुस्त करके अब की दफा उस त्रुटि को पूरा कर दें तो अगली दफा संशोधित विधेयक आ सकता है।

गांवों में दगड़े बनाने के संबंध में *संकल्प क्रमागत

श्री अध्यक्ष—माननीय रमेश चन्द्र शर्मा अपना भाषण जारी रक्खेंगे। आपने इस प्रस्ताव को पेश तो कर दिया है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन के सामने मैंने पेश किया है उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जिस पर इस सदन के माननीय सदस्यों को विरोध करने का मौका मिले। करीब करीब जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में आये हुये हैं सबका सम्बन्ध गांवों से है। इस समय गांवों की हालत ऐसी है कि वहां गांव वालों को किसी प्रकार का रास्ता मिलना कठिन हो गया है। गांवों में पुराने खोरों और रास्तों को लोगों ने या तो अपने खेतों में मिला लिया है या खराब कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, यों तो लोकप्रिय सरकार नये नये कानूनों

*२७ मार्च, १९५३, की कार्यवाही से क्रमागत।

[श्री रमेश चन्द्र शर्मा]

के द्वारा गांवों में रामराज्य की स्थापना करने का विचार करती है, करती आ रही है और कर भी दिया है— पंचायत राज ऐक्ट में भी मैंने ऐसा देखा है। उस ऐक्ट में भी गांव के प्रधानों को यह मौका दे दिया गया है कि वे गांवों में किसी प्रकार से पुराने रास्तों का पुर्ननिर्माण करें और नये रास्तों के लिये भी काम करने की कोशिश करें— लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के होते हुये भी मैंने यह देखा है कि यदि गांवों के प्रधान पंचायत की तरफ से पुराने खोरों को, पुराने रास्तों को निकालने की कोशिश करते हैं तो गांवों में ऐसे भी गिरोह हैं, गांवों में ऐसी भी पार्टियां हैं गांवों में ऐसे भी दलाल हैं जो कचेहरियों में रह करके और गांवों में दलाली करके उस राम राज्य की स्थापना से नाखुश रहा करते हैं और गांवों के सैकड़ों लोगों के रास्तों को निकालने में हमेशा कठिनाई पैदा किया करते हैं जिसकी वजह से यद्यपि कई साल पंचायत राज ऐक्ट को बीत गये हैं लेकिन एक भी गांव मैंने ऐसा नहीं पाया जहां पुराने खोरों का निर्माण पुनः कर दिया गया हो। इसलिये इस संकल्प का खास मंशा यही है कि गांवों में गांवों के चलने वालों के लिये किसी प्रकार से पुराने खोरों का निर्माण पुनः कर दिया जाय और जिस जगह पुराने खोरे न हों वहां एक गांव से दूसरे गांव तक खोरे बना दिया जायं। अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी देखा कि हमारे जिले में कुछ क्षेत्रों में हैजे का प्रकोप था। उन क्षेत्रों में जहां सड़कों का निर्माण था, जहां सड़कों के लिये काफी सुविधा थी वहां तो लोगों ने पहुंच करके काफी टीका दिया और काफी दवाओं का इस्तेमाल किया और जहां मोटर जाने में दिक्कत होती थी वहां लोग देर में पहुंचते थे। अभी अभी मैंने अपने जिले में एक नई दुर्घटना को फिर देखा। अभी एक बाढ़ आई। हमारे जिले में पांच छै नदियां हैं, गोमती, सई, बरनी, अर्सी, और पीली। इन नदियों से काफी नुकसान हुआ। इसलिये जहां पहले से सड़कें थीं वहां लोग अच्छे प्रकार से जा सकें लेकिन जहां न कोई खोरा है और न कोई रास्ता है और जहां लोग किसी प्रकार से भी नहीं जा सकते हैं वहां निरीह किसानों को आज यह भी नहीं पता है कि कितनी फस्ल का नुकसान हुआ और कितने मकान गिरे और क्या उनकी हालत हुई। मैंने इस संकल्प को इस मंशा से पेश किया है कि सदन के सदस्य माननीय सदस्य चाहे वह इधर के हों या उधर के हों गांवों की रक्षा के लिये और गांवों के रास्तों के निर्माण के लिये इसको आवश्यक समझें। अध्यक्ष महोदय, गांवों की सड़कें आज जिस तरह से बिगड़ी हुई चल रही हैं कि आज एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये बड़ी मुश्किल होती है। बल्कि वह अपने एक खेत से दूसरे खेत में भी नहीं पहुंच सकते। यहां तो मैंने देखा कि हमारी लोकप्रिय सरकार ने चकबन्दी के कानून में यह साफ कर दिया है कि चकबन्दी के समय गांवों में रास्तों का निर्माण किया जायगा लेकिन चकबन्दी का कानून हो सकता है कि ३, ४ सालों में प्रत्येक गांवों में पहुंच सके इसलिये मैंने इस संकल्प को पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर ठीक से विचार करेगी और इस संकल्प को मानकर ग्रामीण किसानों को रास्ता देगी।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "दगड़ों" और शब्द "जिनके" निकाल दिये जायं और शब्द "द्वारा" के पश्चात् शब्द "बैलगाड़ी तथा मोटर" निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "जिनमें दो बैलगाड़ियां" रख दिये जायं और आगे शब्द "जा" तथा अर्ध-विराम के बीच के शब्द "सके" को हटा कर उसके स्थान पर शब्द "सकें" और शब्द "हो" के बीच से अर्ध-विराम हटा दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ग्रामों के सुधार के लिये और वहां की जनता की सुविधा के लिये यहां पर एक ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया है लेकिन मैं यह कहता हूं कि केवल संकल्पों का पारित हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। यह संकल्प तो बड़ा सुन्दर है और इससे कई लाख ग्रामों

में मार्ग बन जाने चाहिये। तो ऐसी अवस्था में जब कि हम देखते हैं और सभी जान हैं कि सरकार टैक्स तो लेती है लेकिन जहां कहीं कोई व्यय करने की आवश्यकता होती तो यह कहा जाता है कि बजट में गुंजायश नहीं है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ यह संशोधन पेश करता हूं। इसका अभिप्राय यह है कि सड़कें बनायी जायें और मार्ग निकाले जायें किन्तु वे मार्ग ऐसे बनें जिससे उन पर साथ साथ दो बैलगाड़ी निकल सकें। क्योंकि मोटरकारों के लिये अच्छे मार्ग की आवश्यकता होती है किन्तु बैलगाड़ियों के लिये कच्चा मार्ग भी पर्याप्त हो सकता है। मेरा कहना है कि बैलगाड़ियों के रास्तों पर सूखे में मोटर कार भी चल सकती हैं। परन्तु यदि हम यह चाहें कि ऐसे अच्छे मार्ग बनाये जावें जिनमें जाड़े गर्मी और बरसात में सदैव मोटर आ जा सकें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत कठिन बात होगी। निर्वाचन के समय कांग्रेस की ओर से भी वादे किये गये थे कि इतने मार्ग बनाये जावेंगे परन्तु यह काम ऐसा नहीं है जो एक दिन में हो सके। मैं तो कहता हूं कि वहां पर मोटरकार के मार्ग ही नहीं वरन् हवाई जहाज के अड्डे भी बना दिये जावें तो और भी सुविधा हो जायगी। किन्तु मैं यह समझता हूं कि रोम वाज नाट बिल्ट इन एडे। रोम का इतना बड़ा नगर एक दिन में नहीं बन गया था। मैं आशा करता हूं कि संकल्पकर्ता महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे? यह बहुत सहल भी है। श्रमदान का जो भाव लोगों के अन्दर उत्पन्न किया जा रहा है मैं समझता हूं कि उसके द्वारा सुगमता से वे मार्ग बन सकते हैं। मोटरकारों के लिये मार्ग बनाने की बात कानों को बड़ी प्रिय लग सकती है किन्तु वह व्यवहारिक नहीं हो सकती। इसलिये मैं यह सुझाव पेश करता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं। संकल्प की पंक्ति २ के शब्द "द्वारा" और शब्द "बैलगाड़ी" के बीच शब्द "सामग्री से लदी" रख दिया जाय तथा अन्तिम पंक्ति के शब्द "कम" के पश्चात् अंक "४" के स्थान पर अंक "६" रख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का आशय है कि जो संकल्प इस समय प्रस्तुत है उसमें कुछ सुविधा हो और वह अच्छा बन सके। पंचवर्षीय योजना के अनुसार हमारी सरकार ने रास्तों का कार्य शुरू कर दिया है। इससे पहले जब हमारे प्रदेश और देश में आबादी बहुत कम थी और जमीन की इतनी ज्यादा क़दर भी नहीं थी उस समय एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाले रास्ते भी काफी चौड़े थे। लेकिन ज्यों ज्यों आबादी बढ़ी और जमीन की क़ीमत बढ़ती गई त्यों त्यों ये रास्ते कम होते चले गये। हालांकि अब लोगों के हृदय में हमारी सरकार की कोशिशों से यह हुआ है कि वह जनता के भले की चीज को समझें। आज सरकार ने कोशिश की कि रास्ते चौड़े बनें और उनमें आने जाने में सुविधा हो, एक गाड़ी जिस रास्ते से आती है तो दूसरी गाड़ी उसके बराबर से ठीक से निकल सके वर्ना इसके बिना रास्ता बेकार सा हो जाता है। अभी श्रमदान का काम चला जिसमें सरकार ने और देश के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में भारी कार्य किया है और इसमें हमारी जनता ने श्रमदान से जो कार्य किया है वह सराहनीय है। जो कार्य सरकार वर्षों तक भी पूरा नहीं कर सकती थी हमारी जनता ने बहुत थोड़े समय में उसे कर डाला। एक बात इसमें यह भी है कि जिन रास्तों को बनाया गया उनकी सुरक्षा का भी प्रबन्ध अनिवार्य हो जाता है। अगर यह नहीं हुआ तो हमारा यह सब कार्य निष्फल हो जायगा। आज हम देखते हैं कि जो रास्ते हमने एक गांव से दूसरे गांव को बनाये हैं वे तंग होते जा रहे हैं। और बरसात में तो पानी भर जाने से गाड़ियों के लिये निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज इस संकल्प में जो यह रखा गया है कि चार गज चौड़े रास्ते रख दिये जायं तो मैं चाहता हूं कि ४ गज के बजाय ६ गज कर दिया जाय क्योंकि चार गज चौड़े रास्ते से काम नहीं चल सकता है। एक पाती से लदी हुई गाड़ी १२ फुट चौड़े

[श्री रामदास आर्य]

रास्ते से जा सकती है। जब १२ फुट उसके लिये रास्ता चाहिये तो दूसरी गाड़ी जो उसको क्रास करेगी उसके लिये भी कम से कम ५ फुट चौड़े रास्ते की जरूरत है तो दूसरी गाड़ी किस तरह से निकल सकेगी। लेकिन अगर दूसरी भी गाड़ी लदी हुई हो तो ऐसी हालत में २४ फुट चौड़ा रास्ता होना चाहिये। लेकिन अगर खाली गाड़ी हो तब भी १८ फुट चौड़ा रास्ता होना चाहिये। इसलिये मैंने ४ गज के बजाय ६ गज का संशोधन रखा है। इन सारी आवश्यकताओं को देखते हुये ही मैंने यह संशोधन पेश किया है।

जो रास्ते बनाये जायं उनकी रक्षा का प्रबन्ध करना भी आवश्यक है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि हमारी सरकार ने गांव सभाओं को अधिकार दिया है कि जिन्होंने रास्तों को तोड़ दिया है उनको वह देखें और कलेक्टर साहब उनकी रक्षा का प्रबन्ध करें और वह नोटिस भी जारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि सरकारी तौर पर जो कार्य हो रहा है वह तो हो ही। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कायदे कानून की जरूरत को कम महसूस किया जाय। वह अपने क्षेत्र में जाकर जनता के अन्दर यह भावना पैदा करें कि वह रास्तों को सार्वजनिक रास्ते समझें और सोचें कि उनके खराब होने से हमारा ही तथा हमारे बैलों का नुकसान होता है। इसलिये आज से हम इस नुक़सान से बचने के लिये रास्तों की रक्षा करें। यह समझने की बात है कि अगर छोटे छोटे रास्तों में फसल बो दी गई है तो गाड़ी चलने से जरूर नुकसान होगा। इसलिये नुकसान से बचने के लिये हमें अपने हृदय में जगह करनी चाहिये और जब हमारे हृदय में जगह हो जायगी तो फिर इतना रास्ता छोड़ दें कि गाड़ी आसानी से आ जा सकती हो। जैसे जिन मजदूरों ने जिन्होंने काम किया है उनका इससे बहुत कम वास्ता है लेकिन उन्होंने अपने श्रमधन से हमारा पूरा सहयोग किया है, उन्होंने अपनी मजदूरी छोड़ी है और सार्वजनिक कार्य को किया है। हम उनके श्रमधन की कदर करेंगे और समझेंगे कि आज देश का एक एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा है और वह चाहता है कि हम अपनी सुविधा के लिये दूसरे की प्रतीक्षा न करें। अपना कार्य अपने पैरों पर खड़े होकर करते रहें। इन शब्दों के साथ में यह संकल्प संशोधन आपके सामने पेश करता हूं और आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष (श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ से)—आप अपने दोनों संशोधन एक साथ ले लें।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधनों के शब्द यह हैं कि —

संकल्प की पंक्ति ६ में अंक व शब्द "४ गज" को "६ गज" कर दिया जाय।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि —

"इस प्रस्ताव के पारित होने के दो महीने पश्चात् तक यदि किसी क्षेत्र में यह कार्य आरम्भ न हो तो ग्राम सभायें इन दगड़ों (खोरों), का निर्माण तथा सुधार करावेंगी परन्तु यदि यह मार्ग संकल्प पारित होने के ६ महीने तक तैयार न हो तो जिला नियोजन अधिकारी इन रास्तों को बनवा देंगे और उस पर होने वाले व्यय का आधा भाग ग्राम सभाओं से लिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश के करीब करीब सभी देहातों का यह हाल है कि एक गांव से दूसरे गांव को जाने का रास्ता नहीं है कितने ही गांव ऐसे हैं जहां गाड़ी

तक नहीं जा सकती और न आने जाने के रास्ते बने हुये हैं। जहां ३०/३० और ४०/४० गज चौड़े रास्ते थे उनको खेती में शामिल कर लिया गया है। कहीं कहीं तो ऐसे संकोच रास्ते हैं कि गाड़ी भी नहीं जा सकती है और साइकिल तक नहीं जा सकती है। बरसात के दिनों में पोखरें और दगड़े एक हो जाती हैं और वह भर जाते हैं और लोगों को निकलने तक का रास्ता नहीं रहता है। तो इस वक्त एक तो बड़ी आवश्यक समस्या यह है कि जब गल्ला तैयार होता है तब हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिये इन दगड़ों की व्यवस्था नहीं है और कहीं कहीं इतने कम चौड़े दगड़े हैं कि अगर एक तरफ से गाड़ी आ रही है और दूसरी तरफ से भी आ रही है तो रास्ते में आधे मील पहले से ही उसे रुक जाना पड़ता है। इसलिये मैंने ४ गज के स्थान पर ६ गज बढ़ाने के लिये एक संशोधन पेश किया है।

दूसरी बात यह है कि आम तौर से गांव वालों में यह मनोवृत्ति होती है कि वे स्वतः कार्य करने के लिये उत्साहित नहीं होते हैं। यह सत्य है कि इधर दो तीन वर्षों से जो हमारा पंचायत राज्य और नियोजन का कार्य आरम्भ हुआ है उससे श्रमधन को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है और उससे एक बड़ा भारी कार्य हमारे प्रदेश में हुआ है और तमाम देहातों में इसका असर पहुंचा है और खास तौर से इन पिछले दो वर्षों में तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। परन्तु अधिकतर जब हम लोग राष्ट्रीय त्योहार आदि मनाते हैं तभी ऐसे कामों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अगर आम तौर से दैनिक कार्य में हम श्रमधन का उपयोग करने लगें और गांव के लोगों में ऐसी भावना पैदा हो तो उससे बड़ा लाभ होगा और साथ ही साथ व्यापार सम्बन्धी मामलों में भी बड़ा लाभ हो। इसके अतिरिक्त इन दगड़ों को चौड़ा करना, उनकी सफाई और उनका समतल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वैसे बहुत से लोग गांव सभाओं में भी कहते हैं और ये सभायें भी कभी कभी प्रस्ताव भी करती हैं लेकिन आम तौर से प्रदेश भर का बहुमत यह है कि गांव के साधारण लोग अपनी तरफ से इन दगड़ों को बनाने की कोई व्यवस्था नहीं करते। एक तो जो टैक्स किसानों के ऊपर लगा हुआ है उसको वे लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है और ग्राम सभाओं की ओर से उसकी वसूली की कोई कानूनी सुविधा उनके पास नहीं है उनके पास कोई अमीन वगैरह तो होते नहीं हैं। अगर इस टैक्स का पैसा उनके पास नियमित रूप से आये तो इन दगड़ों के बनाने में बड़ी आसानी हो जाय इसके अलावा एक बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि गांव के रहने वालों में सफाई से रहने की मनोवृत्ति उत्पन्न हो।

तो मैं सबसे पहले आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त बड़ी भारी आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह का अगर एक कानून बना दें तो बहुत सहूलियत होगी। आपके पंचायत विभाग के अफसरों को भी और हम जो देहातों में काम करने वाले वर्कर हैं उनको भी और तब ही हम गांव वालों का प्रेम, श्रद्धा, सहयोग तथा श्रमधन प्राप्त करने में सफल होंगे। जो खर्चे का सवाल आयगा तो यह प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात् ६ महीने का समय देते हैं कि अगर ६ महीने तक लोग अपने अपने यहां ये मार्ग न बनायें तो जिले के अधिकारी इसको बनाने का प्रयत्न करें। पंचायत का कोष नियोजन अधिकारी के पास रहता है इसलिये कोई अगला चन्दा या टैक्स वसूल करने की परेशानी नहीं है बल्कि जो कोष जमा है उसी में खर्चा किया जा सकता है। इस तरह से मेरा यह निवेदन है कि ये रास्ते बनवा दिये जांय। वैसे तो चकबन्दी का क़ानून आने वाला है उस मौक़े पर रास्ते बनेंगे लेकिन अभी इतनी परेशानी है कि एक गांव से दूसरे गांव जाने में बड़ी मुश्किल होती है। वैसे तो होना यह चाहिये कि मुख्य सड़कों तथा मार्गों से जो रास्ता गांवों को

[श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ]

जाता है उसके नाम की तख्ती ही लगी रहनी चाहिये कि यह रास्ता कहां जाता है। लेकिन इस समय इसका कोई सीधा सम्बन्ध इससे नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि अगर रास्ते चौड़े, समतल और ठीक कानून की मदद से हम बना सकें और सब लोग इसकी कोशिश करें तो हम सारे देहात को बहुत सुन्दर और स्वच्छ बना सकते हैं। शहरों में म्युनिसिपैलिटियां हैं, टाउन ऐरियाज हैं, लेकिन गांवों में जो गांव सभायें हैं वे गांवों में नाले और दगड़े इतनी सहूलियत और क़ानूनी बन्दिशों से नहीं बना सकतीं जितनी कि परिश्रम और लगन से मिल कर बनाने में सहूलियतें हैं। इसलिये हम सबको मिल कर यह काम अपने हाथ में लेना चाहिये ताकि हमारे रास्ते स्वच्छ बन जायें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि संकल्प की पंक्ति ६ के अन्त में संख्या "४" के स्थान पर संख्या "५" कर दिया जाय और अन्त में शब्द "परन्तु दगड़े श्रमदान द्वारा बनाये जायं किन्तु जहां पुलों अथवा पुलियों की आवश्यकता हो वहां यथासंभव सरकार बनवा दे" जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं प्रस्तावक महोदय को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि ठीक वक्त पर वे इस प्रस्ताव को ले आये और सदन का ध्यान इस जरूरी काम की तरफ आकर्षित किया। देहात में रास्तों की जो परेशानी है उसे लोग जानते हैं। बहुत दिनों से लोग परेशान हैं, परन्तु जब अपनी सरकार नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था। तब लोग आशा करते थे कि जब अपनी सरकार होगी तो सब काम ठीक हो जायगा। किसी कवि ने कहा है कि—

यही आशा अटके रहे अलि गुलाब के मूल,
अइहैं बहुरि बसन्त ऋतु इन डारिन वे फूल।

समय आया, और परमात्मा ने हमें स्वतंत्र बनाया और आज वह समय है जब कि हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। जहां तक प्रस्ताव का ताल्लुक मैं समझता हूं कि कोई भी इससे असहमत नहीं होगा हर एक चाहेगा कि यह रास्ते जरूर बनाये जायं लेकिन मैंने मूल प्रस्ताव में जहां ४ गज रखा गया है वहां ५ गज कर दिया है क्योंकि मैं समझता हूं कि ४ गज का रास्ता बैलगाड़ियों के लिये काफी नहीं होगा। जमीन को इधर उधर से मिट्टी लेनी पड़ेगी, कहीं कहीं ऊंचा करना होगा, कहीं से मिट्टी लानी होगी, और मरम्मत करनी होगी। उसके लिये ४ गज का रास्ता छोटा होगा। किसी भाई ने ६ गज का प्रस्ताव रखा है अगर सदन मंजूर करे तो और भी अच्छा है मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन इस ४ गज के रास्ते को मैं हर्गिज पसन्द नहीं करूंगा।

दूसरी चीज यह है कि दुनिया में बहुत सी चीज अच्छी हैं, बहुत से काम हैं मगर वह कैसा ही काम हो लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि सरकार के पास जो पैसा है वह सीमित है। मैं जानता हूं कि उसके पास कितना पैसा है, उसके सामने क्या क्या प्रोग्राम हैं। इसलिये अगर कोई काम सामने रखा जाय तो उसके लिये यह भी जरूरी है कि आमदनी का रास्ता बतलाये कि वह किस प्रकार से किया जाय। पैसा कहां से आयगा। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार के बजट में बहुत रुपया नहीं है। उसका बजट टाइट है। लेकिन उसके पास बुद्धि बहुत है? इधर किसानों के पास भी रुपया नहीं है लेकिन उनके पास परिश्रम का खजाना मौजूद है। मैं अर्ज करता हूं कि भादों के महीने में किसान १५ दिन खाली बैठा रहता है। यों तो किसान के पास अपने ही काम काफी हैं। यह भी सही है कि मजदूर अगर श्रमदान करें तो क्या खायें? लेकिन यह भी सही है कि १५ दिन भादों में और पूस तथा माघ का आधा महीना किसान को फुर्सत रहती

है। उस समय उसके पास काम नहीं होता और मजदूर को मजदूरी उन दिन में नहीं मिलती। मेरी गुजारिश है कि उनका वह वक्त इन रास्तों में लगा दिया जाय। रास्तों के बन जाने से न सिर्फ मनुष्यों को ही आराम मिलेगा अपितु पशुओं को भी आराम मिलेगा। पशुओं को जितना जरूरी दाना चारा होता है उतना ही टहलना भी जरूरी होता है। अगर रास्ते बन जायेंगे तो वे टहल भी सकेंगे और खा भी सकेंगे। लेकिन अगर केवल श्रमदान ही से काम हो तो गांव वालों को अधिक उत्साह नहीं होगा, लेकिन जब उन्हें यह मालूम हो जायगा कि अगर हम दगड़े बना लेंगे तो सरकार पुल या पुलिया बना देगी तो उन्हें बहुत उत्साह होगा। तो उनको ज्यादा उत्साह हो जायगा। इस काम को बहुत सी ग्राम पंचायतों ने भी किया है लेकिन बहुत थोड़ा किया है। जहां अच्छे वर्कर हैं और उन्होंने जरा दिलचस्पी ली है वहां तो काम हुआ है लेकिन ज्यादा काम नहीं हुआ है। मेरी गुजारिश है कि ग्राम पंचायतों के अलावा कानूनगो साहबान से भी यह कहा जाय, पुलिस से भी कहा जाय कि वे भी इसमें जरा सहायता करें तो बहुत आसानी से काम हो जायगा। मैं जानता हूं कि बहुत से सब-इन्सपेक्टरों ने अपनी ड्यूटी करते हुए भी बहुत से अच्छे काम किये हैं, ऐसे बहुत से अफसर हैं जो अपनी ड्यूटी करते हुए भी पब्लिक वर्क करते हैं। वह इस तरफ जरा ध्यान आकर्षित कर देंगे तो काम बहुत आसानी से पूरा हो जायगा लोग खुश होंगे, जिस दिन की हम कल्पना करते थे वह दिन सामने आयगा। बुड्ढे आराम के साथ चलेंगे और आशीर्वाद देंगे, बच्चे खेलेंगे, नौजवान काम करेंगे और दर्शक लोग देहात के उत्थान को देख कर चकित और प्रसन्न होंगे।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है इसमें मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

यदि इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के ६ मास के अन्दर.... इसमें शब्द "ऐसे" और "दगड़े" के बीच में शब्द "पुराने" भी शामिल कर लिया जाय जो कि पहले इसमें नहीं था। मैं इसको पुनः पढ़ देता हूं:

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिये जांय—

"यदि इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के ६ मास के अन्दर ऐसे पुराने दगड़े अथवा खोरें तैयार न करा दी जावें तो जिलाधीश स्वयं इन दगड़ों तथा खोरों को अपने आदेश से बनवा देगा और उसका व्यय संबंधित व्यक्तियों से जिन्होंने उसे काट छांट कर अपने खेत में मिला लिया था वसूल कर लेगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और संशोधन मैंने आज दिया है। अगर श्रीमान् की अनुमति मिल जाय तो उसे भी मैं उपस्थित कर दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन से पूछना चाहता हूं। किसी को इस पर आपत्ति तो नहीं है?

सदस्यगण—नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो आप उपस्थित करें।

श्री व्रजविहारी मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प में निम्नलिखित संशोधन मैं उपस्थित करता हूं।

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

पंक्ति ४ में शब्द (खोरों) के बाद तथा शब्द "तुरन्त" के पहले का वाक्य "की शक्ल में" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर यह वाक्य जोड़ दिया जावे--

"को उनको पुरानी शक्ल में लाने की कार्यवाही"। मैंने इसकी प्रतिलिपि श्रीमन् को दे दी है।

श्री अध्यक्ष--तो यहां पर "तुरन्त कर दिया जाय" की जगह "तुरन्त कर दी जाय" कर दीजिये।

श्री व्रजविहारी मिश्र--जी हां, यही उसमें जोड़ दीजिये।

"को उनको पुरानी शक्ल में लाने की कार्यवाही तुरन्त कर दी जाय"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो भाषण इस सदन के सम्मुख सम्मानित सदस्यों के हुये हैं, उन सब ने एक स्वर से इस, प्रस्ताव का समर्थन किया है और इसको आवश्यक भी बतलाया है। हमारे प्रांत में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि एक गांव से दूसरे गांव का संबंध स्थापित हो जाय, खोरों या दगड़ों के द्वारा। हमने गांवों में देखा है और आज जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में उपस्थित हैं उन सबने देखा है और अनुभव किया है कि आज ऐसी परिस्थिति है कि हर एक गांव से दूसरे गांव में जाना कठिन हो गया है। न तो पशु ही जा सकते हैं और न आदमी ही जा सकते हैं। कहीं कहीं तो ऐसी अवस्था आ गयी है कि गांव के चारों तरफ मजरुआ आराजी मौजूद है, अगर मवेशियों को जाना है तो उन्हें भी कोई मार्ग नहीं मिलता है। यही नहीं बल्कि आवश्यक से आवश्यक कार्य के लिये भी कोई रास्ता हमें बाहर जाने का नहीं मिलता है जिसके द्वारा हम एक गांव से दूसरे गांव में जा सकें। इसकी आवश्यकता हर एक व्यक्ति अनुभव करता है।

पहले के जो खोर थी जिनको दगड़ा कहा जाता है या ऐसे रास्ते रहे हैं सब को लोगों ने काट छांट कर अपने खेतों में मिला लिया है और अगर उनसे कहा जाता है कि इनको आप दुरुस्त करा दीजिये तो नहीं करते हैं। हमारी आदत हो गई है कि बिला दंड के, बिला किसी भय के हम काम करना नहीं जानते। अगर उनको समझाया जाता है, उनसे कहा जाता है उनसे प्रार्थना की जाती है तो उसपर कोई ध्यान ही नहीं देता। इसलिये हम लोगों ने इसको आवश्यक समझा कि यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित किया जाय और सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो आवश्यक कार्य है उसकी तरफ उनका भी ध्यान जाना चाहिये मुझे आशा है कि यह बहुत ही इन्नोसेंट प्रस्ताव है और आवश्यक है इसको गवर्नमेंट स्वीकार कर लेगी। संभव है यह कहा जाय, जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि थोड़े दिनों में पंचायत राज में संशोधन आने वाला है उसमें इस किस्म के प्रस्ताव आ सकते हैं और उसके जरिये से एक गांव से दूसरे गांव का संबंध स्थापित किया जा सकता है। उसमें भी खोर या दगड़ों के रूप में अलग हो सकते हैं अगर हम इसको इस रूप में कर दें और इसके लिये जो हमने यह संशोधन उपस्थित किया है उसके अनुसार जिलाधीशों को आदेश दे दें कि वे देखें कि यह प्रस्ताव कार्य रूप में परिणित किया जाता है। अगर यह उनकी जिम्मेदारी हो जायगी तो तत्काल ही यह कार्य हो जायगा। आम तौर से हम क्या करते हैं कि खोरों के अगल अगल जिनके खेत होते हैं वे अपने खेत में उनको मिलाते जाते हैं, निरन्तर मिलाते जाते हैं एक मर्तबा नहीं काटते हैं धीरे धीरे काटकर अपने खेतों में मिलाते जाते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि एक समय आ जाता है कि एकदम से जो खोरा या दगड़ा होता है वह समाप्त हो जाता है। इसलिये इस प्रस्ताव की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं अब अधिक समय इस सदन का नहीं लेना चाहता और माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके द्वारा पुनः इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार कर लें और इस प्रस्ताव को तुरन्त ही कार्य रूप में परिणित कराने का प्रबंध कर देवें।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय इस सदन की बैठक में आते हुये मैं घर से एक विचार ले कर आया था कि गांवों के रास्तों के संबंध में सरकार

का ध्यान आकर्षित कराना आवश्यक है। अभी पिछले ही सप्ताह में अपने निर्वाचन क्षेत्र तहसील शाहाबाद के लगभग २०–२५ ग्रामों में बैल तांगे से घूमा तो वहां हर जगह ही यह मसला सामने आया कि गांवों के रास्ते जो पहले बड़े थे वे अब कहीं तो बड़े छोटे हैं और कहीं नहीं के बराबर हैं। काफी गांव वालों से जब इस संबंध में बातचीत की तो इसको बुरा सब कहते हैं लेकिन जिन्होंने रास्ते खत्म कर दिये हैं अपने खेतों में डालकर वे तैयार नहीं हैं इसके लिये कि Voluntarily उन्हें अपने आप खेतों से कम कर दें। जैसा कि मुझसे पहले अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है। वास्तविकता यह है कि यह केवल एक ही स्थान का मसला नहीं बल्कि सारे प्रदेश के गावों की स्थिति ऐसी ही मालूम होती है। मैं माननीय रमेशचन्द्र जी शर्मा प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस इतने आवश्यक विषय की ओर आदरणीय सदन का ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया है। अभी उस दिन पंचायत राज्य के मेरे ही जिले के एक निरीक्षक बता रहे थे कि पिछले पांच छ वर्षों की अवधि में भी जो चरागाहें खेतों में डाल ली गई हैं उनके खाली कराने विषयक आदेश सरकार की ओर से जा चुके हैं। अतः इसी प्रकार इन रास्तों को खाली कराने के लिये भी सरकार की ओर से ही प्रयत्न किया जाय जैसा कि प्रस्तुत संकल्प में निवेदन किया है इसमें भी सफलता हो सकती है। वैसे तो गांवों के लोगों से कहा जाय और उनको समझाया जाय कि वे अपने खेतों से स्वयं ही यह रास्ते खाली कर दें। लेकिन यह किसी एक विशेष गांव की अथवा किसी एक विशेष जिले की बात नहीं है बल्कि सभी तरफ ऐसा है। इसलिये यह कार्य बिना सरकारी रूप में कराये पूरा नहीं हो सकता और यह तकलीफ ग्रामीण जनता की दूर नहीं हो सकती। एक जगह मुझे यह भी बताया गया कि गांव वालों ने स्वयं कहा था कि हम चाहते हैं कि अगर पटवारी या जिलेदार लोग हमें सरकारी नक्शा दें दे तो हम रास्तों को पंचायत की तरफ से सुधार सकते हैं लेकिन क्योंकि पटवारी और जिलेदारों ने भी इन रास्ते तोड़ने वालों से अनुचित लाभ प्राप्त किये हैं उन्होंने नक्शे नहीं दिये। उन किसानों से वह मिल गये हैं जिन्होंने रास्तों को अपने खेतों में डाला है इसीलिये वह अपने नक्शे बनाकर नहीं देते। ऐसा मुझे अपने जिले की शाहाबाद तहसील का हाल बताया गया है। इसलिये भी जब तक सरकारी स्पष्ट और कड़े आदेश न हों तब यह सुधार नहीं हो सकेगा। मैंने अपने यहां के जिला नियोजन अधिकारी से भी बातचीत की वह भी कुछ गांवों में गये थे और उनकी भी ऐसी ही शिकायत थी कि रास्ते वास्तव में ठीक नहीं हैं। इस प्रस्तुत मूल प्रस्ताव में जो संशोधन माननीय रणंजय सिंह जी ने दिया है कि "मोटर" के स्थान पर शब्द "दो बैलगाड़ी" रख दिये जायं। मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय का यह मंशा इस प्रस्ताव से नहीं है कि मोटर चल सकने योग्य पक्की या तारकोल की सड़कें हो। उनका आशय तो केवल यही हो सकता है कि गांवों के रास्तों की सड़कें चौड़ी हों इतनी कि उन पर दो बैलगाड़ी चल सकें। दो बैलगाड़ियों का आने-जाने का और बचने का पूरा रास्ता हो। हां इतना मैं भी उचित समझता हूं कि ४ गज के स्थान पर चौड़ाई अगर ६ गज हो जाय तो ठीक होगा क्योंकि इसमें रास्ते अच्छे बन जायेंगे ऐसे कि जिस पर मोटर या जीप या बैलगाड़ी अच्छी तरह से निकल सकेंगी। इस ओर सरकार के बिना शीघ्र ही ध्यान दिये हुये यह काम नहीं हो सकता है। चकबन्दी योजना के पहले ही यह काम होना जरूरी है क्योंकि एक साथ सारा प्रबन्ध नहीं हो सकेगा और ग्रामीण जनता का कष्ट बढ़ता जायगा। जिन लोगों ने अब तक रास्तों को अपने खेतों में डाल लिया है अगर आज उनसे वह जमीन नहीं निकाली जाती है तो और लोग भी ऐसा करने लगेंगे और तब वहां पर कुछ रास्ते इस समय शेष हैं भी वह भी मिट जायेंगे और जनता की तकलीफ बहुत बढ़ जायगी। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का पूरा पूरा समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार, माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय राजस्व मंत्री इस ओर शीघ्र ही विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे और ग्रामीण जनता के कष्ट का दूर करने का विशेष प्रयत्न करेंगे।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन सज्जन ने यह प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है मैं समझता हूं कि उन्होंने ग्रामीण जनता के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिन लोगों का गांव से संबंध है वह सब इस बात को जानते हैं

[श्री बलवन्त सिंह]

कि आजकल गांव की सबसे बड़ी समस्या वहां के मार्ग हैं। कई बातें ऐसी बीच में आयीं कि जिनकी वजह से हमारे गांव के रास्ते बिलकुल खराब हो गये। सबसे बड़ी दिक्कत तो जमींदारी के खात्मे के मामले में हुयी। चूंकि पिछले जमाने में कानून इसी प्रकार का बना हुआ था कि तकसीम जो हुई उसमें गांव के जो रास्ते थे या जो सार्वजनिक चीजें थीं वह तकसीम में जमींदारों को मिली हुयी थीं उनके मालिक के रूप में जमींदार थे। जिस समय उन्होंने देखा कि अब हमारी जमींदारी खत्म हो रही है और इस का हमको का कुछ नहीं मिलेगा तो उस समय उन्होंने उन रास्तों को या जितनी भी ऐसी चीजें थीं जो कि सार्वजनिक इस्तेमाल में आती थीं उन सबको जोत बनाया और किसानों को उन्होंने काश्तकारी के लिये दे दिया। कानूनी बात थी और इसका कुछ बनाया नहीं जा सकता था। इसी के साथ-साथ हमारे यहां गल्ला अधिक पैदा करने की बात चली तो उस वक्त भी हमारे कुछ सरकारी अफसर उसमें आ गये और जहां जिसने देखा उसने रास्ते को अपनी तरफ ले लिया। जितने हमारे यहां तालाब थे जो कि सार्वजनिक काम में आते थे उनको भी खेत बना लिया और हमारे कर्मचारी खड़े-खड़े देखते रहे। यह दिक्कत हमारे सामने आयी। एक व्यवस्था कुछ और हमारे देश में ऐसी आई कि जिस समय जमींदारी खतम हो रही थी उस समय लोगों ने यह समझा कि जो जहाँ पर कब्जा कर लेगा वह उसका हो जायगा। इसलिये हमारे ये रास्ते जो बने थे बिलकुल अस्त-व्यस्त हो गये। अब सवाल यह हो जाता है कि जो दिक्कत और बुराई हमारे यहां रास्तों की है क्या उनके लिये जो मौजूदा कानून हमारा इस समय बना हुआ है वह कानून उनको पूरा करने के लिये पर्याप्त है या नहीं? मैं यह समझता हूं कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी तजुरबा अपने देहातों का और कचहरी का है वह इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि हमारा मौजूदा कानून जो इस समय है वह हमारे रास्तों को ठीक करने के लिये बिलकुल ही अपर्याप्त है।

सभी लोग जानते हैं कि जो १३३ दफ़ा क्रिमिनल प्रोसीजर की है उसके द्वारा ही रास्तों को ठीक करने की दरख्वास्तें एस० डी० एम० साहबान के यहां दी जाती हैं लेकिन १३३ के मुकदमों की और मुकदमे वालों की इतनी बुरी हालत होती है जिस को हम सब जानते हैं कि उनकी कोई देखभाल नहीं करता क्योंकि वह एक सार्वजनिक चीज होती है इसलिये जिनको तकलीफ होती है वही कुछ इन्टरेस्ट लेते हैं और वह भी साल डेढ़ साल में थक कर बैठ जाते हैं और उन मुकदमों की आखिर में कोई शक्ल नहीं बन पाती है। रास्तों को ठीक करने की जो दफात १३३ और १३९ हैं वह ऐसे बेढंगे तरीके की हैं कि उनमें जरा भी कोई जरा सा एतराज कर देता है कि वह सार्वजनिक रास्ता है ही नहीं तो उसके लिये दीवानी अदालत में जाना पड़ता है और वहां ६-६ साल लग जाते हैं। किसी भी सार्वजनिक काम में अगर उसके तै होने में ६ या ८ साल लगें तो कौन ऐसा होगा जिसमें इतनी हिम्मत हो कि जो सार्वजनिक काम को अपना पैसा खर्च कर के इतने लम्बे समय तक करता रहे। तो मौजूदा कानून अपर्याप्त ही नहीं बल्कि वह रास्ते को ठीक करने में हर तरह से बाधक है। रही गांव सभाओं के द्वारा यह काम करने की बात। जो लोग उनके बारे में कुछ जानते हैं वह समझते हैं कि हमारी मौजूदा गांवसभायें इस योग्य हैं या नहीं जो रास्तों को ठीक कर सकें। वहां पर इतने पार्टी सेक्शंस और पार्टी क्लीक्स हैं जिनमें रास्ते क्या उनका स्वयं चलना ही कठिन है। फिर वह कानून भी ऐसा बना हुआ है कि उसके अन्दर सार्वजनिक चीजों को ठीक कराने का कोई भी साधन भली प्रकार का नहीं है। मैं समझता हूं कि मौजूदा कानून पंचायतों का यह पहला ही कोई भी ऐसा नहीं है जो इन रास्तों को ठीक कर सके। यह काम इतना बड़ा है और यह इस समय इस तरह से नेगलेक्टेड है कि बगैर किसी नये कदम के देहात का उस दिशा में कोई उपकार नहीं हो सकता। कोई कहता है कि प्लानिंग का मुहकमा ऐसा है कि जिसके द्वारा रास्ते ठीक हो सकते हैं। इसकी तरफ भी तवज्जह दिलाई गई है लेकिन बहुत से तो जिले ही ऐसे हैं कि जहां पर अभी प्लानिंग का काम नहीं है और बहुत से अफसर भी ऐसे हैं जो प्लानिंग के काम के लिये बिलकुल अनुपयुक्त हैं, उनके बारे में मैं यहां क्या कहूं। हमें तो रास्तों को ठीक करना है और एजेंसीज भी हमारे पास बहुत सी हैं लेकिन हम कहां तक इस जिम्मेदारी को उन पर डालकर इस काम में सफल हो सकते हैं यह

सवाल है। केन सोसाइटीज भी हैं जो कहीं-कहीं पर रास्ते ठीक करा देती हैं लेकिन क्या आप समझते हैं कि यह अलग अलग जिम्मेदारी इन रास्तों की जो कि इतनी बड़ी समस्या है इतने बड़े बड़े देहात हैं इतना भारी क्षेत्रफल है, क्या उसके अन्दर रहने वाले लोगों के रास्ते इन मुखतलिफ एजेंसीज के अलग अलग जरियों से ठीक हो सकते हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि "कई मामुओं का भान्जा होता है तो वह भूखों मरता है।" इसकी वजह यह है कि उसकी जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं होती। अगर जिम्मेदारी कई जगह रहती है तो हर एक सोचता है कि वह भी ठीक करेगा हम ही क्यों करें और नतीजा यह होता है कि वह काम ठीक नहीं हो पाता और इसकी वजह यही है कि उसकी जिम्मेदारी कोई भी ऐसी हालत में महसूस नहीं करता। इसलिये जिसके दिल में आता है वह रास्तों को पकड़ कर बैठ जाता है। हमने तो इस संबंध में अपने जिले के कलेक्टर साहब के साथ काम कर के देखा है एक औरत खड़ी हो गयी सामने। उसने कहा कि यहां तो रास्ता नहीं निकालने दूंगी, अपने इस खेत की मेंड या इस चबूतरे को मैं काटने नहीं दूंगी अब कलेक्टर साहब क्या करें। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। किसी तरह से उस औरत को मनवाने की कोशिश करते हैं। कहीं सरपंच साहब को बुलवाते हैं, कहीं मुखिया को बुलवाते हैं, कहीं अपना आफिशल प्रेशर डालते हैं। मगर अन्त में होता यह है कि अव्वल तो वह काम होता नहीं और अगर हो भी पाया तो नाम मात्र के लिये अपनी आफिशल प्रेस्टिज कायम करने के लिये करके वह वहां से निकल आते हैं। उसके बाद होता है कि अगले रोज ही उसको तोड़ कर अपने खेत में मिला लेते हैं या महीने दो महीने के बाद मिला लेते हैं। मैं तो अपने मुजफ्फरनगर की बात बतलाता हूं और मुजफ्फरनगर प्लानिंग के मामले में आगे रहा है। यह मेरा अपना तजुरबा है कि हमने महीनों मेहनत करके जितने रास्ते देहातों में बनाये थे उनको लोगों ने अपने खेतों में मिला लिया है। यह हालत है हमारे देहात के रास्तों की। अगर कोई कानून इस बात का नहीं बनता कि हमारे देहात के लिये रास्ते ठीक किये जायं और उन को कायम रखा जाय तो मैं यह समझता हूं कि यह सब मेहनत मशक्कत जो हमने की है या आगे करेंगे वह सब बेकार जायगी।

चकबन्दी का कानून बना कर हमने उसमें कुछ ऐसी कोशिश की है कि उसमें रास्तों के लिये भी भूमि रखी जा सकती। मगर मैं यह समझता हूं कि चकबन्दी का कानून एक खास मकसद से बनाया जा रहा है। उसमें रास्तों का मामला गौण रूप से रहेगा। अगर हमने रास्तों के मसले को ही लिया और इन चीजों में ही पर्याप्त समय लगाया तो मैं समझता हूं कि चकबन्दी का काम ठीक नहीं चल सकेगा। इसलिये मेरा ख्याल यह है कि हमें एक कानून खास तौर से विलेज पाथवेज और रास्तों के लिये बनाना चाहिये और अगर हम ऐसा कानून नहीं बनाते और अलग अलग कानूनों की शरण लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि यह नहीं पनपेंगे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जितने गांवों से गुजरने वाले रास्ते हैं उनको एक मुहकमे के मातहत कर देना चाहिये। कुछ रास्ते डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हैं। यह सब के सब ले कर एक मुहकमे को दे दिये जाय और तमाम जिले की प्लानिंग हो कि कहां को रास्ते जायं और कहां न जायं और इन सब रास्तों को चकबन्दी कानून लागू होने से पहले ही वह मुहकमा प्लान करले और जो भूमि उसमें लेनी है वह चकबन्दी के कानून में चूंकि सामूहिक रूप से जमीन ली जा सकती है उस समय इसको फौरन लागू कर दिया जाय। क्योंकि बहुत जगह रास्ते अब रह नहीं गये। न उन रास्तों की अब जरूरत रही। पहले समय में जो रास्ते काफी चालू थे अब वहां पर नहर या कोई दूसरी चीज आ गयी, तो वह खत्म हो गये हैं, अगर आप उस रास्ते को फिर से बनाते हैं तो वह बिलकुल बेकार हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस समय जो प्रस्ताव आया है यह बड़ा ही सुन्दर प्रस्ताव है कि हमारी प्रदेश की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो जाना चाहिये कि देहात में रास्तों की अत्यन्त आवश्यकता है। और वह जो आवश्यकता है वह हमारे जो मौजूद कानून हैं, जो मौजूदा एजेंसीज हैं वह उस काम को पूरा करने के लिये कतई तौर से नाकाफी हैं और उनके जरिये से काम नहीं हो सकता। हमारे रास्तों को पुनर्संगठन होना है, हमारे रास्तों को फिर से नये सिरे से बनाना है और फिर ढंग से उनको ठीक कर देना है। उसके लिए हमारा श्रमदान और जो केन सोसाइटियों का रुपया और प्लानिंग

[श्री बलवन्त सिंह]

का पैसा हमारे जिलों को मिलता है उसी से चार पांच साल के अन्दर, मेरा तो पूरा विश्वास है कि हमें एक्सट्रा मनी लेने की जरूरत नहीं है, उसी के जरिये से हम कर सकते हैं। लेकिन कानून बनना मैं समझता हूं, अत्यन्त आवश्यक है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो सदन के सम्मुख उपस्थित है यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह प्रस्ताव एक उचित समय पर भी आया है।

पिछली २६ जनवरी को जो श्रमदान के द्वारा देश में निर्माण कार्य आरंभ हुआ था जिसमें जनता और जनता की सरकार दोनों ने मिल करके बड़े महत्वपूर्ण कार्य किये थे। मैं यह भी समझता हूं कि यह जनमार्ग बनाने का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य है और जब तक जनता का सहयोग इसमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता तो इसमें सफलता किसी कार्य के लिये पाना असम्भव था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे २६ जनवरी पिछले साल की याद है जिसमें इस कार्यक्रम को हमारे योजना विभाग ने उठाया था। थोड़े ही समय के अन्दर लाखों और करोड़ों नर नारियों ने मिलकर के सारे प्रान्त के हर गांव को एक दूसरे से मिला दिया। जब इतना बड़ा कार्य हुआ तो उसमें यह स्वाभाविक था कि वह बड़ी नाप तोल से या बड़े हिसाब-किताब से या सिचाई या टिढ़ाई से काम नहीं किया गया। इसलिये जहां तक गांव को मिलाने का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, वह तो पूर्ण हो ही गया और उसमें जनता ने अपना कार्य किया और इसके साथ ही साथ उसमें एक बात और हुई कि जहां तक पुराने रास्तों का सम्बन्ध था उनका पुनर्निर्माण तो हुआ ही लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत से नये जनमार्ग भी बन गये जिनसे एक दूसरे गांव मिल गये। तो जहां तक अध्यक्ष महोदय, कानून का सम्बन्ध है दफा १३३ सी० आर० पी० सी० में केवल इतना ही है कि जो पुराने प्रान्त के मार्ग हैं और जिनका कि इन्दराज कागजात में हो उनके लिए एस० डी० ओ० के यहां दरखास्त दी जाय तो वह उनको ठीक कर देंगे, लेकिन २६ जनवरी पिछले वर्ष के बाद जब सैकड़ों और हजारों ऐसे जनमार्ग बनाये गये जिनका न कहीं इन्दराज है और न इन्दराज हो सकता था तो उनके लिये भी व्यवस्था करना जरूरी है। यह भी अपनी जगह पर सत्य है अध्यक्ष महोदय, कि एक जोश आता है, एक लहर होती है जब एक समय की पुकार के साथ न जाने वाले लोग भी अच्छे काम में जुट जाते हैं और जब अच्छा कार्य सम्पन्न हो जाता है तो उसमें उनकी जो हानि हुई रहती है, कुछ दिन के बाद वह सोचते हैं और इधर-उधर झांक करके उस हानि को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक यही दशा इन जनमार्गों की भी हो रही है। २६ जनवरी के सप्ताह में जो जनमार्ग बने थे यह सत्य है कि कुछ दिनों के बाद उन जनमार्गों को फिर से बिगाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसलिये मेरी समझ में अध्यक्ष महोदय, यह एक मनोविज्ञान का समय है, एक सइकालजिकल मोमेंन्ट है, जिस समय कि सरकार यदि कोई सक्रिय कदम उठा कर उनको कानूनी जामा पहनाना चाहे तो उनकी रक्षा हो जायगी। वरना यदि इसमें देर हुई तो थोड़े दिनों के बाद फिर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और वह कठिनाई उस हद तक होगी कि जिसे दूर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी लोग समझते हैं कि यहि जनमार्ग बनाये गये हैं, इनको कायम रखना जरूरी है, उनको बिगाड़ना उनके हित के खिलाफ में जायगा। चाहे कानून से वह उस चीज को बिगाड़ सकते हों लेकिन जनता की राय, जनता का दबाव इतना ज्यादा है कि वह उसको बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। यद्यपि बहुत मानों में कानून उनकी रक्षा करता है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है, किसी गांव को या गांव की जनता को या सरकार या सरकारी आदमियों को कि बिना कानून किसी के खेत के अन्दर से कोई रास्ता निकाल दे। लेकिन जनता के दबाव से और जनता की मांग का यह प्रभाव हुआ कि लोगों ने बिना कानून के होते हुए दूसरों के खेतों से या बगल से या जो उसमें अड़चनें थीं उनको हटा करके रास्ता निकाल लिया और किसी ने उसमें आपत्ति

नहीं की। तो अब वह लौट करके लोग सोचने लगे हैं कि अगर हम चाहते तो हम इस काम को रोक लेते, उस वक्त हमने रोका नहीं, गलती की। क्योंकि हजारों आदमी, फावड़े लेकर, कुदालें लेकर निकल पड़े थे और अगर कोई एक आदमी रोकने वाला भी था तो उसने भी यह देखकर सोचा कि यह तो मैं ग़लत कर रहा हूं और उसने भी फावड़ा उठा लिया। तो मेरी समझ में यह एक मनोवैज्ञानिक समय है, साइकालोजिकल समय है जब कि हमें इसे कानून का जामा पहना देना चाहिए, वरना थोड़े दिनों के बाद सरकार को भी दिक्कत महसूस होगी और उस दिक्कत को दूर करना बहुत मुश्किल हो जायगा। बहुत जगहों पर हमने ऐसी गलती की है कि जब साइकालोजिकल मूवमेंट आया जब हमने फौरन सक्रिय कदम नहीं उठाया और आज उसका फल भुगतना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि आज शिक्षा संस्थाओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, यदि सन् १९४८ में मजबूती से एक सक्रिय कदम लेकर सुधार करते तो आज जो यह अनुशासनहीनता दिखाई पड़ रही है और लोग फैला रहे हैं इनका सामना न करना पड़ता। इसके अतिरिक्त एक सुझाव मुझे और देना है। इस प्रस्ताव में जहां तक कि मैंने देखा है केवल एक रास्ता बताया गया है कि ऐसा रास्ता हो जिसमें एक बैलगाड़ी और एक जीप या मोटर इधर उधर से निकल जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसे हमें पास करने से पहले जरा गम्भीरता से सोचना पड़ेगा क्योंकि यह जो छोटे-छोटे खोरे हैं ये केवल एक गांव को दूसरे गांव से मिलाते हैं। यह सोचना है कि राजा साहब की मोटरें तो कभी-कभी ही उधर उस पर दौड़ेंगी लेकिन हमें तो उसे गांव की सुविधा के हिसाब से देखना चाहिये। न तो गांव के व्यक्तियों का नुकसान हो और न गांव के रास्तों का ही। मोटरें तो साल में कभी कभी एकाध बार ही आती जाती हैं। तो कभी अगर जरा सी दिक्कत हुई भी तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमें इन मार्गों को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा। एक तो जो बड़े बड़े रास्ते हैं, जो कई मील तक चले जाते हैं, उनके लिये चाहे यह निश्चित कर दिया जाय कि ६ गज की चौड़ाई हो जिससे कि उस पर दोनों तरफ से सवारियां आ जा सकें। लेकिन जो छोटे-छोटे मार्ग हैं, जो सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव को मिलाते हैं मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उन्हें इतना चौड़ा रास्ता बनाने से क्या लाभ होगा। मैं समझता हूं इससे कोई बहुत बड़ा लाभ तो होगा नहीं क्योंकि बड़ी बड़ी सवारियां तो वहां जाती नहीं हैं, छोटी-छोटी लढ़िया, बैलगाड़ी, इक्के या ऐसी ही कोई सवारी उस पर आती जाती हैं। तो ऐसे गांवों को मिलाने के लिये मैं समझता हूं कि ४ गज काफी होगा। एक तरफ का रास्ता हो। अगर दो गाड़ियां आमने सामने से आ गईं तो एक उसमें से किनारे हो जायगी और दूसरी बगल से होकर निकल जायगी। हमें किसी प्रस्ताव को पास करते समय यह भी ध्यान में रखना है कि इसके द्वारा कुछ हानि भी हो सकती है। अगर हम इतना बड़ा चौड़ा रास्ता कर देंगे तो इसमें खेत की हानि होगी, जमीन की हानि होगी और अगर खेत ज्यादा रास्ते में निकल गये तो इससे गल्ला कम पैदा होगा और इससे देश के अन्नोत्पादन में कमी हो जायगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जहां जोरदार शब्दों में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं वहां आपके द्वारा इस माननीय सदन से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह जिस समय चौड़ाई निश्चित करे उस समय वह इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि चौड़ाई दो प्रकार की हो और वह चौड़ाई जिस प्रकार से मैंने पहले प्रार्थना की उस प्रकार से हो।

इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव और भी है और वह यह है कि इसके लिये कोई मुहकमा खोलने में मैं थोड़ी सी कठिनाई अनुभव कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ी सी कठिनाई होगी कि इसके लिये एक बड़ा सा मुहकमा खुल जाय और उस पर बहुत सा पैसा व्यय किया जाय। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि जो हमारा

[श्री रामनरेश शुक्ल]

नियोजन का मुहकमा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके मातहत आज भी ये जन मार्ग हैं। इसलिये इनको मुस्तकिल तौर से उसके मातहत कर देना चाहिये। मुझे ऐसा मालूम हुआ है, यह नहीं पता है कि कहां तक सत्य है कि प्लानिंग आफिसर्स को एक्वीजीशन के अधिकार दिये जाने वाले हैं या दे दिये गये हैं। यदि उनको यह अधिकार दे दिये गये हैं तो अच्छा है और उनको यह आदेश दिया जाय कि वे उनका प्रयोग करें। यदि अभी तक न दिये गये हों तो मैं आपके द्वारा हुकूमत से यह प्रार्थना करूंगा कि यह अधिकार उनको जल्दी दिये जायं ताकि वे आसानी से जहां पर ऐसी कठिनाई हो वहां स्पाट पर जमीनें ले लें और उनको ज्यादा कार्यवाही न करनी पड़े। आज कैनाल विभाग को यह अधिकार है कि वे जिस तरफ से चाहते हैं उधर से अपनी कैनाल को निकाल लेते हैं और मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है और जनता को भी इस बात का सन्तोष होता है कि हमारे नहर विभाग के अधिकारी सब बातों पर विचार करके जिसमें कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक फायदा हो नहरों को निकाला करते हैं। जहां टेढ़ी-मेढ़ी उनको खेतों के बीच से नहर को ले जाना पड़ता है वहीं से वे ले जाते हैं। उसी तरह से मेरा यह सुझाव है कि वही अधिकार नियोजन अधिकारियों को दे दिये जायं और रास्तों के सम्बन्ध में वे उन अधिकारों का प्रयोग करें। जो रास्ते टेढ़े होंगे उनके लिये वे निर्णय करेंगे कि कितना सीधा करना ठीक है और कितना सीधा करना नहीं ठीक है। इस प्रकार जब यह अधिकार हमारे नियोजन अधिकारियों को मिल जायेंगे तो फिर इसमें बड़ी सहूलियत हो जायगी। इन सुझावों के साथ मैं इस संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो सदन के सामने है निस्सन्देह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे राज्य के ८० प्रतिशत निवासियों से इसका सम्पर्क है। हमारे पूर्व वक्ता माननीय बलवन्त सिंह जी ने अपने भाषण में इस समस्या पर विशेष प्रकाश डाला और हमारा ऐसा ख्याल है कि यदि हमारे सरकारी विभाग के बताये हुये मार्ग पर चलने का प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान बहुत कुछ हो सकता है। अभी हमारे माननीय रामनरेश जी यह कह रहे थे कि इस समस्या के समाधान के लिये कोई नया विभाग तो नहीं खोला जा सकता। मैं यह कहता हूं कि किसी नये विभाग के खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु जितने विभाग इससे सम्बन्धित सरकार के पास हैं उनको कार्य तत्पर कराने की आवश्यकता है और यदि वे अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में एकनिष्ठ हो करके कार्य करने में लग जायं तो गांवों के इन रास्तों का सुधार और निर्माण चुटकी बजाते किया जा सकता है। असल में हमारे सामने अभी गांधी पक्ष आ रहा है और हमारा ऐसा ख्याल है कि इस पक्ष में जैसा पिछले साल हुआ उस तरह से इस वर्ष भी इस प्रकार का कोई निर्माण पक्ष या निर्माण सप्ताह मनाया जायगा। मैं चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार इस सम्बन्ध में यह निर्देश करे कि यह गांधी पक्ष केवल ग्रामों के रास्तों के सुधार के लिये मनाया जाय। इसका कार्य आरम्भ करने के लिये एक ढंग से इस कार्य को करना चाहिये। सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि उन रास्तों में जिनका सुधार करना है पहले हमारे यहां के कानूनगो और लेखपालों को निर्देश किया जाय कि वह प्रत्येक ग्राम में जायें और जा करके उन रास्तों को देखें और देखकर उनमें डाक बेल लगा दें। इतना काम तो लेखपालों और कानूनगोओं के सुपुर्द कर दिया जाये और वह अपने भिन्न-भिन्न हलकों में डाक बेल लगा करके यह निर्धारित कर दें कि इन मार्गों का विस्तार कहां है और इन्हें कहां जाना है। दूसरा जो सात दिन का कार्य है वह उन रास्तों के बनाने का और निर्माण करने का है। यह नियोजन समितियों और गांव सभाओं के अधीन कर दिया जावे और वे दोनों सम्मिलित रूप से गांव के इन रास्तों के निर्माण करने का कार्य आरम्भ करें। इस प्रसंग

में एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि इसकी ओर शायद किसी भी वक्ता ने अभी तक प्रकाश नहीं डाला। जहां अन्तर ग्राम मार्ग के निर्माण की आवश्यकता बतलायी गई है और एक गांव से दूसरे गांव से सम्पर्क स्थापित करने के लिये उन रास्तों के सुधार करने की आवश्यकता बतलाई गयी है वैसे ही आज एक और समस्या उपस्थित हो गयी है और वह यह है कि एक ही ग्राम में एक जगह से दूसरी जगह जाना भी कठिन हो रहा है। मवेशियों को एक चरागाह से दूसरी जगह ले जाने के लिये रास्ता नहीं मिलता। जहां पहले एक-एक और दो-दो फर्लांग का रास्ता पार करके वे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे वहां उनको आज एक दो मील का चक्कर काटकर जाना होता है। तो जहां हम अन्तर ग्राम मार्ग के निर्माण की समस्या पर ध्यान दे रहे हैं वहां साथ ही साथ हमें ग्रामों के मध्यान्तर में जो इस प्रकार के अवरोध हो गये हैं जिनकी वजह से, नवतोड़ जमीन की वजह से, खेतों और बागों की हदबन्दी हो जाने की वजह से जो दिक्कतें पैदा हो गई हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये और हमारा ख्याल है कि यह काम लेखपाल और कानूनगो के जिम्मे कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त गांव सभाओं को भी यह अधिकार दे दिया जाय कि इस तरह से जो रास्ते अवरोध हो गये हैं उनको खोल सकें। देखा यह जाता है कि गांव सभायें इस सम्बन्ध में और इस दिशा में जो कार्य कर सकती थीं वह नहीं कर पा रही हैं। गांव सभाओं को अधिकार दिये गये हैं लेकिन उन अधिकारों को जब वे कार्यरूप में परिणित करने के लिये तत्पर होते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी एक्जीक्यूटिव, हमारे जो अधिकारीगण हैं वे गांव सभाओं के साथ हमेशा असहयोग करते हैं और उनके साथ उनको सहयोग की भावना नहीं होती।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री देवदत्त मिश्र—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारी गांव सभायें जिनको सरकार ने गांवों के भविष्य बनाने के लिये, गांव के स्तर को समुन्नत करने की दृष्टि से, गांवों में सुव्यवस्था, सुश्रंखला और गांवों को सम्पन्न बनाने की दृष्टि से निर्माण किया है। इन गांव सभाओं का जो स्तर, इन गांव सभाओं के पदाधिकारियों को जिस स्तर से देखा जाना चाहिये आज हमारे सरकारी अधिकारियों में खास करके एक्जीक्यूटिव अधिकारी वर्ग में ऐसी भावना नहीं है जैसी कि होनी चाहिये।

किसी पूर्व वक्ता ने सुझाव दिया था कि हमारे सरकारी अधिकारियों को इस कार्य में लगाना चाहिये। वह गांवों के रास्तों को दुरुस्त करने के कार्य को करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे अफसरों को इस तरह के कार्य में लगाने की जरूरत नहीं है। यह बात दूसरी है कि वह टोकिन या प्रतीक स्वरूप कार्य आरम्भ कर दें, वैसे केवल उनकी सहानुभूति गांव के कार्यकर्ताओं के प्रति होनी चाहिये और जिस सम्मान के वह अधिकारी हैं वह यदि उन्हें मिलने लगे तो आप देखेंगे कि एक नई प्रेरणा के साथ हमारी गांव सभायें और ग्राम पंचायतें अपना काम करना शुरू कर देंगी और गांवों की रूपरेखा तक बदल दी जा सकती है बशर्ते कि उनको इस बात का भान हो, आभास हो कि उनका भी गांव के वृत्त में एक स्थान है और उस स्थान का सम्मान होता है। अभी यहां हमारे माननीय राजस्व मंत्री मौजूद हैं। मैं उनका ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां उन्होंने जमींदारी उन्मूलन करके, भूमिधर निर्माण करके, गांव के व्यक्तियों को उनके पद और प्रतिष्ठा और उनकी आर्थिक स्थिति समुन्नत करने का प्रयास किया उसके साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि वह अपने विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिये बाध्य करें कि गांव सभाओं के जो अहलकार हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी मर्यादा सरकारी कर्मचारियों के अन्दर मानी जाय।

[श्री देवदत्त मिश्र]

मेरे पास इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि गांव-सभा के प्रेसीडेंट्स, पंचायत-राज इंस्पेक्टर्स, सेक्रेटरीज, ये जब तहसीलदारों के पास जाते हैं, एस० डी० ओज० के पास जाते हैं तो कुत्ते, बिल्लियों की तरह से उनका आदर किया जाता है। इस प्रकार की भावना हमारे गांवों की उन्नति में बड़ी बाधक हो रही है। आज जिस भावना से हमने पंचायत राज की स्थापना की उस भावना को अगर कोई आघात दे रहा है तो वह हमारे सरकारी अधिकारी हैं और वे एक्जीक्यूटिव के अधिकारी हैं। न मालूम क्यों उनको सौतिया डाह है कि गांव-सभाओं के अधिकारियों को वे फूटी आंखों भी देखना नहीं चाहते।

एक बात और। हमारी सरकार के विभिन्न विभागों में भी, जैसे कि आज हमारे समाज में ज्वांइंट फैमिली की स्थिति है, ठीक वैसी ही स्थिति सरकारी विभागों की भी है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अन्दर कई विभाग लाये गये, लेकिन मैं देखता हूं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट की बैठकों में प्रत्येक विभाग अपने को एक दूसरे के ऊपर एसर्ट करने की कोशिश करता रहता है और जितना काम प्लानिंग डिपार्टमेंट को करना चाहिये वह काम नहीं हो पाता है। उसके और कारण हैं। प्लानिंग आफिसर्स एस० डी० ओज० या डिप्टी कलेक्टर्स को बना दिया जाता है। उनके पास न कोई प्लान है, न अनुभूति है, न उनके पास गांवों में काम करने की जो प्रेरणा होती है वह है। परिणाम-स्वरूप, चूंकि उनको सरकारी नौकरी करनी है लिहाजा कागज की खाना-पूरी उनको करनी ही पड़ती है। जितने श्रमदान सप्ताह होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उसका रेसपांस जनता करती है, लेकिन जनता के उस रेसपांस के बावजूद जितना काम होना चाहिये उतना काम नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो काम लेने वाला व्यक्ति है उसके अन्दर न तो काम लेने की शक्ति है और न काम लेने की स्पृहा ही उसके अन्दर है। तो ऐसी स्थिति में हमारी समझ में नहीं आता कि प्लानिंग डिपार्टमेंट रास्तों को दुरुस्त कर देगा वह केवल कागजी खाना पूरी कर देगा और यत्र-तत्र रास्ते बना दिये जायेंगे। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने जैसा कहा कि गांधी पक्ष आ रहा है उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें पहले सप्ताह में कानूनगो और लेखपालों को यह आदेश दिये जायें कि वे प्रत्येक गांव में जाकर दागबेल लगा दें जिससे गांव सभा को काम करने में दिक्कत न हो। अगर किसी का खेत या बाग आ रहा है तो उसके लिये इन्तजाम होना चाहिये कि वह बाधा न डालने पाये। अगर इस प्रकार से दागबेल लग जायेगी तो काम करने में आसानी होगी। दूसरे सप्ताह में गांव-सभा, पी० आर० डी० तथा पंचायत राज विभाग आदि दूसरे विभाग मिलकर डगड़ों को दुरुस्त करने का काम अपने हाथ में ले। और हमारा ख्याल है कि अगर इस प्रकार से काम किया जायगा तो प्रत्येक गांव के रास्ते दुरुस्त हो जायेंगे। अंतग्रीम मार्ग ही नहीं ग्रामों के अन्दर जो मार्ग हैं, जो कि बन्द प्रायः हो गये हैं उनको भी दुरुस्त कर दिया जायगा।

एक बात और है। मैं माननीय उपमंत्री महोदय जो कि पंचायत राज विभाग, नियोजन विभाग और पी० आर० डी० के चार्ज में हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इन तीनों विभागों में कोआर्डीनेशन स्थापित करें। यद्यपि कागजी कोआर्डीनेशन तो स्थापित हो गया है, लेकिन वास्तविक कोआर्डीनेशन अभी तक कहीं दिखाई नहीं देता। पंचायत विभाग कहता है कि उनको अधिकार तो बहुत से एक साथ हाथ से दे दिये गये हैं लेकिन दूसरी तरफ से उनके ऊपर बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। मान लीजिये कि कोई गांव सभा एक सड़क पर कुछ रुपया खर्च करना चाहती है। वह प्रस्ताव पास करती है और प्रस्ताव पास करने के बाद उसे कलेक्टर के पास भेजती है

लेकिन वहां पर वह महीनों पड़ा रहता है। उसकी स्वीकृति तब प्राप्त होती है जब कि उस खर्च करने का मतलब ही समाप्त हो जाता है। इसलिये मेरा कहना है कि प्रत्येक विभाग में संगति न होने से गांवों की दशा समुन्नत नहीं हो पा रही है। राजस्व मंत्री जी ने ग्रामों के निवासियों को जमींदारी खत्म करके सामाजिक दृष्टि से ऊंचा उठाया है, उनको भूमिधर बनाया है, उनकी स्थिति को समुन्नत किया है अतः उनको अब कानून को और लेखपालों को मेंडेटरी आदेश देने चाहियें कि वह इस सप्ताह के अन्दर गांवो में जाकर सर्वे करें और सर्वे करके रास्तों की दागबेल कर दें तभी हम रास्तों को दुरुस्त कर सकते हैं।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सामने जो आज गांव के दगरों और सड़कों का संकल्प उपस्थित किया गया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय, गावों में सड़कों और दगरों के संकरी होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस प्रदेश में पहले जो आबादी थी वह कम थी और हर जगह जो लोग बसे हुए थे वे अपने अपने गावों में काफी जगह लेकर बसे हुए थे। एक गांव का दूसरे गांव से सम्बन्ध बना हुआ था और हर गांव में एक गांव से दूसरे गांव तक दगड़े और सड़कें थीं। लेकिन ज्यों ज्यों इस प्रदेश में आबादी बढ़ती गयी त्यों त्यों लोग खेती की तरफ ध्यान देने लगे और वे खेती बढ़ाने की गरज से जितनी भी सड़कें, दगड़ें और खोरें थीं उन तमाम को लोगों ने अपने अपने खेतों में मिलाना शुरू कर दिया और आज उन गावों की हालत यह हो गयी है कि गांव के रहने वाले लोगों के मवेशियों के निकलने तथा बैलगाड़ियों के एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और आज माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो गांवों के ही रहने वाले हैं और वे अपने-अपने गावों की हालत को अच्छी तरह से समझते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में मोटर और बसजाने की बात तो अलग रही, बैल गाड़ियां भी वहां तक नहीं जा सकती हैं। एक गांव से दूसरे गांव तक चरने के लिये मवेशी जो भैंस और गायें हैं वे भी नहीं जा सकती हैं। तो हर तरह से जो गांव के रास्ते हैं वे काट काट कर शिकस्त कर दिये गये हैं। यह जो आज यहां विचार किया जा रहा है कि कैसे वे रास्ते चौड़े किये जांय तो उसके लिये मैं आपके सामने अपना यह सुझाव रखता हूं कि चकबन्दी का जो बिल यहां से पास हुआ है और जो चकबन्दी होने वाली है उस सिलसिले में हर गांव में जो सड़कें बनायी जायेंगी या जहां जहां ट्यूबवेलस् बन रहे हैं वहां जो सड़कें बनायी जायंगी वे तो बनायी ही जायंगी। वह तो बाद की बात है। लेकिन आज हर गांव में जो सड़कें सकरी हो गयी हैं उनके लिये एक अमोन तैनात करना है जो पुरानी चौड़ी सड़कों को, जो कि काट काट कर सकरी हो गयी हैं उन्हें नाप कर ग्राम सभाओं द्वारा चौड़ी करा दे तो हो सकता है कि सड़कें बन जावें। पुरानी सड़कें जो पहले की हैं वे एक गांव से दूसरे गांव तक मिली हुई हैं और जहां नहीं मिली हुई हैं उन सड़कों को दूसरे गांव से मिलाने के लिये गांव समाज के जो लोग हैं या गांव सभा के जो सदस्य हैं उनकी राय लेकर अगर ये सड़कें एक गांव से दूसरे गांव तक बनायी जावें तो इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि सड़कें जब बनायी जाती हैं तो गांव के रहनेवाले अपने खेतों से सड़कें नहीं निकालने देते, वे रोक देते हैं। लेकिन अगर उन गांव वालों को एक जगह बैठा कर उन्हें समझाया जाय, उन्हें बतलाया जाय कि इस सड़क के निकलने से तुम्हारे मवेशी निकल सकते हैं, तुम्हारी बैलगाड़ियां एक से दूसरे गांव तक जा सकती हैं, इस तरह से उनकी राय लेने के बाद वे किसी प्रकार से इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकेंगे।

दूसरी बात यह बतलायी गयी है कि श्रमदान के वक्त वे सड़कें बनें। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि श्रमदान के वक्त कुछ जगहों पर सड़कें बनीं और उसके बाद वे सड़कें जैसी की तैसी हो गयीं। वे सड़कें बरबाद हो गयीं। पानी बरसने के बाद लोगों ने फिर उनको काट काट कर अपने खेतों में मिला लिया। तो इस तरह से किसी उत्सव के वक्त आप चाहें कि हर जगह सड़कें बन जायें तो मैं समझता हूं कि इस तरह से इस प्रदेश के अन्दर सड़कें नहीं बन सकेंगी। तो आप ग्राम सभाओं के ऊपर जिम्मेदारी दीजिये और उनके सहयोग के लिये सरकार अपनी तरफ

[श्री राम सुभग वर्मा]

से उस सर्किल में एक अमीन तैनात कर दे जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर जो छोटे छोटे रास्ते हैं जो कि पहले बड़े थे और अब संकरे हो गये हैं या बिलकुल खत्म हो गये हैं उनको नाप कर निकाल दिया करे। इस में किसी को कोई एतराज नहीं होगा और गांव सभायें अच्छी तरह से इस काम को पूरा कर सकेंगी। और गांव सभाओं को यह काम सौंपना चाहिये। श्रमदान करके मुफ्त में काम करके इस इतने बड़े काम का पूरा होना संभव नहीं है। सरकार को चाहिये कि गांवों में जो लोग बेकार हैं उनसे काम लेकर उनको कुछ देकर और उनके जरिये से काम कराकर सड़कों को दुरुस्त करवावे। तभी यह काम हो सकता है और इसलिये मैं अपनी तरफसे सुझाव रखता हूं कि गांव सभाओं के जिम्मे यह काम सौंपा जाय और सरकार उसमें आर्थिक सहायता करे ताकि वे अपने गांवों की सड़कें निकाल सकें।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री रमेशचन्द्र जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मगर मैंने इस संकल्प में एक ऐसी बात देखी है जिसको मैं चाहता हूं कि वह न रहे और मैं जानता हूं कि श्री रमेशचन्द्र जी खुद इस बात को मानेंगे कि वे शब्द ठीक नहीं हैं। वे शब्द हैं पांचवीं लाइन में 'पहाड़ी इलाकों को छोड़कर' इन शब्दों पर मुझे एतराज है। मेरा ख्याल है कि रमेशचन्द्र जी को पहाड़ी इलाकों की भूगोल से वाकफियत न थी अन्यथा पहाड़ी इलाकों के लिये यह प्रस्ताव उससे कहीं अधिक महत्व का है जितना यह मैदानी इलाकों के लिये है। आज सब साहबों को मालूम है कि पहाड़ी इलाके बहुत पिछड़े हुये हैं और लोगों का सम्पर्क एक दूसरे से न होने की वजह से शिक्षा और सभ्यता का विकास वहां नहीं हो सका है। उसकी वजह केवल यही है कि वहां मीन्स आफ ट्रांसपोर्ट कम है। इसलिये वहां मीन्स आफ कम्युनिकेशन होने चाहिये जिससे लोगों में सम्पर्क बढ़े और वहां की सभ्यता भी वर्तमान सभ्यता के स्तर पर आ जाय। इसलिये मैं श्री रमेशचन्द्र जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संकल्प से इन शब्दों को अवश्य निकालने की कृपा करें और मुझे पूर्ण आशा है अगर वे मुझसे मिलते तो मैं उन्हें समझाता कि पहाड़ी इलाकों में आने जाने के लिये एक ग्राम से दूसरे ग्राम में सिर्फ नाममात्र को सड़कें हैं और सड़कें क्यों उनको पगडंडियां ही कह लें वैसे वे पगडंडी भी नहीं हैं। ग्रामीण जनता का एक स्वभाव हुआ करता है कि वह किसान जिसका खेत सड़क से मिला हुआ है उसकी जमीन कम होने की वजह से हमेशा वह यह करता है कि जिस किसी की भी जमीन सड़क से मिली हुई है अपनी तरफ से उसको काटकर सड़क को हर साल कम चौड़ी किया करता है। इसका नतीजा यह है कि उनमें कोई नियंत्रण न होने की वजह से वहां सड़कें बिलकुल नाममात्र की रह गई हैं। सारी सड़कें दोनों तरफ से कट चुकी हैं। इसलिये सरकार की तरफ से कोई नियंत्रण होना आवश्यक है। मैं नहीं कहता कि सब जगह ४ गज चौड़ी मोटर की सड़कें बनें लेकिन इतना तो जरूरी है कि बाइडल पाथ तो वहां अवश्य हों। जो काफी इम्पार्टेंट जगह कहलाती हैं उन जगहों में तो मोटर की सड़कें या चार गज चौड़ी सड़कें होनी आवश्यक हैं, अन्यथा जो बहुत मामूली गांव हैं जिनका बहुत एकनामिकल ऐडवांसमेंट नहीं हो चुका है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है तो जगहों में तो कम से कम बाइडल पाथ होना आवश्यक है। तो इन बाइडल पाथों के लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सरकार इस संकल्प से इन बातों को हटाकर पहाड़ियों के लिये भी वही योजना काम में लावे जो मैदान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये कर रही है। तो इसमें मेरा यह सुझाव है कि पहाड़ी इलाकों में भी मोटर सड़क जरूर होनी चाहिये तभी वह सभ्यता का विकास कर सकता है। अगर मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स होंगे तो दूसरों से सम्पर्क बढ़ेगा और योजना सभ्यता का विकास भी तभी हो सकता है। जो योजना सभ्यता है उसका फायदा भी तभी उठाया जा सकता है जब कि हमारे पास दूर दूर जाने के लिये साधन हों। हमने यह देखा है कि जहां पर मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स नहीं है वहां पर जाने में कठिनाई होती है। अभी हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में खासकर जहां पर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है उससे एक तरफ तिब्बत मिला हुआ है और दूसरी तरफ नैपाल मिला हुआ है वहां पर लोग इसी वजह से नहीं जाते कि वहां पर कोई सड़क नहीं है। वहां पर आवात

निर्माण का कोई साधन नहीं है। इस कारण नीन्स आफ कम्युनिकेशन्स न होने से वहां पर बड़ी कठिनाई होती है। और इसी वजह से वे लोग बहुत पिछड़े हुये हैं। वे लोग कितना पिछड़े हुये हैं इसका आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। वहां की परिस्थिति का अनुमान नहीं हो सकता है। तो मुझे आशा है कि इस चीज को उसमें जोड़ कर उसको लेकर और उसकी अहमियत को समझ कर माननीय सदस्य इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। उस इलाके की अहमियत को समझ कर इस संकल्प में से उस इलाके को न हटायें। वह तो इतने पिछड़े हुए इलाके हैं कि जिनके लिये आपको कुछ विचार से सोचना चाहिये। वही सबसे पिछड़े हुये इलाके हैं जिनके लिये आपको कुछ करना है वहां की यह दशा है कि जहां पर न सड़क की व्यवस्था है और न दवाखाने की व्यवस्था है। जो सभ्यता की चीजें हैं उनमें वह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर इन मार्गों का होना नितान्त आवश्यक है।

किसी सज्जन ने यह कहा कि यह काम प्लानिंग अफसर को देना चाहिये क्योंकि जो प्लानिंग कमेटी है वह इसको करे। इससे मेरा मतभेद नहीं है लेकिन जो अभी तक कार्य हुआ है वह कोई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। अच्छा तो यह होगा कि यह जनमार्ग का कार्य जिस इलाके में हो उस इलाके के लोगों के हाथ में उसका निर्णय रहे तो यह काम सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। अगर यह काम पंचायत या गांव सभाओं को दे दिया जाय तो वह अपने गांव की जरूरत को अच्छी तरह से समझता है और जानता है कि जमीन किसकी है और किसके अधिकार में है और किसने जंगल को काटा है। जो लोग सड़क काटकर खेत बनाते हैं वे इस काम को अच्छी तरह से रोक सकते हैं। जहां पर लोगों ने सड़क को काटकर खेत बना लिया है उस बात को वे जानते हैं। किसने कब्जा कर लिया है वे जानते हैं वह कब्जे को हटाकर वहां पर सड़क का निर्माण करा सकते हैं। तो मैं यह आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान देने की कृपा करे और एक ऐसी व्यवस्था बनावे कि जिससे ग्राम सभाओं और पंचायतों को यह अधिकार होगा कि वे गांव से गांव में जाने का फैसला करें और उनके इस फैसले को अहमियत दी जाय। यह नहीं हो सकता कि सरकारी अफसर उनके फैसलों की कोई अवहेलना करें और उनके फैसले की कोई कदर न हो। जो भी वे फैसला करें उसको महत्व दिया जाय और सरकार भी उसको एक फाइनल फैसला समझे और उसी को कार्यान्वित करने की कोशिश करे।

मैं एक और सुझाव यह देता हूं कि जब यह सड़क बनाने का निर्णय किया जाय कि कोई सड़क श्रमदान से बन सकती है तो अगर सरकार से उसको रुपये वगैरह की ज्यादा सहायता न मिले तो कम से कम हथियार की सहायता तो जरूर मिलनी चाहिये ताकि उन हथियारों से सड़क का निर्माण किया जा सके। मैं मंत्री जी से और माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें कि पहाड़ी इलाके भी ऐसे बहुत ज्यादा हैं कि जहां पर सड़क बनाने की नितान्त आवश्यकता है। मैं प्रस्तावक महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि जो संकल्प उन्होंने दिया है उसमें इस वाक्य को हटाने की कृपा करें और पर्वतीय इलाकों को भी उसमें शामिल करने की कृपा करें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने इस समय उपस्थित है मैं उसका समर्थन करता हूं और उसी के साथ साथ माननीय रामदास जी और माननीय वाशिष्ठ जी का जो संशोधन है कि ४ गज रास्ता के बजाय ६ गज रास्ता रखा जाय उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ ही नन्दकुमार देव वाशिष्ठ जी का जो दूसरा संशोधन है कि सड़क बनाने का आधा व्यय गांव वालों से लिया जाय उस का मैं बहुत प्रेम पूर्वक विरोध करता हूं प्रेम पूर्वक का अर्थ यह है कि मैं वाशिष्ठ जी का विरोध नहीं बल्कि उनके इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं; चूंकि वह प्रस्ताव ऐसा है जिस का विरोध करना लाजमी हो जाता है। जहां तक सड़कों का संबंध है मैं समझता हूं कि इस की एक योजना होनी चाहिये और यह योजना सरकार के पास होगी और उस योजना में खास तौर से इस बात का ध्यान होना चाहिये कि एक गांव का संबंध दूसरे गांवों से कराया जाय और फिर गांवों का संबंध कस्बों से कराया जाय, छोटे कस्बों से और मंडियों से कराया जाय और फिर उनका संबंध बड़ी मंडियों से कराया जाय ताकि गांवों में जो सामान तैयार होता है और जो सामान गांववालों की सुविधा न होने के कारण उन लोगों

[श्री गेंदा सिंह]

को गांव में ही बेच देना पड़ता है और जिनको सुविधा है या जिनके पास सवारी का इंतजाम रहता है या जो बोझा ढोने वाले साधनों से उस माल को बड़ी मंडी ले जा सकते हैं। इस तरह से सामान को पैदा करने वालों का शोषण करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि गांवों का संबंध बड़ी मंडियों से कराया जाय। कुछ दिन पहले ऐसी व्यवस्था की गई थी और चर्चा थी कि आगे जो सड़कें बनेंगी उन में इस बात का ध्यान रखा जायगा। लेकिन दुख है कि ४-५ वर्ष तक, पोस्ट वार रिकान्सट्रक्शन का जमाना बीत चुका और अब पंचवर्षीय योजना का काम हो रहा है लेकिन अभी कोई लक्षण नहीं दिखाई देते कि पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद प्रत्येक गांव मंडियों से जुड़ जायगा। इसलिये मैं खास तौर से जोर देकर कहूंगा कि ये सड़कें योजना के साथ बनाई जायं ताकि गांवों का सब मंडियों से ही संबंध न हो बल्कि यह भी हो कि मवेशियों के निकलने के लिये आदमियों और बैलगाड़ियों के निकलने के लिये एक गांव से दूसरे गांव तक अच्छे रास्ते हों।

अब सवाल यह है कि यह सड़कें बनाने का काम गांव सभाओं के ऊपर डाला जाय या नहीं। मैं इस संबंध में केवल यह कहूंगा कि गांव सभाओं के पास यदि कोष हो तब तो यह भार उन पर डाला जा सकता है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है राजस्व का कुछ भाग गांव सभाओं को दूसरे राज्यों में दिया गया है। दूसरे अन्य राज्यों के बारे में विशेष जानकारी न होते हुये भी मद्रास में इस तरह का प्रबन्ध किया गया है इतना मैं कह सकता हूं। वहां राजस्व का कुछ निश्चित भाग गांवसभाओं को दिया गया है। और उससे वह अपने गांवों की तरक्की के काम में लाती हैं। इस तरह से गांवों की आमदनी गांवों में ही व्यय होगी और उससे गांवों की उन्नति हो सकती है। मैं जानता हूं कि सरकार दावा करेगी कि हम जो कुछ करते हैं गांवों की तरक्की के लिये ही करते हैं। यह काम गांव की तरक्की में आता है और इस वास्ते सरकार को इस काम में खासतौर से रुपया खर्च करना चाहिये।

इतना ही नहीं सरकार ने जिस समय १९३८ में शुगर केन सेस बैठाया था उस वक्त माननीय काटजू साहब ने तो यह कहा था कि जहां पर फैक्टरियां हैं उनके क्षेत्र के गांवों की सड़कों को सुधारने में और दूसरे ग्राम विकास के कार्यों में यह पैसा लगाया जायगा। सरकार को एक खासी रकम उससे मिलती है। लेकिन ग्राम विकास की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। मालूम होता है कि माननीय डाक्टर काटजू साहब का जो आश्वासन था वह सरकार की स्मृति में नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि गांव पंचायतों को कुछ कोष दे कर इन सड़कों को दुरुस्त कराने की कोशिश की जाय। गांव पंचायतों की जैसी अवस्था है वह हम जानते हैं। उनका कोष इस तरह से भी बढ़ाया जा सकता है कि उनको वसूली का काम दिया जाय और उससे जो कमीशन इकट्ठा हो उससे विकास कार्य करें। लेकिन यह अभी मैं कह नहीं सकता कि सरकार किस समय तक गांव पंचायतों को यह काम देने तैयार होगी। दूसरी बात यह है कि गांव में जो जमींदार थे और उनमें इज्जत या बड़प्पन की भावना पैदा करके जो काम उनसे कराया जा सकता था, वह भी रास्ता जमींदारी खत्म होने के बाद नहीं रहा। अब उनके पास वह साधन नहीं रहे जिनसे वह इस तरह के काम कर सके। ऐसी हालत में सरकार को ही बड़ी भारी जिम्मेदारी है। गांव का पैसा निकल कर सरकार के पास आता है। सरकार को देखना चाहिये कि गांव की तरक्की के काम किसी तरह से रुकने न पावें।

माननीय विष्ट साहब ने पहाड़ की सड़कों के संबंध में कहा है। मैं समझता हूं कि पहाड़ी सड़कों का बनाना भी बहुत जरूरी है। मैंने पहाड़ों में देखा है कि कहीं-कहीं ऐसे गांव हैं जहां पर लोग आलू की खेती करते हैं, लेकिन एक गांव से दूसरी मंडी तक ले जाने का रास्ता नहीं है। अतः उनको बहुत ही सस्ते दामों पर आलू को बेच देना पड़ता है। इस प्रकार उन्हें एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यह एक बड़ा आवश्यक कार्य है कि कच्चे माल को गांव में पैदा करके ऐसी जगह पहुंचाया जाय जहां पर जाकर वह कंज्यूमर्स गुड्स (उपभोक्ता माल) की शक्ल में बदल सके। यह तभी संभव हो सकता है जब कि गांवों से निकलने वाले रास्तों को राष्ट्रीय और प्रान्तीय मार्गों से संबद्ध कर दिया जाय।

यह योजना से संबद्ध है, हमारे बीच योजना विभाग के डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हैं। उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। यह काम माल विभाग, पंचायत विभाग और योजना विभाग तीनों विभागों के सहयोग से चल सकता है। माल विभाग का काम यह हो सकता है कि जहां लोगों ने सड़कें काट ली हैं उनको निकाल लिया जाय। लेकिन सिर्फ कटी हुई जमीन को ले लेने से काम नहीं चलेगा। चूंकि प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जहां पर सड़कें नहीं हैं वहां भी सड़कें बनायी जायं। एतदर्थ इसके लिये नयी जमीन लेनी पड़ेगी और फिर सड़कें बनानी पड़ेंगी। वह प्लानिंग और पंचायत का काम है। माल विभाग यह भी कर सकता है कि जो लोग न मानें उनके लिये कुछ उपाय सोचें। पंचायत का काम यह भी है कि वह अपने लिये कोष का प्रबन्ध करे और जो सड़कें बन जायं उनको मेंनटेन करें। सड़कों को मेंनटेन वह तभी कर सकती है जब उसके पास कोष हो। फिर प्लानिंग का भी काम है। प्लानिंग का काम यह हो सकता है कि नयी सड़कों को बनाने का काम अपने हाथ में ले। अगर नहीं लिया गया तो मैं नहीं समझता हूं कि माल विभाग या पंचायत विभाग इस काम को दूर कर सकता है। इसलिये इन दोनों विभागों के को आर्डिनेशन से काम करने से ही इन सड़कों का काम हो सकता है। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार तीनों विभाग अपना कोआर्डिनेशन करके इन सड़की की पैमाइश से लेकर बनाने तक का कार्य करना चाहे तो थोड़े दिनों के अन्दर ही गांव जुड़ जायेंगे।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं, वह श्रमदान की बात है। उसके पक्ष में मैं समझता हूं कि हम लोग हैं। मैं भी हूं। श्रमदान के जरिये बहुत से कार्य सरकारी कोष के बहुत खर्च न करने पर भी कराया जा सकता है, बशर्ते कि उसके लिये अनुकूल वातावरण पैदा किया जाय। मैंने देखा है कि जब बहराइच में उपनिर्वाचन के सिलसिले में मैं वहां गया था, तो वहां जिस तरफ हम लोग गये वहां सड़कों पर मिट्टी डाली गयी थी और आमतौर से डाली गयी। हमने दरयाफ्त किया कि मिट्टी किस तरह से डाली गयी है तो बताया गया कि श्रमदान पक्ष में यह कार्य किया गया है। मुजफ्फरनगर में मैंने सुना कि श्रमदान से ६० मील सड़क बनायी है। अपनी तरफ भी कुछ ऐसे काम हुये हैं। अनुकूल वातावरण कहने का मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं सरकारी अधिकारियों को यह कहता हूं कि वे २४ घंटे श्रमदान में ही लगे रहें या उनकी श्रमदान की ओर से उदासीनता ही रहे। हां वह पूरी तरह से सहयोग अवश्य करें और इस कार्य के करने वालों को सुविधा पहुंचायें। मैं यह नहीं चाहता हूं कि एक घंटे के लिये कोई अमीन तैनात हो, और हमारी कटी हुई जमीन निकाल दे। उसके लिये एक महीने तक एक मर्तबा तो आदमी मिल सकते हैं, लेकिन अगर पैमाइश नहीं हुई और बारिश हुई हो तो कोई भी तैयार नहीं होगा। इसलिये सरकारी अधिकारियों को श्रमदान के लिये अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहिये। उसका मैं यह मतलब समझता हूं कि जहां कहीं जिस वक्त भी जमीन की पैमाइश हो या उसमें और तरह की इमदाद की जरूरत पड़े उसके लिये उसको तैयार रहना चाहिये। दूसरे यह कि जहां पुलिस वगैरह की बात है उसके लिये बंदोबस्त करना होगा सरकार को, क्योंकि गांव उसके लिये बंदोबस्त नहीं कर सकता है। और कुछ मैं नहीं कहना चाहता। जिस तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अमरीका की नकल सड़कों की और उसका नतीजा यह हुआ कि न अमरीका की सड़क बन पाई, न हमारी हिन्दोस्तानी बन पाई और जो पुरानी थी वह भी रुक गयी। कुछ मिट्टी डाली गयी, कुछ नहीं डाली गयी, इस तरह से इन्तजाम नहीं होना चाहिये। थोड़े में बनाने की आवश्यकता है। लेकिन जहां कहीं भी बनायी जायं पूरी तरह से बनायी जायं ताकि अगर बनाना शुरू हो तो रास्ता न बन्द हो जाय। हमारे जिले में कुछ इस तरह का काम हुआ है। हमने देखा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी योजना न बनायी जाय और चार गज से ६ गज तक बहुत मुनासिब है। इस से हमारा काम चल सकता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रातः काल से इस सुन्दर प्रस्ताव के ऊपर व्याख्यान यहां होता रहा है मैं भी सुनता रहा, लेकिन मेरे विचार

[श्री शिवनारायण]

से यह प्रस्ताव जो है वह एकांगी है। यह वन साइडेड है। इसमें जब हमने एक हिस्सा ऐसा छांट दिया तो मैं देखता हूं कि चिराग़ तले अंधेरा यहां दिखलाई देता है। यह रेजोल्यूशन ही अधूरा पेश किया गया है; हर प्रश्न पर सरकार-सरकार का नारा लग रहा है। गवर्नमेंट अपनी स्कीम के बमूजिब काफी काम कर रही है। थोड़ी सी मशीनरी गवर्नमेंट की है, उसके बमूजिब गवर्नमेंट वर्क कर रही है। प्रैक्टिकेबिलिटी हमारे सामने है। गेंदा सिंह जी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में ६० मील नयी सड़क बनायी गयी। क्या उसमें सरकार के अफसरों ने सहयोग नहीं दिया? सब न दिया। हमारे विभागों ने दिया। हमारे विभागों ने, गवर्नमेंट स्कूल्स और कालिजेज के विद्यार्थियों और मास्टरों ने सहयोग दिया जो सब सरकार के अंग हैं। सरकार उन्हें पैसा देती है। उन इंस्टीट्यूशंस को चलाती है। कैसे आप कहते हैं कि सरकार नहीं देती? सरकार देती है।। गांव सभाओं का जिक्र किया गया। पंचायत राज का जिक्र किया गया। मैं पूछना चाहता हूं सम्मानित सदस्यों से जितने यहां बैठे हुए हैं कि आपके यहां पंचायत राज कितना काम कर रहा है? आपको प्रैक्टिकल वर्क करना होगा, मैदान में उतरना होगा। आज संसार के लोग उत्थान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तूफान की तरह जा रहे हैं। दुनिया में महायुद्ध की तैयारी हो रही है, सब अपने अपने यहां तैयारी कर रहे हैं, अपनी मसिल्स को तैयार कर रहे हैं और हम और आप यहां बैठकर तू-तू मैं-मैं कर रहे हैं। हमारे सदस्य जो उधर हुए बैठे हैं, जब देवरिया में अकाल पड़ा हुआ था तो बाबू गेंदा सिंह ने यहां प्रदर्शन करवाया था, वह पैसा अगर वहीं बांट दिया गया होता तो उन भूखों को कुछ फायदा पहुंचा होता, कुछ प्रैक्टिकल वर्क हुआ होता। लेकिन आप इस तरह का सहयोग गवर्नमेंट से करते हैं। मैं जब देवरिया गया हुआ था तो वहां के लोगों ने हमसे शिकायत की कि जब यहां अकाल पड़ा हुआ था तो बाबू गेंदा सिंह जी हम लोगों को मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध उभाड़ते रहे, कोई सहयोग उन्होंने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि जितनी भी चीजें की जायं सब सुन्दर की जायं, समझकर की जायं। मैं सन् १९४९ ई० की बात बताना चाहता हूं। हमारे सम्मानित सदस्य जो आज इस सदन में नहीं हैं, बल्कि उस अपर हाउस में हैं, वे सब जर्मनी का दौरा करके लौटे तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि जर्मनी के विद्यार्थियों ने एक एक प्याली चाय के ऊपर अपने यहां की सारी सड़कें बना कर ठीक कर दीं। यहां मैंने कल देखा कि हमारे विद्यार्थियों के बीच राजनारायण सिंह जी बोले लेकिन राजनारायण सिंह जी ने एक लफ्ज भी उनसे नहीं कहा कि तुमको ये सड़कें भी बनानी हैं। उनमें आपको यह भी अपील करनी चाहिए थी। मैं आपको वेलकम करता, आपको बल्लियों उछालता कि माननीय राजनारायण सिंह जी ने यह बड़ा अच्छा काम किया है। केवल प्रचार के कार्य से काम चलता नहीं। सिर्फ कागज का पेटा भरने से काम चलेगा नहीं। हम जानते हैं कि हमारे सरकारी अफसर भी ढीले हैं। लेकिन सिर्फ उनको गालियां देने से काम चलता नहीं वह भी हमारे भाई हैं, हमारे बन्धु हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनके जिम्मे जिम्मेदारी है। जो अपनी जिम्मेदारी को रिअलाइज नहीं करेगा वह जनता और देश को नुकसान पहुंचायेगा। हम सबको अपने देश का भविष्य मिलकर बनाना है। लोग मुंह बाये हुए हैं हिन्दुस्तान को हड़पने के लिए और आज हमारे सिरहाने पर नाना प्रकार की तैयारियां हो रही हैं लेकिन हम और आप आपस में गलौन कर रहे हैं। आज सुबह भी यहां नैपाल की सीमा पर कम्यूनिस्टों के उपद्रवों आदि की चर्चा हुई। वहां पर तैयार हो रहे हैं। बन्धुओं, इसलिये मैं चाहता हूं कि हम लोग एक साथ मिलकर देश की उन्नति करें चाहे आप यहां बैठें या चाहे पं० गोविन्द वल्लभ पन्त यहां बैठें, लेकिन जहां देश की उन्नति का सवाल है वहां हम सबको यूनाइट हो जाना चाहिये। सिर्फ कपोलकल्पित बात से कोई काम बनने का नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपने यहां यह काम अपने गांव में सन् १९४९ में ही शुरू किया। हम लोगों ने सड़कों का बनाना शुरू किया। मैंने खुद खांची अपने सिर पर रखी

और जाकर सबके सड़क बनाने में कार्य किया। पिछले साल हमने अपने यहां गवर्नमेंट स्कूल में देखा कि हमारे छात्रों ने कहा कि आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पहले खांचीं उठाओ, मैंने खांची उठाई अपने सिर पर रखी और फेंकी, टीचरों ने खांची उठाई और फेंकी। आप चाहें तो बस्ती में चलकर देख सकते हैं। हमारे गांव में काम चल रहा था। हमने गांव भर के नौजवानों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि यह काम तुम करो। आज भी हमारे क्षेत्र के नवजवान लगे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, झगड़ कर पैसा लेते हैं। सरकार पैसा देती है। आप चलकर देखें, बनभान से कप्तानगंज और महराजगंज तक हमारी सड़कें बनी हुई हैं और और भी सड़कें बनी हैं। हमारे यहां टयूलबेल के लिये सरकार ने रुपया दिया है और मालवीय जी ने भारतीय सरकार से भी रुपया दिलाया है। हमारी सरकार बराबर मदद करती, रही है। लेकिन सिर्फ यह कह देने से कि सरकार बना देगी, सब कर देगी, यह असम्भव है, 'इट इज इम्पासिबिल।' खाली गवर्नमेंट के करने से कुछ काम बनेगा नहीं। इंगलैंड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, हिन्दुस्तान में भी डेमिक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के सिटीजन को आप देखें। इंगलैण्ड के सिटीजन जो हैं 'दे आर वेल ट्रेंड।' लेकिन हमारे यहां जरूरत इस बात की है कि हम मासेज को जाकर ट्रेंड करें। 'वी मस्ट गो टु दी मासेज ऐंड ट्रेन दी मासेज।' मैं माननीय राजनारायण जी को बताना चाहता हूं कि आप जाइये अपने गांवों के मासेज को दर्जा ४ तक की शिक्षा दीजिये, उन्हें पढ़ाइये, सबको लिटरेट बनाइये। ताकि सब लोग कम से कम अपने बैलेट पेपर को पढ़ सकें और आगे जो चुनाव आने वाला है उसमें ठीक वोट दे सकें। काम प्यारा है, चाम नहीं प्यारा है, सिर्फ इस तरह से रेजोल्यूशन रख देने से काम नहीं चलेगा।

एहि आसा अटक्यो रह्यौ अलि गुलाब के मूल,
अइहैं फेरि बसन्त ऋतु इन डारन वे फूल।

आप देश के उत्थान की बात सोचिये। आप पंचवर्षीय योजना का नारा लगाते हैं और हमेशा विरोध करते हैं। आप प्रैक्टिकल वर्क कीजिये और मैदान में आइये। अगर आपने मासेज को बिगाड़ दिया तो अगर कभी आप यहां बैठेंगे तो मियां आपके सिर पर यही पड़ेगा, आपको भी चौराहे पर गालियां दी जायंगी। अगर सड़कें बन गयीं तो सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, जन संघ और कांग्रेस सबके लिये सुविधा हो जायगी। गांवों में गेंदा सिंह जी को भी जाना पड़ता है और हमको भी साइकिल से जाना पड़ता है? मैं माननीय मालमंत्री जी से पुनः कहूंगा कि अबालिशन के पहिले जितनी सड़कें थीं उनको बाई फोर्स निकाल लिया जाय और हमारी गवर्नमेंट निकाल भी रही है। हमको भी सहयोग करना चाहिये। हमारे मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आप हमको समय दीजिये और हम एक एक इंच ठीक कर देंगे। अब असेम्बली दो तीन महीने के लिये बन्द हो रही है। मैं चाहता हूं कि इस बीच में हम लोग कुछ करके लौटें। जिन माननीय सदस्यों ने इस रेजोल्यूशन को रखा है वे कुछ प्रैक्टिकल काम करके लौटें और लौट करके यह बतलायें कि हमने दस मील या पांच मील सड़क बनवायी है। जब आप ऐसा करेंगे तो हम गवर्नमेंट की गर्दन पकड़ेंगे और यह कहेंगे कि आप भी पांच मील सड़क बनवाइये।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जबर्दस्ती।

श्री शिवनारायण—जबर्दस्ती नहीं बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा।

अधिष्ठता—आप किसी दूसरे सज्जन से न बात करें। अपना भाषण जारी रखें।

श्री शिवनारायण—माननीय माल मंत्री जी ने बीच में कह दिया। मान्यवर, आपके द्वारा मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग जितने यहां हैं करीब-करीब सब नौजवान हैं और देश के उत्थान के लिये डटे हुये हैं। हम गेंदा सिंह जी से एक इंच पीछे नहीं हैं। गेंदा सिंह जी एक इंच चलेंगे तो हम डेढ़ इंच चलेंगे। जहां लाल टोपी वाले चलेंगे वहां हमारी साइकिल भी पीछे रहेगी। हमारे एक मित्र ने कहा कि शिवनारायण जी झंडा साइकिल में लगाये पीछे फिर रहे हैं, उस पर मैंने यह कहा कि हम भी लाल झंडा वालों के पीछे भिड़े हुये हैं। पहाड़ों पर सड़क बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं यह चाहता हूं कि वहां भी सड़कें बनवा दी जायं ताकि मदन मोहन उपाध्याय जी की मोटरें उन पर दौड़ सकें। हमारे राजा साहब ने कहा कि हमारी मोटर के लिये सड़क चाहिये। मैं यह कहता हूं कि आपके लिये भी चाहिये और हमारे लिये भी चाहिये। मान्यवर, आपके द्वारा मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यह रिज़ोल्यूशन निहायत सुन्दर है लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिये। 'डू आर डाई।' यह नहीं होना चाहिये कि सिर्फ यह कह दिया जाय और काम कुछ न किया जाय। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं और चाहूंगा कि जब हम लोग यहां से जायं तो हम सब लोग गांव पंचायतों से, अदालती पंचायतों से, कोआपरेटिव सोसाइटीज से और डेवलपमेंट आफिसर्स से सहयोग करें, उनसे बात करें और उनसे कहें कि आइये "लेट अस ज्वाइन हैण्डस ऐंड मार्च आन।" जब हम यह नारा लगायेंगे और अपना कदम आगे बढ़ायेंगे तो आफिसर्स भी हमारे पीछे आयेंगे; यह नहीं होगा कि वे अपने बंगलों में बैठे रहें। मैं यह चाहता हूं कि यह रेज़ोल्यूशन जो सदन में आया है यह वन साइडेड न रहे बल्कि एक कम्पलीट चीज यहां पर रखी जाय ताकि जो लोग गैलरीज में बैठे हुये हैं वे भी यह कहें कि हम पब्लिक को रेप्रिजेंट करते हैं और पब्लिक के फायदे की बात करते हैं। इसलिये हमको एक नमूने की चीज यहां रखनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे लाल टोपी वाले भी इसका समर्थन करेंगे।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसके लिये मैं माननीय रमेशचन्द्र जी को बधाई देता हूं और इस संकल्प का समर्थन करता हूं। यह संकल्प बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, खासकर जनता के लिये नहीं बल्कि विधान सभा के जितने सदस्य हैं उनके लिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण जनता से विधान सभा के सदस्यों का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा और ग्रामीण जनता का चोली दामन का साथ है और इसको कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में हमें यह भी सोचना है कि ग्रामीण जनता की किस तरह से भलाई हो सकती है या हमारे प्रदेश के जो ग्रामीण हैं उनकी उन्नति कैसे हो सकती है और हम किस तरह से आदर्श ग्राम बना सकते हैं। हम जब इस प्रदेश की सरकार की तरफ देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि हमारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे गांव की जितनी सड़कें हैं या जितने रास्ते और पगडंडियां हैं उनको वह ठीक करा सके। ऐसी हालत में एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि आया हमें शान्त होकर बैठ जाना चाहिये या दूसरे उपाय निकालने चाहियें जिससे हम किसी तरह से अपने ग्रामों की व्यवस्था को सुचारुरूप से चला सकें। इसके बारे में अभी श्रमदान का जो सप्ताह था उसमें हम लोगों ने देखा कि गावों की जनता में काफी उत्साह था। गांवों के नौजवान जो फावड़ा लेकर चलते थे उनमें काफी उत्साह था और इसके फलस्वरूप ग्रामों की वह सड़कें जो कि नालों के रूप में हो गई थीं, वे अपने पुराने स्तर पर पहुंचा दी गईं और अच्छी से अच्छी सड़कें बनीं। यह भी हम लोगों ने देखा कि जिन चीजों की वजह से हमारी फसलों को नुक़सान पहुंच रहा था और गांवों की बुरी दशा होती जा रही थी उनके दूर करने के लिये हर तरह की कोशिश की गई

और उनमें हमें हर तरह की सफलता भी मिली। हां, एक प्रश्न यह उठता है कि जिनसे हम श्रमदान लेते हैं उनके लिये भी हमें कुछ करना है। उनके खाने पीने का जो सवाल है उसको भी हमें किसी तरह से हल करना है। टैक्स के सम्बन्ध में हमारी यह भावना होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा रुपया हो सके उतना लें, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि आखिर उनकी हालत क्या है। जिनसे हम टैक्स लेना चाहते हैं क्या वाकई उनके पास पैसा है या नहीं है। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हमें चाहिये कि उनके पास पैसा पैदा करने के साधन बनावें ताकि उनके पास अधिक से अधिक पैसा हो सके। तब हम उनसे अधिक से अधिक पैसा ले सकेंगे और उसमें उन्हें भी उत्साह होगा और हमें भी खुशी होगी और हमारा जितना कार्य होगा वह सुचारुरूप से हो सकेगा।

इसके साथ ही साथ मैं एक और चीज सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जब हम ग्रामीण जनता की हालत देखते हैं और अपने ग्रामों की सड़कों की ओर नजर डालते हैं तो उस वक्त हमारे सामने यह कठिनाई होती है कि हम इन सड़कों को किस तरह से तैयार करावें। कभी-कभी तो यह भी होता है कि एक सड़क जब हम बना लेते हैं फिर उसको बिगाड़ कर दूसरी सड़क हमको बनानी पड़ती है। कभी-कभी हम यह भी देखते हैं कि एक सड़क बना कर तैयार कर दी गई लेकिन बरसात के दिनों में पुलिया न होने कारण सारी मिट्टी बह जाती है। जिससे कि हमारा सारा श्रमदान का परिश्रम खत्म हो जाता है। यह भी हमारे सामने सवाल है। हमें इन चीजों को देखते हुये और इन काठनाइयों को देखते हुये सब से पहले यह कोशिश करनी चाहिये कि जितने हमारे ग्राम हैं उनकी एक योजना या प्लान होना चाहिये। अगर हम और आप ग्रामों को आदर्श बनाना चाहते हैं तो सब से पहला काम जो हमें और आपको करना है वह यह है कि एक प्लान उस ग्राम का बनाना चाहिये। हम तो यह समझते हैं कि प्रत्येक जिले में प्लानिंग डिपार्टमेंट हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं और यह ऐसे हैं जो कि बहुत ही निकटतम संबंधित हैं। इन दोनों से ग्राम योजना या सड़क वग़ैरह बनाने का जो कार्य है वह बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हमारे ग्रामों की योजनाओं से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। हमारे ग्रामों की एक प्लानिंग होनी चाहिये जिसमें हमारे चरागाह एक तरफ होंगे, स्कूल एक तरफ होंगे और बस्ती एक तरफ होगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये पगडंडियां होंगी और हमारी गलियां साफ सुथरी होंगी। इन सब बातों को देखते हुये हमें यह भी देखना है कि हमारी गांव की योजना सफल भी होगी या नहीं। इसके लिये जरूरी है कि हर जिले में प्लानिंग आफ़ीसर्स को आदेश दिये जावें कि वह एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये रास्तों की योजना बनावें ताकि खर्चा कम हो और खेत का कम से कम भाग हम रास्तों में लें। जैसा कि इस संकल्प में आया है, कुछ लोगों का यह मत है कि ६ गज चौड़ी सड़क या रास्ता अच्छा रहेगा। एक गांव से दूसरे गांव तक इतना चौड़ा रास्ता बनाना है उसे तो मैं मान सकता हूं कि इतने चौड़े रास्ते की आवश्यकता है लेकिन अगर खेतों तक जाने के लिये ही रास्ता बनाया जाता है तो वह तो इतना काफ़ी होगा कि १ या २ आदमी साथ साथ साइकिल या हल बैल लेकर निकल सकें क्योंकि हमारे हल बैल भी हैं जो काम में आते हैं। ये रास्ते तो इतने ही काफ़ी होंगे ताकि किसानों की फसलों को नुक़सान न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि हर गांव का एक प्लान होना चाहिये कि कहां-कहां रास्ते हों और वे कितने चौड़े होने चाहियें। जब एक गांव से दूसरे गांव कनैक्ट हो जावेंगे और रास्ते भी कनैक्ट हो जावेंगे तो जो कठिनाई इस समय हमारे सामने है वह जल्द से जल्द दूर हो जायगी। वे सड़कें जिनके लिये आज माननीय मंत्री जी के पास जाकर हम ठोकरें खाते हैं और प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी उनके लिये सुनवाई नहीं होती, वह दिक्कत नहीं रह जायगी। हमारी ट्रेड की पालिसी भी सफल होगी। माननीय गेंदासिंह जी ने बताया कि सड़कों के न होने से हमें अपने पैदा किये माल को ले जाने में काठनाई

[श्री कमलासिंह]

होती है। अगर अच्छे रास्ते हों तो वे माल शहरों में पहुंच सकेंगे और उनसे हमारे किसानों को अधिक कीमत मिलेगी। मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा हो कि हर गांव में हम कोआपरेटिव निर्माण करें। जितनी पैदावार गांव भर की है उसे हम जमा करके एक कोआपरेटिव बेसिस पर शहर में बेचने के लिये ले जावें तो हम उसकी अच्छी से अच्छी कीमत ले सकते हैं। उस समय हमारे सामने वह कठिनाई नहीं रहेगी कि फसल होने के वक्त हम टैक्स चुकाने के लिये कम क़ीमत पर अपना अनाज बेच देते हैं। इतना ही नहीं, हमारे अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये भी यह अच्छा साधन होगा और इससे गांव के लोग उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार जो व्यवस्था ग्रामीणों के लिये अच्छी है वह हो सकती है। एक सजेशन इसके मुताल्लिक अधिष्ठाता महोदय, और है कि जितनी सड़कें वग़ैरह हैं, हमारे कई माननीय सदस्यों ने बतलाया है कि उनकी मरम्मत और देखभाल के लिये हर तरह से कोशिश होनी चाहिये। मैं इसको मानता हूं कि उनकी मरम्मत और रखवाली होनी चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ हम जो जनता में उत्साह और उल्लास भरते हैं जिससे वह श्रमदान करते हैं, मेहनत करते हैं और गांवों की व्यवस्था को सुधारते हैं। उसको भी सुव्यवस्थित करने के लिये उनको कुछ प्रोत्साहन देने की जरूरत है। वह क्या हो सकता है वह यह है कि जिस गांव के लोग ज्यादा निर्माण कार्य करते हैं उनको किसी तरह का पारितोषिक वग़ैरह दिया जाय या यह भी हम कर सकते हैं कि जिले में जितने गांव हैं उनमें कम्पटीशन होना चाहिये और जो गांव ज्यादा से ज्यादा तादाद में निर्माण कार्य करे वहां अगर टयूबवेल लगाना हो तो उसको लगवा दिया जाय और जहां टयूबवेल वग़ैरह लगाना नहीं चाहते हैं वहां पर उनको ईंटें वग़ैरह इनाम में दी जायं जिससे वे लोग पुलिया वग़ैरह बना सकते हैं। इसी तरह की और भी चीजें होनी चाहिये। इसके अलावा सिंचाई वग़ैरह की चीजें भी दें। अगर हम इस तरह से जनता को साधन देंगे तो जनता को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्नति के कार्यों में अधिक से अधिक हिम्मत और उत्साह के साथ काम करेगी और हमारी जो योजना है उसको सफल बनाने में हमें सहयोग देगी। इन शब्दों के साथ मैं श्री रमेशचन्द्र जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामस्वरूप गुप्त (ज़िला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रस्ताव जो आज भवन के सामने उपस्थित है एक बड़े महत्त्व का और एक ऐसा प्रस्ताव है कि भवन के हर एक वर्ग से उसको समर्थन प्राप्त हुआ है। जिस जमाने में हमारे देश में सड़कों का निर्माण अंग्रेजी सरकार ने कराया था उसका दृष्टिकोण देश के विकास का नहीं था। केवल फौजी कारणों से, मिलिट्री रीजन्स से पहले सड़कें बनाई गईं और रेलें बनाई गईं। फल यह हुआ कि हमारे देश में सड़कें और रेलें समानान्तर जाती हैं। चाहिये यह था कि रेल की लाइन जिधर जाती, सड़क की लाइन दूसरी तरफ से जाकर उसको फीड करती यानी उसको मिलाती। यदि इस तरह से होता तो एक इकोनोमिक इवौल्यूशन में सहायता मिलती। इसके बजाय यह हुआ कि इधर तो ग्रांड ट्रंक रोड निकाली उधर ई० आई० आर० रेल की लाइन भी डाल दी गई। दोनों करीब-करीब समानान्तर हैं। इसी प्रकार से दूसरी सड़कों और रेलों के निर्माण में हुआ। तो जो बड़ी आवश्यकता हमारे देश के सामने बंटवारे के लिये एक नेट वर्क की होती, उसकी पूर्ति नहीं हुई।

हममें से हर कोई जानता है कि देहाती क्षेत्रों में सड़कें नाम मात्र की हैं। उनको क्या कहा जाय सड़कों और रास्तों का नाम न लेकर उन्हें एक खांचा कहा जाय तो मुनासिब होगा जिनमें गाड़ी फंस जाती है। एक गाड़ी के निकलने का मुश्किल से रास्ता है और दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती है और वह भी कटते-कटते रास्ता ऐसा हो गया है कि एक गाड़ी का भी निकलना मुश्किल है।

इसलिये जो प्रस्ताव आज भवन के सामने लाया गया है वह देश के आर्थिक विकास के लिये एक आवश्यक प्रस्ताव है। अब प्रश्न यह है कि इसको पूरा कैसे करें। यह स्पष्ट है कि ग्राम सभाएं ग्राम पंचायतें जो कायम हैं वही गांवों के रास्तों को ठीक करने का सबसे अच्छा माध्यम हैं। हमारी उन ग्राम सभाओं को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिये इस काम के लिये उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। ३५ हजार ग्राम सभाएं और पंचायतें कायम करके हमने अगर कहीं रुपये की बचत की है तो इस पंचायत के कोष में की है जब कि सबसे अधिक काम उनके सामने है। इस प्रस्ताव को अगर हमें पूरा करना है तो ग्राम सभाओं को हमें कुछ ज्यादा आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। एक पूर्व वक्ता कह रहे थे कि ग्राम सभाओं से आधा रुपया लिया जाय। मैं यह कहता हूं कि यह न कहके कहना यह चाहिये कि ग्राम सभाओं को आधा रुपया दिया जाय कि जो आधा खर्चा रास्तों के दुरुस्त करने का अपने श्रमदान के द्वारा अथवा अपने पंचायत कोष से करेंगी तो प्रान्तीय सरकार भी किसी अनुपात में उनको अधिक सहायता देगी। दूसरा प्रोत्साहन का जरिया यह हो सकता है कि अभी हमने पंचायतों को बहुत से क़ानूनी अधिकार दे दिये हैं। मैं हमेशा से इस मत का रहा हूं कि ये अदालती अधिकार हमको क्रमशः देने चाहिये थे और जो ग्राम सभाएं निर्माण कार्य को ज्यादा सफलता से, ज्यादा उत्साह से प्रतिपादित कर दें उनके अदालती अधिकार हम क्रमशः बढ़ाते रहें। तो उससे दो लाभ होते कि अभी पंचायतों के चुनाव में लोगों की बड़ी भारी प्रतिस्पर्धा अदालती पंचायत के चुनाव के लिये होती है और जो गांव सभाएं हैं उनके लिये नहीं होती है, तो जो लोग न्याय पंचायत के पंच हैं उनको भी प्रतिस्पर्धा होती कि वे लग कर गांव के निर्माण का कार्य करें ताकि उनके पंचायत के अधिकार पहले से अधिक बढ़ जायं।

तीसरा सुझाव इस काम के पूरा करने के सम्बन्ध में जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि श्रमदान का कार्य पिछले वर्ष हमने स्वतंत्रता पक्ष मना कर किया था वह तो बहुत सफल हुआ था, लेकिन दूसरा पक्ष जो हमने मनाया उसमें हमको सफलता नहीं मिली, मान लेना चाहिये कि बहुत कम सफलता मिली। तो कारण यह है कि जिस समय हम यह श्रमदान का पक्ष मनायें उस समय हमें अपने देश की रीतों और ग्राम वालों के काम-धंधे के अनुसार, सुभीते के समय को देख कर ही यह कार्यक्रम बनाना चाहिये। उन्नाव के हमारे प्रतिनिधि, पंडित देवदत्त मिश्र, ने एक बड़ा उपयोगी सुझाव दिया है कि सड़कों के निर्माण के लिये सब से अच्छा पक्ष गांधी पक्ष हो सकता है, जो २ अक्टूबर से प्रारम्भ होता है। उस समय वर्षा लगभग समाप्त हो चुकती है, सबका ध्यान इस पर होता है कि हम अपने बिगड़े हुये रास्तों को ठीक कर लें। इसलिये इस आगे आने वाले गांधी पक्ष में उपयुक्त अवसर होगा कि हम इस काम को, जो आज इस भवन में प्रस्ताव द्वारा करना चाहते हैं, अपने हाथ में लें।

दूसरी बात मुझे एक और भी कहनी है कि मिट्टी का काम ऐसा है कि अगर आप उसको एक दफा करके मजबूत नहीं करते हैं तो अगली बरसात में बह जाता है और आपका किया हुआ श्रमदान सब अकारथ चला जाता है। पिछले श्रमदान में यही हुआ कि हमने जनवरी में काम किया। उसके बाद जो अप्रैल में सप्ताह मनाया तो उसमें सड़कों की मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया गया और इस बरसात में हमारा किया हुआ बहुत कुछ काम चला गया।

ठीक यह होगा कि हम गांधी पक्ष में रास्तों के निर्माण का काम करें और अगली बार जब स्वतंत्रता सप्ताह जनवरी में आय तब हम उनकी मरम्मत का काम करके उनको मजबूत कर दें। वह रास्तों के निर्माण का इतना अच्छा और मजबूत काम हो जायगा कि अगली बरसात में टिकाऊ रहेगा। जब निर्माण का काम करना ही है तब इन व्यावहारिक बातों की तरफ ध्यान रखना आवश्यक है और तभी हम सफलता भी मिल सकती है।

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

अब एक बात मैं आपके सामने अपने जिले की रखना चाहता हूं। नियोजन विभाग के उपमंत्री जी अभी दो महीने पहले हमारे यहां जहां अच्छी-अच्छी सड़कें बनी थीं उनको देखने के लिये गये थे। उनसे संतुष्ट होकर उन्होंने १ लाख ७० हजार की ग्रांट हमारे जिले की ग्राम पंचायतों को घोषित की। हमने उसके अनुसार अपना प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने में करीब एक माह लग गया लेकिन दूसरे ही महीने वहां सूचना गयी कि आपकी ग्रांट का रुपया ८५ हजार ही रह गया है। यानी आधा ही कर दिया गया और इस आधे रुपये में भी सूरत यह है कि जब गांव वाले नालियां ठीक कर लेंगे और दो हिस्सा काम कर लेंगे, जब उसकी रिपोर्ट की जायगी तब एक हिस्सा रुपया प्लानिंग विभाग को दिया जायगा जो उसको ग्राम पंचायत को देगा। इस प्रकार से हम ग्राम सभाओं में जिस प्रोत्साहन को पैदा करना चाहते हैं, उसको पैदा नहीं कर सकते। अगर हमें उनसे काम कराना है तो हमें उनको सुविधा देनी चाहिये। जिन ग्राम सभाओं ने पिछले श्रमदान के समय अच्छा काम किया था अथवा जो अपने पैसे से या श्रमदान से आधा काम कर लें उनको विश्वासपूर्वक सहायता मिलनी चाहिये तभी काम अच्छे प्रकार से हो सकता है। मैं फिर अपने जिले के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो योजना कानपुर जिले के लिये पहले भेजी गयी थी उसी के अनुसार वहां की योजना बनाई जाय क्योंकि इस तरह आज कोई प्रोग्राम बनाया गया और कल उसमें फिर कांट-छांट कर दी गयी इससे बड़ी रुकावट पैदा होगी।

हमारे मित्र गेंदा सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि जब से जमींदारी प्रथा समाप्त हुई है गांवों की तरक्की का एक जरिया समाप्त हो गया है। मुझे यह जानकर कुछ आश्चर्य हुआ क्योंकि जमींदारी प्रथा के समर्थन में एक नयी दलील पेश की गयी कि गांवों की उन्नति के बहुत से काम जमींदार करते थे। लेकिन अगर आप देखें तो स्थिति इसके बिलकुल विपरीत थी। अगर जमींदारों ने गांवों की उन्नति की होती तो जमींदारी को खत्म करने की जरूरत ही न आयी होती। असल में कोई ऐसा काम जमींदारों की तरफ से नहीं हुआ। उसके विपरीत ग्राम सभाओं की स्थापना से गांवों में एक नया उत्साह और एक नयी स्फूर्ति पैदा हो गयी है। यदि हम सरकारी योजनाओं द्वारा उनको प्रोत्साहित करें तो गांव वाले काम करने के लिये तैयार हैं। मैं तो यह कह सकता हूं कि पिछले दो सालों में हमारी ग्राम सभाओं ने जो काम कर दिखाये हैं वह पिछले ५०–१०० वर्षों में भी नहीं हुये।

मैं इस अवसर पर अपने पुराने पंचायत राज के संचालक, श्री भगवत नारायण भार्गव, को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने गांवों में बड़ी सफलता से स्फूर्ति पैदा की। उन्होंने उनकी नब्ज पहचानी, उन्होंने गांव वालों के जिनियस को पहचाना और उन्होंने समझा कि क्या चीज गांव वालों को अपील करती है। गांवों की गांव सभाओं में तो उन्होंने कार्य करने का उत्साह पैदा किया और ग्राम पंचायतों में एक ईमानदारी और सत्यता का बरताव और सत्य निष्ठा का भाव पैदा किया। तो यदि गांव सभाओं को हम सफल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने ग्राम वासियों की जो उनकी मनोवृत्ति है, जो उनका स्वभाव है, जो उनकी प्राकृतिक व स्वाभाविक जिनियस है उसके अनुसार ही काम करना होगा, एक बात। और दूसरी बात यह कि गांव की परिस्थिति के अनुसार, वहां की ऋतु के अनुसार, वहां के काम-धंधों के अनुसार हमें समय और काम करने का तरीका सोचना पड़ेगा और तब हम अपनी इस योजना में सफल होंगे।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द कर दी जाय।

श्री चरण सिंह—मुझे कोई एतराज नहीं है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अब इस प्रस्ताव पर जो विवाद चल रहा था उसे समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव का विषय कितना महत्वपूर्ण है और कितनी अहमियत रखता है और गांव के जीवन के लिये सड़कों का या यातायात के साधनों का कितना महत्व है यह इस बात से जाहिर है कि सदन के सभी वर्गों और सभी बेंचेज की ओर से इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि सड़कों की बड़ी जरूरत हमारे गांवों में है। कम्युनिकेशन्स की जरूरत गांवों में ही नहीं, एक प्रकार से सारे देश में है। विकास के जितने भी साधन हैं, मैं समझता हूं कि उसमें सड़क और कम्युनिकेशंस बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। हमारे देश में मैं यह समझता हूं कि सबसे पहला स्थान जहां आबपाशी और सिंचाई के साधन को मिलना चाहिये और दूसरा पावर को यानी बिजली पैदा करने को मिलना चाहिये, उसके बाद तीसरा स्थान यातायात के साधन को या मीन्स आफ कम्युनिकेशंस को मिलना चाहिये। सड़क एक ऐसी चीज है कि जिससे हर व्यक्ति को फायदा पहुंचता है। सिंचाई से भी जो किसान खेती करता है उसको भी फायदा पहुंचता है लेकिन एक प्रकार से सारे राष्ट्र को उससे फायदा होता है क्योंकि उसकी पैदावार न हो या देश में अन्न की पैदावार कम हो तो सारे राष्ट्र के जीवन को हानि पहुंच सकती है। तो इस लिहाज से तो जरूर सिंचाई के साधन, मीन्स आफ इरीगेशन, पहला स्थान रखते हैं लेकिन मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स यह एक ऐसी चीज है, एक ऐसा साधन है कि जिससे हर व्यक्ति को बिला लिहाज उसके पेशे के, बिला लिहाज इस बात के कि वह शहर में रहता है या गांव में रहता है, बिला लिहाज इस बात के कि वह गरीब है या अमीर है, पढ़ा लिखा है या अपढ़ है यानी हर आदमी उससे फायदा उठाता है। तो सड़कें बहुत जरूरी हैं। गांव की सड़कें और भी ज्यादा जरूरी जिस वजह से हो जाती हैं वह यह है जिसकी ओर माननीय गेंदा सिंह जी ने संकेत किया था जब कि वे पहाड़ों का जिक्र कर रहे थे कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के जितने साधन हैं उनमें गांव के कम्युनिकेशंस का अच्छा होना भी एक साधन है। किसान वक्त पर जब कि बाजार में भाव अच्छा होता है अपनी जिन्स मंडी में नहीं ला सकता है अगर उसके यहां की सड़क अच्छी न हों और अगर सड़कें खराब हों और वह लाना भी चाहे तो ला नहीं सकते हैं। वैसे तो बरसात में सड़कें खराब हों मंडी, गांव और कस्बे तक चाहे भाव कितना भी अच्छा हो गांव से जिन्स आ नहीं सकती। और टूटी-फूटी सड़कें हों और भले-बुरे कुछ रास्ते हों तो भी उसका किराया इतना ऊंचा हो जाता है कि जितना लाभ उसको होना चाहिये था उतना लाभ किसानों को होता नहीं है। खास तौर से हमारे बागीचे के रकबे में ये रुकावटें हैं। और उन रुकावटों में एक बड़ी रुकावट मीन्स आफ कम्युनिकेशंस की कमी अर्थात् मोटे शब्दों में सड़कों का न होना है। अगर देहातों के अन्दर अच्छे फलवाले बागीचे हों अच्छे फलवाले ही क्यों किसी भी किस्म के फल के बागीचे हों और उसके फलों को वक्त पर देहली, लखनऊ या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में न पहुंचा सकें तो वह फल सड़ जाता है और फिर बड़ी भारी क्षति किसान को या उस बागदार को उठानी पड़ती है। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि ये हमारी गांव की सड़कें, रास्ते, दगड़े या खोर या जो भी शब्द सड़कों और गलियों के लिये लिया जाता हो अगर वे अच्छे हो जायं तो हमारे किसान की आमदनी में उम्मीद है कि ५ फीसदी का इजाफा हो जाय अगर ज्यादा का न हो तो इस तरीके से सड़कें बहुत जरूरी ठहरती हैं।

फिर दूसरी बात यह है कि किसानों को आम तौर पर कस्बों में या शहरों में आने जाने का काम पड़ता है अब सड़कें न होने के कारण उसका समय बहुत नष्ट होता है। मान लो मुकदमे के लिये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या तहसील टाउन में आना है तो वह एक रोज पहले चलता है और जिस रोज का काम है वह काम अपने कस्बे में या कचेहरी में एक रोज करता है और उसका तीसरा रोज भी खराब होता है। अगर सड़कें हों और जहां सड़कें होंगी वहां मोटरें अपने आप चलने लगेंगी तो उसका बहुत सा समय बच जायगा और उस समय को अपनी खेती करने में लगायेगा। अधिष्ठाता महोदय, तो यह स्वयं सिद्ध-सी बात है कि सड़कें बहुत जरूरी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि हम मौजूदा स्थिति में क्या कर सकते हैं। जहां तक पुख्ता सड़कों का वास्ता है उसके लिये बहुत रुपया चाहिये। डामर की सड़कों या कोलतार की सड़कों या सीमेंट की सड़कों में ७० हजार रुपये फी मील लगता है। तो पुख्ता सड़कें हमारे लिये एक प्रकार से कम से कम देहातों के लिये इस हद तक सड़कें पुख्ता हर गांव में हो जावें यह स्वप्न है और यह इच्छा हमारी बहुत

[श्री चरणसिंह]

दिनों में जाकर पूरी हो सकती है। खैर, मैं इस बात को जानता हूं कि यह प्रस्ताव पुख्ता सड़कों से वास्ता नहीं रखता। यह प्रस्ताव गांव के कच्चे दगड़ों से और रास्तों से वास्ता रखता है। लेकिन पुख्ता सड़कें हों या न हों या उनके बनाने में देर लगे तो लगे लेकिन अगर हमारी कच्ची सड़कें सही हालत में हो जायं तो भी गांव वालों को बहुत राहत पहुंच सकती है, यह मुझको तसलीम है कि गांव के दगड़ों की क्या हालत है। इसका वर्णन करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सब लोगों ने उनकी हालत को देखा है। हममें से हर एक नहीं तो कम से कम ९० फीसदी आदमी देहातों को कांस्टीट्युएंसी से हो कर आये हैं और जो देहात से निर्वाचित होकर नहीं आये उनको भी देहात का पूरा तजुर्बा है। किसी को रिश्तेदारी से, किसी को एलेक्शन के काम से, किसी को कांग्रेस के काम से, और किसी को कोई दूसरा काम रहा होगा। कोई ऐसा आदमी यहां पर नहीं है जो यहां पर बैठा हो और जिसको गांव न जाना पड़ा हो। किसी का बैलगाड़ी से, किसी का जीप से और किसी को साइकिल से वहां पर जरूर जाना पड़ा है और पड़ता है और उनके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि २,४ घंटे उनको वहां जंगल में सवारी की खराबी की वजह से बिताने पड़े होंगे। हर एक को इस बातका तजुर्बा है और यह वाक़या सब के सामने आ चुका है। उसका कारण आमतौर पर कम से कम बरसात के दिनों में दगड़े और सड़कों का खराब होना है। अभी ५ तारीख को मुझे अपने गांव जाना पड़ा और यह मेरे पास जीप भी थी लेकिन रास्ते में वह अटक गयी और २।। घंटे मुझको वहां पड़ा रहना पड़ा। मेरे गांव के लोगों ने देखा और जब वहां से वह आये तब उसको रस्सी से बांधकर निकाला। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को एलेक्शन का तजुर्बा है उनके सामने भी ऐसे वाक़ये आ चुके हैं। तो सड़कें हमारी बहुत खराब हैं। पक्की न सही कच्ची सड़कों की हालत बहुत खराब है। अब प्रश्न यह है कि क्या यत्न किया जाय। यह प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे यहां पहाड़ी इलाकों को मिलाकर १ लाख १२ हजार गांव के करीब हैं और २ लाख ५७ हजार मजरे हैं, उपगांव हैं। तो जरूरत यह है कि हरएक गांव और हर मजरे को उसके चारों तरफ से एक अच्छे दगड़े के जरिये सम्बन्धित किया जाय। तो इन आंकड़ों से और इस बात से हमारे सूबे की लम्बाई तो करीबन् ६०० मील है और इसका रकबा करीब ७ करोड़ २६ लाख एकड़ है। यह एक पूरा का पूरा देश है। बहुत से देशों की इतनी आबादी और इतना रकबा नहीं है। तो इतने लम्बे इलाके के क्षेत्रफल में इतने ज्यादा गांव और उन गांवों से ढाई गुना तादाद के मजरों की है जो इतने लम्बे एरिया में फैले हुये हैं। उन सब गांवों के दगड़े और सड़कों रास्तों का काम बहुत बड़ा काम है। अगर सरकार अपने खर्चे से उस काम को करे, अगर २–३ साल तक सारे मुहकमे बन्द करके सारा बजट का रुपया इसमें खर्च करे तब भी मैं यक़ीन के साथ नहीं कह सकता कि यह दगड़े जैसा हम चाहते हैं वैसी हालत में हो जायेंगे। तो इसलिये गवर्नमेंट से यह उम्मीद करना कि वह दगड़े अपने खर्चे से, अपने इंजीनियरों के जरिये से, अपने राज्य कर्मचारियों से ठीक करा दे, दुरुस्त कराये या जहां पर गड्ढे हैं उनको भरवाये तो मैं यह समझता हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुये हैं वह गवर्नमेंट से ऐसी आशा नहीं करते। तो फिर क्या किया जाय? बरना हमको वही है जो हमारी स्थिति है और जो साधन हमको उपलब्ध है उनका बेहतर इस्तेमाल और बेहतर उपयोग। और वह हमारी मेन पावर है, जन शक्ति है, श्रम शक्ति है। हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो पूंजी है वह हमारे आदमी है और हमारे आदमियों के हाथों की तादाद है और वह करोड़ों की संख्या में है। तो उनके जरिये ही हम अपनी कच्ची सड़कें या दगड़ों को ठीक कराने की उम्मीद कर सकते हैं।

अब मैं और ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा। जो जरूरी बातें है वही मुख्तसर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां दो तरह के दगड़े हैं एक तो वह दगड़े जो पुराने हैं और दूसरे नये दगड़े जो कायम करना हैं। एक तो जो पुराने दगड़े हैं उनको अच्छी किस्म के रास्ते बनाना या जहां दगड़े नहीं हैं वहां नये दगड़े कायम करना। जहां तक पुराने दगड़ों का वास्ता है अगर वह जिस तरह से कि

शजरे में या बन्दोबस्त के कागजात में दर्ज हैं उतनी ही लम्बाई-चौड़ाई उनकी है जो दिखलाई गई है तब तो कोई दिक्कत की बात न होती लेकिन हुआ यह है कि वह दगड़े दोनों तरफ से खेत बढ़ा कर तंग किये गये हैं और इसका नतीजा यह हुआ है कि वहां से एक बैलगाड़ी भी निकलना मुश्किल है और अगर कहीं दूसरी बैलगाड़ी सामने से आ जाती है तो नतीजा यह होता है कि एक पहर तो किसानों का वहां खराब हो ही जाता है क्योंकि उन्हीं दगड़ों में होकर वहां का ड्रेनेज भी बन गया है और वह खेतों से नीचे हो गये हैं और खेतों का पानी उन्हीं में होकर बहता है और वह नीचे होते चले जाते हैं। वह जब ऐसे गहरे हो गये हैं और एक गाड़ी इधर से और एक उधर से आ जाती है तो सिवा इसके कि उनमें से एक का सामान उतारा जाय और उसे खाली करके खेत में चढ़ाया जाय तब कहीं मुकाबले की गाड़ी निकलती है और फिर उसका सामान भरा जाता है, फिर उसको दगड़े पर लाया जाता है और तब कहीं वह मंजिले मकसूद पर पहुंचती है। यह सब तकलीफ दगड़ों के टूटने के कारण होती है चूंकि वह तंग कर दिये गये हैं। दूसरा कारण तकलीफ का यह है कि दगड़ों का लेविल आसपास के खेतों से नीचा हो गया है और अगर वह ऊंचे हो जायं तो इतनी जल्दी न कटा करें। अभी कई माननीय दोस्तों की तरफ से शिकायत की गई और जायज शिकायत की गई कि कहीं कहीं पर बहुत मेहनत करके मिट्टी डाली गई, श्रमदान किया गया और दगड़े बनाये गये और बरसात में वह कच्ची मिट्टी फिर बह गई, वह बह तो जाती ही लेकिन वह वहीं बहती है जहां दगड़ों का लेविल खेतों से नीचा है, अगर वह लेविल ऊंचा हो तो वह बहेगी तो जरूर लेकिन उसमें बरसात बाद थोड़ी सी मरम्मत की ही दरकार होगी और फिर उसी से काम चल सकता है। इसलिये जरूरत इस बात की भी है कि जहां सड़कों को चौड़ा किया जाय वहां उनको ऊंचा भी किया जाय। इस बारे में मौजूदा कानूनी स्थिति क्या है और हम यह काम कैसे कर सकते हैं यह मैं बतला दूं। पहले से एक दफा १३३ जाब्ता फौजदारी में मौजूद है जिसमें साफ दिया हुआ है कि किसी किस्म के आब्स्ट्रक्शन के लिये एस०डी०ओ० या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त देने पर बिला लिहाज मियाद या मुद्दत के कि कब से आब्स्ट्रक्शन है या कब से तोड़े हुये हैं। मैं आप की इजाजत से इस दफा १३३ में से पढ़े देता हूं।

"Whenever a District Magistrate, a Sub-Divisional Magistrate or a Magistrate of the first class considers on receiving a police-report or other information and on taking such evidence (if any) as he thinks fit, that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public, or from any public place, such Magistrate may make a conditional order requiring the person causing such obstruction or nuisance, to remove such obstruction or nuisance; to appear before himself or some other Magistrate of the first or second class, at a time and place to be fixed by the order, and move to have the order set aside or modified in the manner hereinafter provided."

मतलब यह है कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या किसी और तरह से यह मालूम हो जाय कि किसी आम रास्ते में रुकावट है तो वह रुकावट पैदा करने वाले आदमी को हुक्म दे सकता है कि किसी दी हुई मुद्दत के अन्दर वह उस रुकावट को दूर कर दे और अगर वह ऐसा न करे तो आगे चल कर जो सेक्शंस हैं उनमें दिया हुआ है कि वह मैजिस्ट्रेट उस रुकावट को खुद अलहदा करा दे। तो दफा १३३ बहुत साफ है।

माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने एक बात उठायी कि दफा १३३ पर अमल करने के लिये यह जरूरी है कि रास्ता रेकार्डेड हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह है कि रास्ता हो और मजिस्ट्रेट को इतमीनान है कि यह थारोफ़ेयर है। पब्लिक के इस्तेमाल में आता है। तो चाहे खसरा में दर्ज हो या न हो बिलालिहाज इसके कि कितने दिन से तोड़ा हुआ है उसको साफ करा सकता है। तो यह बहुत सहल तरीका पुराने रास्तों को ठीक कराने का है।

[श्री चरण सिंह]

इस सिलसिले में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेट इस बात की परवाह नहीं करते हैं। हो सकता है कि यह बात सही हो। लेकिन मैं यह समझता हूं कि दफा १३३ के मातहत बाकायदा एक दरख्वास्त दी जायगी तो यह सेमी जुडीशल मैटर है। महज इक्जीक्यूटिव नहीं है। जिस तरह से दफा १०७, १०९ और ११० जो प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं, क्वासी जुडीशल हैं मेरा खयाल है कि इस की कार्यवाही भी क्वासी जुडीशल है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आचार्य लक्ष्मीरमण जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दुरुस्त कर दिया। मैंने कभी फौजदारी की वकालत नहीं की। उन्होंने बताया कि बिलकुल अदालती मामला है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई भी शख्स जो कि रास्ते से फायदा उठाता रहा है या उठाने का मुस्तहक है अगर एक दरख्वास्त १५ आने की दे दे सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के यहां तो बाकायदा मुकदमा हो गया। असल बात यह है कि हम में से बहुत से साहबान सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहीं प्लानिंग कमेटी में मुलाकात हो गयी, कहीं कभी कोई गांव वाला आ गया तो सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट से जिक्र कर दिया कि फलां जगह रास्ते बड़े खराब हैं। ठीक हो जाने चाहिये। वह उसका कागनीजेंस नहीं लेते लेकिन अगर दफा १३३ के मातहत पंदरह आने की दरख्वास्त दे दी जाती है तो उनको कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसमें खर्चा बहुत कम होता है। सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट खुद मौके पर जा कर तहसीलदार को भेज सकता है और उसकी पैमाइश करा कर सफाई करा सकता है। मैं जानता हूं जो उसमें दिक्कतें हैं। उनके मुताल्लिक मैं बाद में जिक्र करूंगा।

दूसरी बात यह है कि पंचायत राज ऐक्ट की धारा १५ की उपधारा "ए" और एफ दो उपधारायें हैं। "ए" तो यह है कि गांव पंचायत का फर्ज है कि गांव के रास्तों का रखरखाव करे। उनकी सुरक्षा रखे और उपधारा एफ में यह है कि उसमें जो रुकावट हो उसको दूर करा दे। इस प्रकार दफा १३३ में सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को जो अधिकार है वही अधिकार गांव पंचायत को है। तो दूसरा रास्ता यह है। पंचायतें उन रास्तों को खुद ठीक करा सकती हैं। वे सभी कुछ कर सकते हैं जितना कि सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को अख्तियार है। तो यह पावर उनको हासिल है।

तीसरी बात यह है कि जो रास्ता किसी जमींदार ने खुद तोड़ लिया या किसी काश्तकार का उन्होंने तुड़वा दिया....

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि मेरे लिये कुछ ज्यादा समय होगा ?

अधिष्ठाता—२५ मिनट मैंने आपको दिया, औरों को १५ मिनट दिये गये।

श्री चरण सिंह—तो मैं जरा इजाजत चाहूंगा कि मुझे कुछ और वक्त दे दिया जाय।

अधिष्ठाता—बहुत अच्छा, आप जारी रखें।

श्री चरण सिंह—मैं यह कह रहा था कि ८ अगस्त, सन् १९४६, से लेकर ३० जून, १९५२, तक अर्थात् जिस रोज जमींदारी खत्म करने का प्रस्ताव इस सदन ने मान लिया और जमींदारी खत्म हुई उस बीच में अगर कोई रास्ते तोड़े गये या जेरकाश्त लिये गये तो उनके मुताल्लिक अभी जून क महीने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आदेश गये हैं कि वह गांव पंचायत से इस तरह की रिपोर्ट मांग कर और अगर खुद जरूरी समझे तो अदालत दीवानी में भी दावा दायर कर सकते हैं। यह तीसरा रास्ता है। लेकिन इसको अख्तियार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह बाकायदा नम्बरी नालिश दायर करनी होगी और इसमें ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा परेशानी होगी जबकि एक दो समरी रेमेडीज एस० डी० ओज० और पंचायतों की मौजूद हैं। लेकिन जो कानूनी साइड है वह मैं अर्ज करना चाहता था।

चौथी बात यह कि अधिष्ठाता महोदय, मुझे नाम याद नहीं रहा लेकिन किसी माननीय सदस्य ने यह जिक्र किया था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और प्लानिंग आफिसर्स को यह अख्तियार दे दिया जाय कि वह रास्ते के लिये जहां चाहें और जब चाहें जमीन अक्वायर कर लें। तो यह अख्तियारात उनको पहले से दिये हुये हैं, नये अख्तियारात देने की हरगिज जरूरत नहीं है। यह सन् १९५१, में दे दिये गये थे। आपकी इजाजत से मैं सुनाना चाहता हूं यह ७ दिसम्बर, १९५१, का जी० ओ० है और यह गजट में छपा हुआ है और इस तरह से है।

"In exercise of the powers conferred by clause(v) of sub-section (2)of section 2 of the U. P. Rural Development (Requisition of Land) Act, 1948 (U. P. Act XXVII of 1948), the Governor of Uttar Pradesh is hereby pleased to declare (1) the laying of village paths and roads, (2) the establishing of instructional or demonstrational farms attached to village schools, Panchayatghars or seed stores, to be objects essential for the development of Agriculture and improvement of the life of community in Rural Areas."

इसका मतलब यह है कि यह जो ऐक्ट दिया हुआ है रूरल डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४८, इसके मातहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गांव के विकास के लिये, अगर कहीं आराजी लेने की जरूरत हो तो उनको सरसरी, समरी पावर्स दे दी गयी थी कि लैन्ड इक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत कार्रवाई न करके समरी तरीके पर बिना गवर्नमेंट को रेफर किये हुये जमीन अक्वायर कर लें। रूरल डेवलपमेंट की जो बाडीज है उन में एक आब्जेक्ट यह भी गिना दिया गया है कि सड़क बनाना। तो जहां सड़क उन को नयी निकालनी है या जहां पहले से उसकी चौड़ाई दी हुई है शजरे में तो उसके लिये उनको समरी पावर्स हासिल हैं। तो अगर कहीं जरूरत हो इस तरह की और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस बात के लिये तैयार हों और जरूरत समझें तो मैं माननीय मित्रों से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने जिलों में जा कर सरकारी अधिकारियों का ध्यान इस सरक्युलर की ओर दिलायें और जहां भी चाहें अपनी कांस्टिट्युएंसीज में, उनके जरिये इस तरह की जमीन अक्वायर करा सकते हैं।

अब यह बात रही जो मौजूदा सड़कें हैं उनके मुताल्लिक और जो नयी सड़कों का कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में जैसा कि सब दोस्तों को तस्लीम है यह दिया हुआ है कि नये दगड़े बनाये जायेंगे और यह काम किया जायगा। परन्तु कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स में पांच-छः साल लगेंगे। अभी दो जिलों में उसका काम जारी करने की तजवीज है। कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट के लिये जो प्रेसीडेंट की असेंट की जरूरत है वह नहीं आ पायी है।

अगले साल मैं उम्मीद करता हूं कि शायद २ जिलों में यह काम शुरू हो सकेगा। उससे अगले साल शायद सारे सूबे में हो सकेगा। तो इस तरह से एक साल में एक तहसील ली जा सकेगी। तो उसमें यह सड़कें और दगड़े जो हैं वह भी ठीक हो जायेंगे जैसा कि वहां की लैंड मैनेजमेंट कमेटी और पंचायत चाहेगी। उसके मुताल्लिक और एक ऐक्ट बनाना जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने सुझाव दिया है जिससे जमीन ऐक्वायर की जाय और उसमें मुआवजा दिया जाय और सारे सूबे में एक इस तरह का आन्दोलन हो, मैं नहीं समझता कि यह चीज कहां तक काबिले अमल होगी क्योंकि उसमें जहां आज खेती हो रही है, उन खेतों को लेना होगा। जो कि पुराने दगड़े बने हुये हैं उन को लोग दबाये हुये हैं और अगर कोई आदमी आज दफा १३३ के मातहत उन दगड़ों की सफाई की दरख्वास्त नहीं देता है वह इसीलिये कि उसको इतने आदमियों से दुश्मनी लेनी होगी, तो जब मौजूदा दगड़े जो कि सार्वजनिक थे, जो कि पब्लिक लैंड थे उनको दबाये हुये हैं और दबाने वालों की नाराजगी खरीदने के लिये लोग तैयार नहीं हैं और यह रुकावट पड़ी हुई है तो फिर यह कि जहां पर बराबर खेत बने हुये हैं और प्राइवेट लैंड हैं उनके लिये एक अलग कानून बनाकर और नये दगड़े बनवाये जायं। जमीन अक्वायर की जाय, तो मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य गौर करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह काम बहुत दिक्कततलब होगा और इसीलिये कोई अलग से ऐक्ट बनाने की जरूरत

[श्री चरण सिंह]

नहीं है बल्कि हमको इन्तजार करना चाहिये इस बात के लिये कि कंसालिडेशन आफ लैंड होल्डिंग्स जब होंगी तो उस वक्त ये दगड़े भी बन जायेंगे। इस वक्त जो मौजूदा रास्ते हैं मैं समझता हूं कि वह बहुत काफी हैं और अगर उन्हीं को और ऊंचा किया जाय, कुछ और चौड़े हो जायं, उन पर मिट्टी डाल दी जाय तो गांवों के किसानों की और गांवों के रहने वालों की बहुत हद तक मुश्किलात हल हो सकती हैं और यह काम जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं श्रमदान के जरिये ही कराना चाहिये। एक बात यह कही गई है, दो तीन दोस्तों ने जिक्र किया कि तीन डिपार्टमेंट्स हैं, मुहकमा माल, मुहकमा पंचायत राज और मुहकमा नियोजन; इन तीनों में कोआर्डिनेशन या आपस में कुछ सामंजस्य नहीं है, मेल नहीं है, मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि जहां तक सड़कों का ताल्लुक है इस तरह की कोई बात पैदा नहीं होती। श्रमदान का सब दोस्तों का तजुर्बा है ज्यादातर श्रमदान का जो काम हुआ है वह सड़कों का ही हुआ। वह इसलिये कि लोगों को सड़कों की ही ज्यादा तकलीफ थी। दूसरे यह कि वह उनके अपने गांव के वास्ते रास्ता या उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष एक काम है, वह यह समझते हैं कि इससे हमें फायदा होगा और तीसरे यह कि गांव के सब लोगों को, पुराने जमींदार हों, शिकमी हों, हरिजन हों, दुकानदार हों, कारीगर हों, गांव के सब रहने वालों को, इससे फायदा है। तो इसीलिये इसका ज्यादा काम हुआ। तो इसमें कोई दूसरा डिपार्टमेंट हारिज नहीं होता न रेवेन्यू डिपार्टमेंट हारिज होता है और न दूसरा कोई डिपार्टमेंट। जहां तक प्लानिंग डिपार्टमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट का ताल्लुक है तो प्लानिंग डिपार्टमेंट तो पंचायतराज डिपार्टमेंट के जरिये ही काम कर रहा है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोआपरेशन का ताल्लुक क्या है? प्लानिंग डिपार्टमेंट तो हर डिपार्टमेंट का कोआर्डिनेशन कराने वाली एक एजेंसी है वह तो ऐग्रीकल्चर, एनीमल हसबेंड्री, एजूकेशन, कोआपरेटिव, हेल्थ पंचायतराज, ये जितने डिपार्टमेंट हैं वे सब प्लानिंग डिपार्टमेंट के मातहत काम करते हैं विलेज लेवेल पर और उससे ऊपर के एक और लेवेल पर। लिहाजा प्लानिंग डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के कोआर्डिनेशन का और उसकी शिकायत का कोई सवाल कम से कम इन रास्तों और सड़कों में नहीं आता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स से सम्बन्धित पैमाइश वगैरह के सिलसिले में होगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और कह दूं। २० दिसम्बर, १९५२, को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से यह आदेश जारी हो चुका है कि लेखपाल लोग और कानूनगो लोग पंचायत राज या प्लानिंग डिपार्टमट के अधिकारियों को पैमाइश और रकबे वगैरह के काम में पूरी इमदाद दें,। लेकिन जैसा कि सदन को मालूम है कि वह पहले तो लगे हुये थे जमींदारी एबालीशन के कम्पेंसेशन के पर्चा वगैरा तैयार करने में, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब लेखपाल आये तो वह भी उसी काम में लग गये, यहां तक कि पिछले साल पड़ताल नहीं हो पायी। वे अब १० अगस्त, १५ अगस्त और २५ अगस्त को पड़ताल के लिये देहात में गये। जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ताल्लुक है वह ओवर वर्क्ड है, लेकिन जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आर्डर जाने का ताल्लुक है, वह २० दिसम्बर को इस सिलसिले में जारी हो चुका था। अधिष्ठाता महोदय, मैं अभी पांच मिनट लूंगा।

अधिष्ठाता—अभी आप को एक मौका और बोलने का है।

श्री चरण सिंह—अगर यह बात है तो ठीक है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश हुआ, मैं इस सदन के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि हर पार्टी की तरफ से और हर व्यक्ति की तरफ से इस प्रस्ताव को समर्थन मिला। अधिष्ठाता महोदय, कुछ संशोधन भी इस प्रस्ताव पर आये हुये हैं। राजा साहब रणंजय सिंह का एक संशोधन है। किसी उसूल या सिद्धांत के खिलाफ उनका कोई संशोधन नहीं है। उनके संशोधन में सिर्फ इतना कहा गया है कि "मोटर" की जगह

"बैलगाड़ी" रख दिया जाय। इस प्रस्ताव की मंशा यह नहीं थी कि "मोटर" या "बैलगाड़ी" रहे। इस प्रस्ताव की मंशा तो यह है कि मोटर और बैलगाड़ी के आने जाने का रास्ता ठीक कर दिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि उनका संशोधन ठीक नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

दूसरे माननीय सदस्य रामदास आर्य का यह कहना है कि लदी हुई बैलगाड़ी हो। संकल्प में जहां यह सवाल है कि लदी हुई बैलगाड़ी हो या खाली बैलगाड़ी हो, यदि उसम हम यह जोड़ द कि लदी हुई गाड़ी ही तो यह हो सकता है कि खाली गाड़ी के लिये कोई कानून में दिक्कत आ जाय। इसलिये चाहे खाली गाड़ी हो चाहे लदी गाड़ी हो दोनों किस्म की गाड़ियों के लिय आने जान का रास्ता है। उसमें एक शब्द और यह बढ़ाया गया है कि ४ गज के बदले ६ गज कर दिया जाय। मैं उन जिलों की हालत को जानता हूं जहां जमीन बहुत कम है और मने वहां के गांवों को दखा है। चार गज के माने आठ हाथ हुये और १२ फिट हो जाते हैं। इसलिये यदि ऐसी जगहों में चार गज के ही रास्ते निकाल दिये जाते हैं तो मैं सोचता हूं कि यह पर्याप्त है। इसलिये इस संशोधन का भी मैं विरोध करता हूं।

तीसरा है श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ का संशोधन। इसमें भी चार गज के बदले छः गज कहा गया है और यह भी क़रीब-क़रीब ऊपर के संशोधनों की तरह है। इसलिये मैं इस संशोधन का भी विरोध करता हूं।

चौथा है श्री सीताराम जी का संशोधन कि ४ गज के बदले ५ गज कर दिया जाय। मैंने बहुत सोच समझ कर और बहुत से माननीय सदस्यों से राय लेकर इसे रखा था। यहां बहुत से ऐसे गांवों के सदस्य हैं जिन्हें मालूम है कि चार और पांच में क्या अन्तर हो जाता है। वह गांव कि जो बहुत घने हैं जैसे कि पूर्वी जिले हैं और मध्य के जिले भी हैं वहां गांवों की तादाद अधिक है और आबादी भी वहां की अधिक है, वहां यदि आप इतनी ही चौड़ी सड़क बनवा दें तो बहुत अच्छा है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें होती हैं, अगर वैसी सड़कें वहां बनाई जायंगी तो हानिकारक होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का भी विरोध करता हूं।

पांचवें नम्बर का जो संशोधन है जोकि श्री ब्रजबिहारी मिश्र का है, उसमें मैं कुछ उसूली बात देखता हूं। इसमें उन्होंने यह रखा है कि यदि कोई आदमी ६ महीने के अन्दर अपने रास्तों–दगड़ों या खोरों को ठीक नहीं कराता है तो उसके बनवाने के लिये सरकार आदेश दे और उसका सारा खर्चा उससे लिया जाय जिसने रास्तों को गगड़ों को बिगाड़ दिया है। इसमें एक उसूल बन जाता है और इससे सरकार को मुसीबत और दिक्कत होगी कि सरकार आखिर कहां से उनको पहले अपने खर्चे से बनवाने के लिये रुपया लायेगी। इसलिय जिन लोगों ने उन दगड़ों को खराब कर दिया हो वह खुद उन्हें ठीक करवा द वर्ना उसे ठीक कराने के लिये उन्हें खर्चा देना पड़ेगा। इस तरह से मैं उनके संशोधन को स्वीकार करता हूं।

६वां संशोधन श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ जी का है। इसे मैं अस्वीकार करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, जो यह प्रस्ताव सदन में सुबह से चल रहा है इसमें बहुत परेशानी की कोई चीज नहीं है। मैंने देखा कि जो लोग किसी विचारधारा से या शब्दों के हेर फेर के लिये संशोधन भले लाये हों लेकिन प्रत्येक आदमी का लक्ष्य है कि हमारे प्रान्त में और हमारे प्रदेश में गांवों की हालत ठीक हो। अभी हमारे एक साहब ने कहा कि पहाड़ों के लिये इसमें जिक्र नहीं किया गया है। मैं तो आपसे साफ कहता हूं कि चाहे पहाड़ के गांव हों और चाहे मैदान के गांव हों लेकिन प्रत्येक गांव के लिये यह जरूरी है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में पत्थरों की वजह से दिक्कत होती है, कि ऐसी दिक्कत न हो तो मुझे उसके मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि मुझे मालूम था कि पहाड़ी इलाकों में एक गांव से दूसरे गांव तक पहाड़ों को खोद कर रास्ता निकालना पड़ता है, इसलिये इसमें बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिये मैंने उसमें इसका जिक्र नहीं किया था। यदि सरकार को उसमें कोई दिक्कत मालूम न हो तो सरकार उसे बढ़ा सकती है और उसे कर सकती है।

[श्री रमेश चन्द्र शर्मा]

मैंने जिस उद्देश्य से इस प्रस्ताव को रखा है वह यह है कि इसके जरिये से सरकार को परेशानी न हो। इसी उद्देश्य को देखते हुये मैंने इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने पेश करने की कोशिश की है और मैं यह चाहता हूं कि सरकार का यह एक क्रांतिकारी कदम हो।

सरकार बड़े बड़े कानूनों को बनाकर भेजती है लेकिन मैं आपसे बतलाऊं कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने १३३ दफा का जिक्र किया। अगर किसी गांव का सभापति किसी से कहता है कि यह तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम इस रास्ते को बढ़ा रहे हो और तुमने इस खोरे को बिगाड़ दिया है तो वैसी हालत में फौजदारी भी की जा सकती है। इस मौजूदा जमाने में एसे मामले चल भी रहे हैं। बहुत से सभापति आप के सूबे में ऐसे हैं जिनके सार्वजनिक कार्य करने के रास्ते में दिक्कतें हुई हैं। जहां आप कहते हैं कि १५ आने के टिकट से वह ठीक हो जायगा वहां मैं आपको बतलाता हूं कि एक रास्ते को नापने के लिये ५० बार अमीन जाता है फिर भी वह अपना काम नहीं कर पाता है। हो सकता है कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जाय जिससे १५ आने के टिकट से रास्ता खाली हो जाय। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा और यह प्रार्थना करूंगा कि यह प्रस्ताव मूल्यवान है और इसको मानकर गवर्नमेंट जनता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी।

गांवों के रास्तों की हालत इतनी गिर चुकी है कि अगर आज कोई यह चाहे कि एक गाय या बैल को हम चरागाह में कर दें या किसी खेत की बगल कर दें तो उसके लिये नामुमकिन सा हो जाता है। मैं तो इस विषय में सरकार से ज्यादा हठ भी नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि सरकार यह सोच ले कि उसका रुपया भी ज्यादा व्यय न हो, श्रमदान से हो या केवल रेवेन्यू विभाग के आर्डर से ऐसा हो सकता है। अगर किसी जगह का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह आर्डर कर दे कि पुराने रास्तों को जिन्होंने ले लिया है वे छोड़ दें और पटवारी जाकर यह हुकुम गांव में सुना दे और गांव वालों को यह मालूम हो जाय कि सरकार इस पर सख्त है तो मुझे विश्वास है कि वे रास्ते ठीक हो सकते हैं। मेरा यह मंशा नहीं है कि इस पर सरकार ज्यादा व्यय करे। लेकिन इन रास्तों को दफ़ा १३३ से या इस ऐक्ट से जो राम राज्य के लिये तो बहुत अच्छा है, लेकिन गांवों में कुछ ऐसे लोग हैं जो रामराज्य होने भी देते हैं। वहां लोगों न पुराने रास्तों को तोड़ लिया है और कहीं कहीं तो पड़ती और बंजर भी रास्तों को पट्टा करा लिया। गांवों की हालत को देखते हुये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जिस तरह से भी हो इस संकल्प को मान लें जिससे गांव की जनता को उत्साह मिले और उनके आने जाने के रास्ते खुल जावें।

श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, मुझे इस प्रस्ताव के उद्देश्यों से पूरी सहानुभूति है। जितना भी सरकार इस बारे में कर सकती है उसे करने में कोई किसी किस्म का संकोच नहीं है और कोई कसर उठा नहीं रखी जायगी। लेकिन जो मैंने अभी तक अर्ज किया था उसका मंशा यही है कि काम मामूली नहीं है। काम बहुत बड़ा है और अगर यह आशा की जाती है कि एस० डी० ओ० या तहसीलदार हर गांव में बैठकर इन रास्तों को अपने आप साफ करा देंगे राज्य की सख्ती से, तो मैंने यह अर्ज किया कि यह काम बहुत कठिन है और इसके होने में बहुत सा पैसा और समय लगेगा और यह हो नहीं सकेगा, क्योंकि इसके लिये बहुत अवकाश और धन की जरूरत होगी। लेकिन इस सिलसिले में फिर भी सरकार क्या कर सकती है इसके लिये मैं संबंधित अधिकारियों को जो तजुर्बेकार और समझदार हैं बुलाकर इस पर विचार करने का इरादा रखता हूं। मैं केवल यह अर्ज करना चाहता था कि जो गांव की स्थिति है वह स्पष्ट है कि दफ़ा १३३ में आसानी से कार्यवाही हो सकती है। जैसा माननीय रमेशचन्द्र जी न कहा, यह ठीक है कि १५ आने में रास्ते साफ नहीं हो सकते। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कोई कोर्ट फीस या बड़े स्टाम्प नहीं लगते हैं। हां, एक अमीन मौके पर जायगा जिसकी फीस वगैरह शायद देनी पड़ती हो। एक एस० डी० ओ० इस काम को मौके पर जाकर करा सकता है या नहीं, उसका कितना काम फैला हुआ है जिससे वह समय निकाल कर कब और किस महीने में जाकर

इन चीजों को करा सकता है और उसके इलाके में कितने गांव हैं, इन सब मसलों पर गवर्नमेंट विचार करने के लिये तैयार है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जून के महीने में कलेक्टर को, जिन रास्तों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है या सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लिया है, उस सिलसिले में आदेश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा २० दिसम्बर सन् १९५२ को इस मामले में तमाम पटवारियों को भी आदेश जारी हो चुके हैं कि वह पंचायत के अधिकारियों को पूरी-पूरी इम्दाद और सहयोग दें। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इसपर गवर्नमेंट विचार करेगी और जितनी भी इमदाद दी जा सकती है वह यथाशक्ति दी जायगी। लेकिन यह रिजोल्यूशन जितना काम्प्रीहेंसिव है और जितनी आशा रखता है उतना काम हो सकेगा या नहीं। इसमें जो दिक्कतें हैं वही केवल मैंने पेश की हैं।

जैसा मैंने पहले कहा कि इसके उद्देश्यों से मुझे पूरी पूरी सहानुभूति है। लेकिन जितनी गैर मरजुआ जमीन है वह सब गांव समाज को दी जा चुकी है। रास्ते अभी गांव समाज को नहीं दिये गये हैं। जो जमींदारों के रास्ते थे उनकी मालिक अभी सरकार है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के जरिये पूछा गया है कि जो रास्ते एक गांव से दूसरे गांव को और दूसरे गांव से तीसरे गांव को जाते हैं तो कितने रास्तों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ऐसे रास्तों को छोड़कर बाकी रास्तों को गांव समाज को देने की जरूरत है। इस तरह से रास्तों की मालिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आज भी हैं और आगे भी उन्हीं को देने का इरादा है और जो छोटे रास्ते हैं वह गांव समाज को या गांव पंचायतों को दे दिये जायेंगे। इन सब रास्तों के मालिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और गांव समाज होंगे और गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं हो सकता है। श्रमधन के जरिये यह काम हो सकता है। अफसरान क्या इम्दाद कर सकते हैं यह सोचने का सवाल है। श्रमधन को आर्गेनाइज करना है।

यहां पर इसके अलावा कल्वर्ट्स के लिये भी कहा गया कि गवर्नमेंट उनको अपने पास से मैटीरियल दे। तो यह पता नहीं है कि गवर्नमेंट १६ आने मैटीरियल अपने पास से दे या ८ आना गवर्नमेंट दे और ८ आना पब्लिक बरदाश्त करे। यह एक मसला है। यह मसला बाई इटसेल्फ है जिसको तय करने के लिये भारी इनर्जी की जरूरत होगी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि गवर्नमेंट की इसके साथ पूरी हमदर्दी है और गवर्नमेंट मदद करने को तैयार है। वैसे सदन को अख्तियार है, वह प्रस्ताव पास करना चाहे कर दे। लेकिन मेरा अपना सुझाव यह है कि उसमें जो रणंजय सिंह का संशोधन है वह बेकार है, क्योंकि रास्ता चौड़ा होना चाहिये चाहे मोटर जाय, चाहे बैलगाड़ी जाय, चाहे खाली जाय, चाहे भरी जाय और चाहे मैं जाऊं, चाहे रणंजय सिंह जी जायं। श्री रामदास जी का संशोधन भी गैर जरूरी है। वह कहते हैं कि ४ गज की जगह ६ गज कर दिया जाय। श्री रमेशचन्द्र जी का प्रस्ताव है कि यथासंभव दगड़े तुरन्त निकाल दिये जायं जिनकी चौड़ाई कम से कम ४ गज हो तो जरूरत हो तो इसमें दस गज भी हो सकता है और ५ गज भी हो सकता है लिहाजा यह गैर जरूरी है। इसी तरह से श्री सीताराम शुक्ल का प्रस्ताव है कि ४ की जगह ५ कर दिया जाय। यह भी गैर जरूरी है। श्री व्रजविहारी मिश्र का संशोधन यह है कि इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद ऐसे दगड़ों या खोरों को ६ मास के भीतर तैयार न करा दिया जाय तो जिलाधीश स्वयं इन दगड़ों या खोरों को अपने आदेश से बनवा देगा और उसका व्यय संबंधित व्यक्तियों से जिन्होंने उसे काट छांटकर अपने खेत में मिला लिया था वसूल कर लेगा लेकिन जब आप यहां छः मास का समय देना चाहते हैं तो प्रस्ताव में जो शब्द तुरन्त है वह बेकार हो जाता है। यह तुरन्त शब्द दो जगह आया है। एक तो यह कि ऐसे पुराने दगड़े जिन्हें अगल बगल के खेत वालों ने काट छांट कर तंग या टेढ़ा कर दिया है नपवा कर दगड़ों की शक्ल में "तुरन्त" कर दिया जाय। दूसरा यथासंभव एक गांव से दूसरे गांव तक बीच दगड़े "तुरन्त" निकलवा दिये जायं। इस तरह से इस "तुरन्त" शब्द को निकालना होगा अगर आप छः महीने का मौका देना चाहते हैं। अगर ६ महीने का मौका उनको दिया जाता है श्री नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ का जो संशोधन है वह श्री व्रजविहारी मिश्र के संशोधन के सामने आवश्यक नहीं

[श्री चरण सिंह]

है। इस तरह से मैं समझता हूं कि अगर मिश्र जी का जो संशोधन है वह प्रस्तावक महोदय स्वीकार कर लें तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूं वह यह है कि केवल इस प्रस्ताव में यह लिख देने से कि "यदि इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के ६ मास के अन्दर ऐसे दगड़े अथवा खोरें तैयार न करा दी जावें तो जिलाधीश स्वयं इन दगड़ों तथा खोरों को अपने आदेश से बनवा देगा और उसका व्यय संबंधित व्यक्तियों से, जिन्होंने उसे काट छांट कर अपने खेत में मिला लिया था, वसूल कर लेगा" काम नहीं चलेगा। इसके लिये किसी कानून में संशोधन करने की जरूरत होगी क्योंकि केवल प्रस्ताव के जरिये आप ऐसी बात कर रहे हैं कि किसी से खर्च वसूल कर लिया जाय तो यह संभव नहीं होगा। हां, यह है कि यह सदन अपनी इच्छा प्रकट करता है और अगर जरूरत हुई तो किसी कानून में परिवर्तन करने पर सरकार विचार करेगी। तो इस संशोधन के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाय और मैं गवर्नमेंट की तरफ से केवल यही कह सकता हूं कि इसके साथ मुझको पूरी हमदर्दी है और जितना इस संबंध में मुमकिन होगा वह किया जायगा। इस प्रस्ताव से कम से कम एक गरज तो उसकी पूरी हो जाती है कि गवर्नमेंट का ध्यान, राज्य कर्मचारियों का ध्यान, गांव पंचायतों का ध्यान और सबका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हो गया कि यह बड़ी भारी समस्या है और इसकी ओर अधिक तवज्जह देनी चाहिये।

अधिष्ठाता—अब मैं एक के बाद एक संशोधन लूंगा। पहला संशोधन है माननीय रणंजय सिंह का। उनसे जानना चाहूंगा कि आया वह इस प्रस्ताव को पेश करेंगे या वापस लेंगे।

श्री रणंजय सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मोटर शब्द वहां स्पष्ट नहीं होता था कि उसके लिये मार्ग ही बनेगा या क्या होगा? परन्तु जब यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि उसका अभिप्राय किसी प्रकार के मोटर ट्रक, लारी आदि से है और रास्ता चौड़ा होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सदन से श्रीमान् जी के द्वारा अनुमति चाहूंगा कि अपना संशोधन वापस लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामदास आर्य—यदि मंत्री जी मेरे इस संशोधन को उपयुक्त नहीं समझते हैं और उसकी जगह पूर्ण संकल्प जो आया है उसमें सारी बातें आ गई हैं और उससे पूर्ति समझी जाती है तो मैं उचित समझता हूं कि अपना संशोधन वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—मैं भी अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री व्रजविहारी मिश्र—पंडित सीताराम जी ने अपनी वापसी लिखकर मुझे दे दी है अगर आज्ञा हो तो मैं उसे प्रस्तुत कर दूं। उनकी ओर से मैं उस संशोधन को वापस लेना चाहता हूं

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री व्रजविहारी मिश्र—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावक महोदय ने स्वीकार कर लिया है और माननीय मंत्री जी ने भी उसकी स्वीकृति दे दी है इसलिये मुझे इस पर बोलने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती।

अधिष्ठाता—माननीय व्रजविहारी मिश्र का संशोधन इस प्रकार है—

संकल्प की पंक्ति चार के शब्द (खोरों) के बाद तथा शब्द "जाय" के बीच के शब्द "की शक्ल में तुरन्त कर दिया" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर यह वाक्य खंड जोड़ दिया जावे—

"को उनकी सही तथा पुरानी अवस्था में लाने की कार्यवाही तुरन्त कर दी"

तथा संकल्प के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय—

"यदि इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के ६ मास के अन्दर ऐसे पुराने दगड़े अथवा खोरें तैयार न करा दी जावें तो जिलाधीश स्वयं इन दगड़ों तथा खोरों को अपने आदेश से बनवा देगा और उसका व्यय संबंधित व्यक्तियों से जिन्होंने उसे काट छांट कर अपने खेत में मिला लिया था वसूल कर लेगा।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकृत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह सदन आज पांच बजे के बाद तब तक बैठा रहे जब तक राजस्व मंत्री का उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि बेदखली और लगान की वसूली विधेयक, १९५३, पारित न हो जाय, तथा वित्त मंत्री का प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर संशोधन, विधेयक, १९५३, एक प्रवर समिति के सुपुर्द न हो जाय तथा एक प्रस्ताव जो मैं मूव करूंगा वह पेश न हो जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता, श्रीराम नरेश जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका सख्त विरोध करता हूं और आपके द्वारा मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब जब अवसर आये तो जो सुविधायें उन्हें प्राप्त हैं उनका अनुचित लाभ वे उठाने की कोशिश न किया करें। श्रीमन्, जब कभी कोई आवश्यक और विशेष परिस्थिति आई हमने बराबर सहयोग दिया और बराबर रातरात भर बैठने के लिये तैयार रहे हैं और अब भी बैठने के लिये तैयार हैं। लेकिन यही बिक्री कर विधेयक जब आया तो उसके एक खंड को निकाल कर द्वितीय विधेयक के रूप में लाया गया और उसको यहां पर पास भी कराया गया। और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये यह कहा गया था कि इस वक्त यह पास हो जाय तो फिर बाद में दूसरे के लिये देखा जायगा और अब माननीय राम नरेश जी अपने प्रस्ताव के मुताबिक आज ही उसे पास कराना चाहते हैं और जो बेदखली संबंधी विधेयक है उसे भी आज ही पास कराना चाहते हैं। तो श्रीमन्, ये बहुत ही आवश्यक विधेयक हैं। एक तो छोटे-छोटे किसानों की बेदखली से संबंधित है और एक बिक्री कर से संबंधित है जो सारे पापुलेशन (आबादी) से संबंध रखता है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन विधेयक एक बार पहले सेलेक्ट कमेटी में जा चुका था, फिर आया और फिर सेलेक्ट कमेटी में गया। वह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है लेकिन वह हमारे सामने नहीं आ रहा है। अगर वह विधेयक हमारे सामने आवे तो हम उसके लिये रात-रात भर तक बैठने के लिये तैयार हैं लेकिन हम समझते हैं कि यह बिक्री कर वाला विधेयक अगर आज पास न हो तो इससे जनहित का कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह से अगर बेदखली वाला विधेयक भी पास न हो तो उससे भी कोई जनता का नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसे काम के लिये जब हम चाहते हैं कि हमें अवसर मिले ताकि हम समुचित विचार विनिमय करें, हम समझ सकें तो हमें इस बात के लिये मजबूर किया जाता है कि हम अतिरिक्त समय तक बैठ कर उसको पास करावें। मैं उनसे बार बार इसके लिये निवेदन कर चुका हूं कि हम लोग पहले से समय तय कर चुके हैं और हमारे पास ७ दिन पहले प्रोग्राम आ जाना चाहिये कि सरकार को क्या कराना है, और क्या नहीं कराना है। श्रीमन्, म आपके जरिये माननीय राम नरेश जी से कहना चाहता हूं कि वे जनहित का विधेयक, जैसे नागर क्षेत्र जमींदार उन्मूलन का लावें तो हम तीन-तीन दिन तक बैठ-कर उसे पास कराने के लिये तैयार हैं मगर ऐसे विधेयक को जिससे जनता का कोई

[श्री राजनारायण]

फायदा नहीं हाने वाला है बल्कि एक तरह से उसके ऊपर बोझ ही बढ़ने वाला है।

(इस समय ४ बजकर ४२ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

पास कराने के लिये कहा जाता है तो श्रीमन् हमारे लिये बड़ी मजबूरी हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि हम स्वस्थ वातावरण में, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ सुझाव दे सकें। इसलिये मैं चाहता हूं और माननीय राम नरेश जी से विनम्र निवेदन करता हूं, सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे नागर क्षेत्र जैसे विधेयक को लावें तो हम रात-रात भर बैठ कर पास कराने के लिये तैयार हैं मगर ऐसे विधेयक से जिससे जनता का कोई कल्याण न हो, हमें भी सोचने का समुचित अवसर और सुझाव देने का मौका न देकर इस बात के लिये मजबूर किया जाता है कि हम अतिरिक्त समय तक बैठ कर इसको पास करावें तो इसे तो मैं उचित नहीं समझता। इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि श्री रामनरेश जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और इस सदन को मौका दें कि वह इस पर समुचित ढंग से सोचें और विचारें और सदन से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें बतलाये कि वे इसे वापस कर लें और जो जनता को लाभ देने वाला विधेयक हो उसी पर यह सदन विचार करे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। गैर सरकारी प्रस्ताव पर अभी वोट लेना बाकी ही है उसी बीच में यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं समझता हूं कि उचित यही होगा कि पहले उस पर वोट ले लिया जाय और तब इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय। मैं इस पर श्रीमन् की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री राम नरेश शुक्ल से) आपका प्रस्ताव क्या है?

श्री रामनरेश शुक्ल—मेरा प्रस्ताव समय बढ़ाने के लिये है। मैंने समझा था कि उस पर वोट ले लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—समय बढ़ाने के लिये तो कल तय हो चुका था और वह एजेंडा पर है। उसके अनुसार ५ बजे के बाद सरकारी कार्य लिया जायगा। उसके लिये कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदन से उस वक्त यह पूछ लिया गया था और मैंने यह कह दिया था कि अगर इसमें कोई परिवर्तन होगा तो विरोधी दल के नेता और सदन के नेता अगर कोई दूसरा प्रोग्राम रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो अगर वह चीज नहीं आयी तो एजेंडे में जो रखा हुआ है वह ५ बजे के बाद लिया जायगा। जब एजेंडे में रखा हुआ है तो उसके लिये प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल—तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

गांवों में दगड़े बनाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, जहां तक मुझे मालूम है कि कल इस प्रकार की कोई मंजूरी विरोधी पार्टी की ओर से नहीं दी गयी थी और मैं आपका ध्यान इस संबध में नियम २० की ओर दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त तो वह चीज है नहीं। इस वक्त तो असरकारी कार्य चल रहा है। इस तरीके से बीच में वह कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते। पांच बजे जब वह बात सामने हो तो आप अपनी बात पेश करें।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि निम्न संकल्प को जो इस प्रकार है स्वीकार किया जाय —

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के एक गांव से दूसरे गांव का संबंध रास्तों तथा दगड़ों जिनके द्वारा बैलगाड़ी तथा मोटर एक साथ आ जा सक, हो जाना आवश्यक है। अतः ऐसे पुराने दगड़े जिन्हें अगल बगल के खेतवालों ने काट छांट कर तंग या टेढ़ा कर दिया है नपवा कर दगड़ों (खोरों) को उनकी सही तथा पुरानी अवस्था में लाने की कार्यवाही तुरन्त कर दी जाय और यदि कहीं ऐसी खोरें (दगड़े) न हों तो पहाड़ी स्थानों को छोड़ कर सम्पूर्ण प्रदेश में यथासंभव एक गांव से दूसरे गांव के बीच दगड़े तुरन्त निकलवा दिये जायं जिनकी चौड़ाई कम से कम ४ गज हो।

यदि इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के ६ मास के अन्दर ऐसे पुराने दगड़े अथवा खोरें तैयार न करा दी जावें तो जिलाधीश स्वयं इन दगड़ों तथा खोरों को अपने आदेश से बनवा देगा और उसका व्यय संबंधित व्यक्तियों से जिन्होंने उसे काट-छांटकर अपने खेत में मिला लिया था, वसूल कर लेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में एक व्यायामशाला स्थापित करने के संबंध में संकल्प

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् की आज्ञा से यह प्रस्ताव यहां पर उपस्थित करता हूं —

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि नवयुवकों को सदाचारी, वीर तथा बलवान बनाने के लिये उत्तर प्रदेश में एक उच्च कोटि की व्यायामशाला शीघ्र स्थापित की जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव प्रदेश के लिये नितान्त आवश्यक है। देश के नवयुवकों की दशा को देखकर बड़ा दुख हुआ करता है कि उनके आज स्वास्थ्य ठीक नहीं हैं, अधिकांश में ये लोग जब आज मुरझाये हुये चेहरों को लेकर घूमते हैं, आज इस भारतभूमि में जब हमारे बहुसंख्यक भाई और विशेषकर इस प्रदेश में भी ऐसे हैं जो वीर तथा बलवान बनने की अपेक्षा आज दूसरी ओर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं अथवा जो आज हमारे नवयुवकों में अराजकता, नास्तिकता, चरित्रहीनता, और अनुशासनहीनता की बातें अधिक मात्रा में दिखलायी पड़ती है उसके निराकरण के लिये इस बात की महती आवश्यकता है कि एक यहां पर ऐसी व्यायामशाला बनाई जाय जिसमें सदाचार की भी शिक्षा मिले और वीरता आदि से संबंधित सभी बातें सिखलायी जायं। "शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्" कौन नहीं चाहता कि स्वस्थ हो, कौन नहीं चाहता कि वीर तथा बलवान् बने और देश की अधिक से अधिक सेवा कर सके परन्तु जब तक हमारे नवजवानों का चरित्र ठीक नहीं है, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जब तक वे अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिये स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक यह समझना कि हमारे देश के नवयुवकों का या हमारे देश का कल्याण हो सकेगा या हम संसार में सुख और शांति की स्थापना कर सकेंगे यह एक बहुत ही विचित्र बात होगी। इन सब बातों को सोचते हुये हम अपने प्रांत में देखते हैं कि यहां पर उन्नति की बहुत सी बातें की जा रही हैं। परन्तु मैंने देखा कि दो वर्ष से यहां पर मैंने जो भाषण दिये उनमें कई में इस बात का सुझाव दिया कि यहां पर एक उच्च कोटि की व्यायामशाला स्थापित की जाय। हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि इस संकल्प को शलाका में आने का अवसर मिला और यहां पर हम ऐसा प्रस्ताव उपस्थित कर सके। मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्ताव सभी महानुभावों को स्वीकार होगा और किसी को इसे स्वीकार करने में संकोच नहीं होगा। सबको सात्विक भोजन मिले, शस्त्रास्त्र की शिक्षा मिले और इस प्रकार की उन्नति के सभी साधन एकत्रित किये जायं। यदि यहां पर उच्चकोटि की व्यायामशाला खुल

[श्री रणंजय सिंह]

जाय जैसी कि अमरावती में है और बड़ौदा में है तो फिर हमारे यहां नवयुवकों का आदर्श जीवन बनेगा और फिर उनके द्वारा सभी का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। मैं यह देखता हूं कि यह नवयुवक ऐसे मार्ग पर चले जा रहे हैं जो उन्नति की ओर ले जाने वाला नहीं है। यह वही हमारा भारतवर्ष है जहां की सभ्यता उच्च कोटि की थी और पृथ्वी के मानव मात्र ने जहां से शिक्षा ग्रहण की है। और

"एत्तद्देशप्रसूतस्य एकाशादग्र जन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्यां सर्व मानवाः॥"

परन्तु आज देखने में आता है कि हमारे देश में अन्य देशों का अनुकरण किया जाता है और दूसरे देशों का अनुकरण करने की शिक्षा दी जाती है। हमारे देश में ऐसी बातें होती हैं कि जो दूसरे देशों का महत्व समझने के लिये होती हैं और अपने देश का महत्व और गौरव भूलते जाते हैं। किसी समय में हमारा देश संसार का शिरमौर्य था अब उसके लिये यहां पर शिक्षा के उपाय किये जायं। हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि हमारे देश में किसी न किसी प्रकार से फिर वही समय आवे और हम लोग सभी यहां पर आदर्श रूप में उपस्थित हों। इस प्रकार से यदि हम अपने यहां सदाचार की शिक्षा ग्रहण करेंगे और नवीन साधनों को भी साथ रखते हुये विचार करेंगे और अपनी प्राचीन सभ्यता के साथ नवीन विशेष बातें लेकर चलेंगे तब हम उन्नति का साधन ग्रहण करते हुये आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमारे यहां उच्च कोटि की व्यायामशालाएं स्थापित होगी तो मैं यह समझता हूं कि एक वर्ष के अन्दर ही हमारे प्रदेश का दूसरा रंग दिखाई देगा। हमारे नवयुवक उचित मार्ग पर चलेंगे। आज जहां पर हमारे प्रांत में व्यायामशालायें हैं उनकी दशा ठीक दिखाई नहीं पड़ती है। आज हमारे देश में ऐसी ऐसी वस्तुओं को खिलाकर स्वास्थ्य नष्ट किया जा रहा है कि जिससे देश का महान अहित हो रहा है। मैं यह सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह बातें यहां पर उत्पन्न की जायं जिनसे हमारे नवयुवक वीर बनें, उनके अन्दर वीरता की भावना उत्पन्न हो, उनके लिये अच्छी व्यायामशालायें खोली जायं, उनको पूर्वजों के इतिहास बतलाये जायं और नाना प्रकार के जो उपाय हैं वे किये जायं। उनके द्वारा हमारे नवयुवकों का शरीर हृष्टपुष्ट होगा। आज हम कितने रोगों को लिये फिरते हैं और औषधियों की शरण लेनी पड़ती है। अगर हम अपनी शारीरिक उन्नति करते हैं तब हम अपने देश की सेवा भी अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने देश को ऊंचा उठा सकते हैं। हम अपना कल्याण करते हुये संसार का कल्याण करेंगे। इस कारण जितने उपाय उन्नति के हो सकते हैं हमको उनको यहां पर एकत्रित करना है। हमको एक ऐसी समिति संघटित करनी है जो यह सब प्रबंध करे। आज जब हम देखते हैं कि हमारे यहां के नवयुवकों ने अमुक देश में जाकर अच्छा व्यायाम कौशल दिखाया और जब उनका नाम अखबारों में छपता है तो इससे हम सबको बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि उससे हमारे देश का गौरव बढ़ता है। हमारे देश की सभ्यता और शिक्षा बहुत प्रसिद्ध रही है। हमको वही समय अपने यहां लाना है। इस ओर कुछ कार्य शिक्षा विभाग ने किया है और कर रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि यहां अब मल्ल विद्या का लोप हो रहा है जब कि हमारे प्रदेश में किसी समय एक से एक बड़े मल्ल होते थे और अनेक वीर पुरुष होते थे और वे जहां जाते थे उन की धूम मच जाती थी। वे लोग योरोप में जाकर, अमरीका में जाकर और तमाम संसार में जाकर इस देश के नाम को बढ़ाते थे और विजय प्राप्त करते थे। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली में जो बड़ा दंगल हुआ था वहां विदेशों के पहलवान आ आ कर जब जीत जाते थे और हमारे यहां के पहलवानों को नहीं जीतने देते हैं, अगर दारा सिंह आदि कुछ पहलवान हैं जो विदेशियों को पछाड़ देते थे तब वह कोई ऐसी बात नहीं है कि किस पर हम पूरा गर्व कर सकें, क्योंकि वे अब सिंगापुर में रहते हैं। इसलिये इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने यहां एक आदर्श व्यायामशाला स्थापित करें और उसकी आवश्यकता समझें।

इसके प्रचार की बहुत आवश्यकता है और हम सबको इसका प्रयत्न करना चाहिये और सरकार का भी पूरा सहयोग मिलना चाहिये । हम जानते हैं कि प्रांतीय रक्षक दल आदि के द्वारा सरकार अपने यहां इसे कायम रखती है और प्रदेश में लोगों को शक्तिशाली बनाना चाहती है । जहां और अच्छे अच्छे काम किये जाते हैं वहां इस में शक नहीं कि एक उच्चकोटि की व्यायामशाला की बहुत अधिक आवश्यकता है । अगर ऐसी चीज स्थापित हो गई तो हमें आशा है कि उत्तर प्रदेश में और सारे संसार में हम इस काम में अग्रसर होंगे और हम सारे देश का नेतृत्व इस शारीरिक और शक्ति की दिशा में कर सकेंगे । हमारे बल और वीरता की महिमा प्राचीन काल से चली आती है और जिस तरह से हमारी संस्कृति सबसे उत्तम और पुरानी है उसी प्रकार हम इस दिशा में भी आगे रहना चाहते हैं । हमें शारीरिक उन्नति के लिये तत्पर होना चाहिये और समझना चाहिये कि शारीरिक उन्नति और स्वस्थ शरीर की उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी और वस्तु की । जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा उतनी ही विद्या आदि में हम उन्नति कर सकते हैं और उतनी ही हम देश की रक्षा कर सकते हैं और धन उपार्जन तथा सेवा कर सकते हैं । शिक्षा उपार्जन सब शरीर की स्वस्थता पर ही निर्भर है । शारीरिक स्वस्थता को प्राप्त करके ही हम सदाचारी, वीर और बलवान बन सकते हैं और देश और संसार के सामने एक आदर्श रख सकते हैं और बतला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का शिरमौर है और भारतवर्ष संसार का शिरमौर है । सबसे प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि जो सौभाग्य से व्यायामशाला का संकल्प आ गया है, उस पर पूरा विचार किया जाय और उसे स्वीकार किया जाय और अगर इसे स्वीकार किया गया तो मैं समझता हूं कि आगे चलकर इस व्यायामशाला का प्रभाव हमारे यहां ऐसा पड़ेगा कि हमें हर तरह के काम करने में जैसे श्रमदान आदि के काम हैं उनमें विशेष सफलता मिलेगी.....

श्री अध्यक्ष—यदि आप आगे अभी बोलना चाहते हैं तो आगे जब किसी दिन असरकारी कार्य के लिये अवसर मिले तो बोलें ।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि विधान परिषद् की नियमावली के नियम ११८ (३) के अन्तर्गत सभापति विधान परिषद् का पत्र मेरे पास आया है कि विधान परिषद् की नियमावली के नियम ११८(३) के अन्तर्गत मुझे आपको यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ अगस्त, १९५३ की बैठक में शिक्षा मंत्री का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है—

"उत्तर प्रदेश विधान परिषद् विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक १९५३, को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

२—विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त संयुक्त प्रवर समिति पर काम करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है—

१—डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप
२—डाक्टर ईश्वरी प्रसाद
३—प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल
४—डाक्टर प्यारे लाल श्रीवास्तव
५—प्रोफेसर राम किशोर शर्मा
६—श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी
७—श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल
८—श्री वंशीधर शुक्ल"

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष—अब माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रवर समिति बनाने के बारे में प्रस्ताव रख दें।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५३, को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विधान परिषद् की सहमति प्राप्त हो जाने पर विधान सभा द्वारा उक्त समिति में निम्नलिलित सदस्व निर्वाचन किये जायं—

१—श्री गोविंद वल्लभ पंत (मुख्य मंत्री)

२—श्री हर गोविंद सिंह

श्री अध्यक्ष—आप अपना नाम क्यों रखते हैं आप तो नियमानुसार समिति में रहेंगे ही।

श्री हरगोविंद सिंह—मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि सभापति माननीय प० गोविंद वल्लभ पंत रहें।

श्री अध्यक्ष—सभापति के लिये तो मैं खुद तय कर दूंगा। आपका सुझाव स्पष्ट लता हूं।

श्री हरगोविंद सिंह—

३—श्री मंगला प्रसाद

४—श्री आचार्य जुगल किशोर

५—श्री सी० वी० महाजन

६—श्री पद्मनाथ सिंह

७—श्री नवल किशोर

८—श्री कैलाश प्रकाश

९—श्री इस्तफ़ा हुसैन

१०—श्री पुत्तू लाल

११—श्री इरतज़ा हुसैन

१२—श्री देवराम

१३—श्री नेक राम शर्मा

१४—श्री बालेन्दुशाह

१५—श्री नारायण दत्त तिवारी

१६—श्री मदन मोहन उपाध्याय

१७—श्री मलखान सिंह

श्री अध्यक्ष—मेरे पास जो फेहरिस्त भेजी गयी है उसमें श्री राधाकृष्ण अग्रवाल का नाम है। श्री नेक राम शर्मा का नाम नहीं है।

श्री हरगोविंद सिंह—तो श्री राधाकृष्ण अग्रवाल का ही नाम रहने दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं यदि आपकी अनुमति हो तो एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसके प्रधान या सभापति शिक्षा मंत्री ही रहें।

श्री अध्यक्ष—इसमें तो मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री स्वयं इनकार कर रहे हैं और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी अनुचित न समझें तो मैं तो शिक्षा मंत्री जी के साथ अधिक सहमत हूं।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—मैं यह कहना चाहता हूं कि और भी ऐसे बिल हो सकते हैं जिसमें मेरी उपस्थिति कुछ यह समझा जाय कि फायदेमंद होगी, उन सब में मैं जाऊंगा। लेकिन अध्यक्ष का पद जो उससे संबंधित मंत्री हो उसी का है। मैं उसमें काम करूंगा जहां पर जरूरत होगी मगर नियम वही रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नियम तो ११० इस प्रकार है—

"The procedure before the Joint Select Committee will be the same as before a Select Committee and all rules relating to Select Committee with regard to the election of members and the appointment of Chairman of the Committee and presentation and consideration of its report shall *mutatis mutandis* apply to a Joint Select Committee."

१०० नियम में यह दिया हुआ है "The chairman of the committee, shall be appointed by the speaker from amongst the members of the committee"

तो सदन का यह काम है नहीं इस नियम के अनुसार। नियुक्ति का भार मेरे ऊपर है और उसमें यह कहीं नहीं दिया हुआ है कि जो मंत्री बिल का जिम्मेदार हो वही सभापति होना चाहिये।

तो अगर दो मंत्री समिति में हों तो अब तक यह प्रथा पालन की गयी थी कि उसमें जो सीनियर हों उनको सभापति का पद दिया जाय। इस अवस्था में नेता सदन से सीनियर मंत्री कौन हो सकता है। जो प्रथा चली आयी है उसके अनुसार में यही प्रार्थना करूंगा कि वह इसके लिये स्वीकृति दे दें। इससे माननीय शिक्षा मंत्री की इच्छा की पूर्ति भी हो जायगी और प्रथा भी कायम रहेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आपको भी प्रार्थना की आवश्यकता होती है।

श्री अध्यक्ष—किसी पद के स्वीकार करने में जब्र नहीं हो सकता। तो प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ से संबंधित संयुक्त प्रवर समिति में विधान सभा के निम्न सदस्य नियुक्त किये जायं—

१—श्री गोविंद वल्लभ पंत (मुख्य मंत्री)
२—श्री मंगला प्रसाद
३—श्री सी० बी० महाजन
४—श्री आचार्य युगल किशोर
५—श्री पद्मनाथ सिंह
६—श्री नवलकिशोर
७—श्री कैलाशप्रकाश
८—श्री इस्तफा हुसैन
९—श्री पुत्तूलाल
१०—श्री इरतजा हुसैन

११—श्री देवराम
१२—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल
१३—श्री महाराज कुमार बालेन्दुशाह
१४—श्री नारायण दत्त तिवारी
१५—श्री मदन मोहन उपाध्याय
१६—श्री मलखान सिंह
१७—श्री हरगोविंद सिंह जी जो हैं वह नियम के अनुसार उसमें रहेंगे ही सदस्य।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं घोषणा करता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति के लिये अध्यक्ष मुख्य मंत्री श्री पं० गोविंद वल्लभ पंत होंगे।

सायंकाल ५ बजे के उपरान्त सरकारी कार्य लेने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष—अब कार्यक्रम के अनुसार जैसी कि कल बातचीत हुई थी उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक पर विचार जारी रहेगा, यह कार्यक्रम में है। चूंकि अभी बीच में यह प्रश्न उठा था और उस में श्री राजनारायण जी ने उस पर आपत्ति उठायी थी आजका समय बढ़ाने के बारे में तो मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से इस विषय पर प्रकाश डालना उचित होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान नियम ४२ की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"42. DISCUSSION ON MATTERS ARISING OUT OF QUESTIONS AND ANSWERS—(1) The Speaker shall allot half an hour after the termination of a meeting of the Assembly on two days in a week,"

तो आज गैर सरकारी प्रस्तावों का दिन था और आज मीटिंग के टरमीनेशन के बाद प्रश्नों पर डिस्कशन ले लिया जाना चाहिये इस रूल के मुताबिक, तब उसके बाद वह प्रस्ताव आयेगा। क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद कोई चीज नहीं आ सकती ऐसा कोई काम नहीं आ सकता जब तक कि हाफ एन अवर यूटिलाइज न कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह आपका जो आक्षेप है वह उचित नहीं है ऐसी परिस्थिति में जिस परिस्थिति में अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। क्योंकि यह कल माना जा चुका था सदन द्वारा कि आज ५ बजे के बाद यह कार्यक्रम होगा। "सिटिंग" का मतलब यह है कि अगर सिटिंग एक्सटेंड कर दी जायगी तो वह समाप्त होने के बाद ही नियम ४२ के अनुसार विवाद के लिये समय दिया जा सकता है। तो इस विषय पर पहिले निर्णय होना है कि सिटिंग बढ़ती है या नहीं। अगर सिटिंग नहीं बढ़ाई जाती है तो आपका कहना ठीक है कि नियम ४२ के अनुसार विवाद फौरन शुरू हो जायगा, लेकिन सिटिंग बढ़ायी जाय तो सिटिंग खत्म होने के बाद ही विवाद के लिये आधा घंटे का समय दिया जायगा। तो मैं तो यह चर्चा कर रहा था कि सिटिंग बढ़ायी जाय या न बढ़ायी जाय। इस पर जो आक्षेप किया गया उसका स्पष्टीकरण होना चाहिये इसलिये सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण देना चाहें वह दें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है कल आपने घोषणा की थी कि आज पांच बजे के बाद यह दो बिल लिये जायंगे और इन के ऊपर इस सदन में विचार होगा। तो यह तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका कि निर्णय न हुआ हो । मैंने यह कहा था कि आज पांच बजे तक यानी कल के लिये जो काम है वह हो जाय और इसके बाद मुझ से मदन मोहन जी ने पूछा था कि आगे का कार्यक्रम क्या होगा। तो मैंने उस में कहा था कि आज तो ५ बजे तक हम बैठें और कल फिर यह जो दो बिल हैं वह पांच बजे के बाद जबकि गैर सरकारी जो काम हो उसका समय पूरा हो जाने के बाद लिये जायं और इनको पूरा करके फिर इस सदन का काम पूरा हो जायगा और उसके बाद फिर बैठने की जरूरत नहीं होगी और फिर दूसरा सेशन शुरू होगा, जिसकी सूचना भी दी जायगी ।

इसके संबंध में आपने फिर यह घोषणा भी की थी कि ५ बजे के बाद यह दो बिल यहां पर लिये जायंगे । मेरा अनुमान उस वक्त यह था कि इस सदन के सभी सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत हैं । और मैं समझता हूं कि यही धारणा आपकी भी हुई होगी । कमसे कम किसी ने उसमें आपत्ति नहीं कि थी और जिस तरह से वह बात हुई थी मुझे तो पूरा उससे यही अनुमान हुआ कि हम सब लोग एक ही मत के हैं इस बात में और हम सब लोग चाहते हैं कि आज ५ बजे से यह काम हो और इसी के आधार पर आपने भी कहा था । तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि इसके मुताबिक हम काम कर लें तो फिर सबको आवकाश मिलेगा। अपने अपने घर जाने का । जन्माष्टमी नजदीक आ रही है, जो उस पर्व को मनाना चाहते हैं उनको भी अवसर मिल जायगा और जो और काम करना चाहते हैं उनको भी इससे अवकाश मिल जायेगा कि जो काम करना चाहें कर सकें। इसलिये सबके सुभीते के लिये मैंने यह बात की है और यह तो निश्चित हो चुका है और आपकी राय घोषित हो चुकी है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मुख्यमंत्री जी ने जितनी बातें कहीं उसके प्रति आदर रखते हुये मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल अपना सुझाव जरूर दिया था और माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने उनसे कार्यक्रम के बारे में भी था । मगर सुबह से यह चर्चा है कि उसके बाद कोई फैसला हो गया था या नहीं और श्रीमन्, आपके प्रति तमाम आदर का भाव प्रकट करते हुये भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपने कोई घोषणा ऐसी न की थी मैंने उसी समय निवेदन किया कि कल के लिये कोई घोषणा नहीं है आज के कार्यक्रम के बारे में तो यह तय होना चाहिये कि हम लोग नहीं बैठ रहे हैं और कल का कार्यक्रम कल तय होगा और मैंने यह भी निवेदन किया था कि हम कल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर ऐसी कोशिश करेंगे जिसमें की कोई विवाद ही न हो। तो मैं यह समझता हूं कि कल सदन में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि हम बैठें और इसलिये मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि कल उन्होंने अपनी सम्मत्ति जरूर प्रकट की थी लेकिन क्या उनकी सम्मति को सदन ने मान लिया था ? ऐसी बात नहीं है, और फिर जब बात चली तो उसमें हमने अपनी बात स्पष्ट तरीके से पेश कर दी थी । इसलिये मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो यह अतिरिक्त समय आज इन विधेयकों के लिये लिया जा रहा है यह नहीं लिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री आखिर में मौजूद थे और आपने कुछ कल स्पष्टीकरण चाहा था तो आप भी वाकयात को स्पष्ट कर दें तो अच्छा होगा।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैंने कल यह अर्ज किया था शाम को कि जिस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब यहां तशरीफ रखते थे सदन में तो उपाध्याय जी ने आगे के कार्यक्रम की बाबत दरियाफ्त किया और उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने यह

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

फ़रमाया कि अगर ये दो बिल यानी एक तो राजस्व मंत्री जी का बिल है और एक यह सेल्स टैक्स का जो बाक़ी है, इनको इस असेम्बली के ख़त्म करने के पहले ख़त्म करना ज़रूरी है और तय यह हुआ कि कल को यानी आज यह दोनों बिल ५ बजे से शुरू करके ख़त्म कर लिये जाय और फिर यह असेम्बली ख़त्म हो। उस वक्त ये राजनारायण साहब तो नहीं थे लेकिन उपाध्याय जी थे जिन्होंने यह सवाल उठाया था और उन्होंने इस बात का जिक्र किया। किसी ने उधर से या इधर से इसकी ख़िलाफ़त नहीं की और तमाम हाउस पर यह निर्णय प्रिवेल किया कि वक्त के बारे में यह निर्णय सबको मंजूर है कि कल को ये दो बिल लेकर के उनको खत्म करके यह असेम्बली आइन्दा के लिये उठ जाय। इसमें कोई शक नहीं था और मैं समझता हूं वह हाउस इसको मंजूर कर चुका था। अब उसके ख़िलाफ़ किसी को कुछ कहने का मौक़ा है नहीं और न इसको रीओपिन करने का कोई मौक़ा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी इस सिलसिले में लिया गया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा है कि मैंने उसे स्वीकार किया था। स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से आगे का कार्यक्रम पूछा था और उसके बाद बैठ गया था। न मैं बोला न मैंने हां कहा और न मैंने नहीं कहा। यह काम हमारे माननीय नेता विरोधी दल का है। जब कोई बात ऐसी आती है तो सदन में प्रस्ताव आता है और उस पर विचार होता है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है मैंने सिर्फ माननीय मुख्य मंत्री जी से सवाल पूछा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया और मैं अपनी जगह पर बैठ गया। यह काम माननीय नेता विरोधी दल का है कि वे चाहे समय बढ़ायें, चाहे घटायें। इसलिये मेरी न स्वीकृति थी और न अस्वीकृति थी, मैं अपनी जगह पर सवाल पूछ कर बैठ गया था।

श्री अध्यक्ष—जो बातें कल हुई थीं, उसमें सब सदस्यों को कुछ थोड़ी सी जानकारी कम होने से जो मुझ से कुछ लोगों ने यहां आकर बातें कीं और जो मुझ को याद है उनको भी मैं सुना देना चाहता हूं। जब उपाध्याय जी ने अगले कार्यक्रम के बारे में प्रश्न पूछा था तो उसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि हमारा विचार है कि अगर आज ये बिल ख़त्म हो सकें तो आज ख़त्म कर दिये जायं क्योंकि उनमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर आज न ख़त्म हों तो कल पांच बजे के बाद बैठा जाय। उसके बाद किसी ने एतराज नहीं किया। उससे मैंने यही स्पष्ट समझा कि इस सदन की राय यही है कि या तो बिल आज ख़त्म हो जाय यानी कल के रोज या दूसरे रोज यानी आज के रोज़ ५ बजे के बाद बैठा जाय और इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि उसके बाद आज से छुट्टी मिल जाती है और इससे इस माननीय सदन के सदस्य कभी-कभी खुश होते हैं। इस लिये ऐसा मुझे लगा कि यह बात तय हो चुकी है। सदन में सभी बातें प्रस्ताव के द्वारा होती हैं यह आवश्यक नहीं है। जब सदन एक बात निश्चित कर लेता है कि ऐसा होना चाहिये तो मैं सदन का सेंस यानी उसकी मंशा लेकर उसके अनुसार कार्यवाही कर देता हूं और मैंने उसीके अनुसार यह कार्यवाही इस वक्त की और आज के कार्यक्रम में उक्त विषयों को ५ बजे के बाद के लिये रक्खा।

दूसरी बात मैं और यह याद दिलाना चाहता हूं कि कल जिस वक्त माननीय राजनारायण जी भाषण दे रहे थे तो उस वक्त यहीं एक माननीय सदस्य मेरे पास आये और मुझसे कहने लगे कि हम चाहते हैं कि आज ही सदन का समय बढ़ा दिया जाय और आज ही ये बिल ख़त्म कर दिये जायं, ऐसा उनका सुझाव था। मैंने उनसे यह कहा कि आप यह प्रस्ताव सदन के नेता के सुझाव के विपरीत कर रहे हैं,

क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि अगर ये बिल आज नहीं खत्म होते हैं तो कल सदन पांच बजे के बाद बैठे। इस पर वे मान गये और वापस चले गये और वे फिर प्रस्ताव भी नहीं लाये। उसके बाद जब श्री राजनारायण जी भाषण दे रहे थे तो मैंने कल उनसे पूछा था कि आप आज ही समय बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। उस पर श्री राजनारायण जी ने कहा कि नहीं। उस वक्त माननीय वित्त मंत्री जी ने मुझे टोका था और यह कहा था कि इस विषय में मैं भी राय देना चाहता हूं। मैंने कहा कि आप को राय देने की विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूं। यह बात तो तय है कि कल सदन पांच बजे के बाद तो बैठेगा ही। लेकिन अगर आज बैठना है तो उसके लिये मैं सम्मति चाहता हूं विरोधी दल के नेता की। अगर वे आज ही बैठने के लिये राजी हो जायं तो जो नेता सदन का सुझाव था उस सुझाव से भी थोड़ी सी तरक्की होती है। इसमें कोई बात आपत्ति की नहीं है अगर इतना परिवर्तन युनानिमसली यानी सर्वसम्मति से हो जाय। उसके ऊपर माननीय राजनारायण जी ने कल समय बढ़ाने के विरुद्ध राय दी तब मैंने यह स्पष्ट कहा था कि कल यानी आज पांच बजे के बाद जरूर बैठेंगे लेकिन अगर कोई इसमें परिवर्तन करना है तो विरोधी दल के नेता सदन के नेता से बात चीत करके कुछ परिवर्तन इस निश्चय में करना चाहें, तो कर लें। बाद को उक्त निश्चय में परिवर्तन की बात थी कि पांच बजे के बाद नहीं बैठना है और कल शनिश्चर को बैठना हो तो एक रेजोल्यूशन आना चाहिये था कि उस दिन बैठ लिया जाय। लेकिन जहां पर मैं समझता हूं कि कल 'सेंस आफ़ दि हाउस' यह थी कि आज पांच बजे के बाद बैठा जायगा। वहां कोई आवश्यकता नहीं रहती किसी विशेष स्पष्टीकरण की या यह कि उसी निर्णय के लिये कोई प्रस्ताव आये। कल यह निर्णय सदन का हो चुका है और मैं समझता हूं कि वह मोशन या संकल्प से भी अधिक है क्योंकि मोशन अधिकतर बहुमत से होता है और 'सेंस' सर्वसम्मति से ली जाती है। सेंस या मन्शा सदन की मुझे मालूम हुई और उसी के अनुसार मैंने कार्यक्रम रखा अगर इसके ऊपर जोर ही दिया जाता है कि यह संकल्प के रूप में ही होना चाहिये तो मैं उसकी इजाजत दे दूंगा। ऐसी परिस्थिति में वह मोशन आजाय लेकिन यह उचित नहीं होगा क्योंकि मैं समझता हूं कि एक सभ्य समाज में "जेन्टिलमेंस अन्डरस्टैंडिंग" जो होती है उसकी ज्यादा कीमत होनी चाहिये क्योंकि सदन की प्रतिष्ठा इसी में है कि जो निर्णय हो उसको समझकर ही वह करे और उस पर दृढ़ रहे। अगर किसी के दिल में कोई गलतफ़हमी रह जाती है तो उसके लिये मैं नहीं कहता कि वह स्पष्टीकरण न करा लें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने जो कहा था उसको भी कह दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपने जो कुछ कहा हो लेकिन निर्णय तो मेरा होगा। अगर कोई परिवर्तन करना हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी से विरोधी दल के नेता बात कर लें, उसके लिये मैं तैयार हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, क्या मुझे आप माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करने का समय देंगे।

श्री अध्यक्ष—निवेदन करने के लिये तो मैं थोड़ा बहुत समय दे सकता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने मिलने के लिये तीन बार सद्प्रयत्न किया कि इसके ऊपर उनसे मिलकर कोई मत बनाऊं उनके यहां कोई शर्मा जी हैं उन्होंने कहा फोन पर कि वह इस समय बहुत बिज़ी (व्यस्त) हैं। जब वह खाली हो जायेंगे तब मैं सदन से आपको बुलवा लूंगा। इसके बाद साढ़े चार बजे कांग्रेस पार्टी के मंत्री श्री राजा राम जी ने कहा कि इस समय अगर आप चलें तो

[श्री राजनारायण]

माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर ली जाय । मैंने कहा कि अबतो साढ़े चार बज रहे हैं । उस समय माननीय माल मंत्री जी ने 'तुरन्त' शब्द का प्रस्ताव पढ़ा था उस पर मुझे विरोध करना था इसलिये मैं नहीं जा पाया । उसी वक्त अधिष्ठाता महोदय चले भी गये और श्रीमन्, आप आगये । मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बहुत से ऐसे-ऐसे जनहित कार्य के विधेयक यहां पड़े हुये हैं जैसे कि नागरक्षेत्र जमींदारी उन्मूलन विधेयक है जोकि सेलेक्ट कमेटी से भी आचुका है। म्युनिसिपैलिटी एरिया के अन्दर जो जमींदारी है उसके अबालिशन (समाप्त) के बारे में यह विधेयक है, वह इस समय यहां पड़ा हुआ है सरकार के पास। जिस पर कि सदन में चर्चा हो सकती थी । उस पर हम लोगों की भी सम्मति प्रकट हो चुकी है। अगर जमींदारी समाप्त हो गई होती तो इससे गरीबों को बड़ा फायदा होता। इसके अतिरिक्त सेल्स टैक्स वाला विधेयक कल आपके सामने आया और यह तर्क दिया गया कि इसे जल्द से जल्द पास कर लेना चाहिये क्योंकि इससे प्रतिदिन गवर्नमेंट का १० हजार रुपये का नुकसान हो रहा है । उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी का नोट.....

श्री अध्यक्ष—वह विधेयक तो निकल गया ।

श्री राजनारायण—अब दो विधेयक हैं जिनका संबंध साधारण जनता के जीवन से है । एक तो बिक्री कर का विधेयक है । उसे चाहे बिक्री कर के नाम से कहा जाय चाहे खरीद कर के नाम से कहा जाय मगर साधारण जनता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है । तो ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक पर हमें इतनी जल्दी राय देने के लिये कहा जा रहा है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जरा एक बार हमें मौका दें। इसके साथ ही साथ एक इविक्शन (बेदखली) वाला विधेयक है । इसका भी संबंध श्रीमन्, आम पब्लिक से है। अभी प्रातः काल माननीय गृह मंत्री जी कुछ सवालात का जवाब दे रहे थे तो मैंने इस ओर संकेत किया था कि यह एक बड़ा सवाल लेकर खड़ा हो जायगा । तराई के इलाके में अगर छोटे-छोटे किसानों का इविक्शन (बेदखली) हुआ तो वहां एक बड़ी हलचल पैदा हो जायगी जोकि एक बड़े जनआंदोलन का स्वरूप लेलेगी । इस पर हमें विचार करना चाहिये तो इस पर जरा हम सोचना चाहते हैं । इतनी जानकारी (एक लम्बी लिस्ट दिखाते हुये) अगर हमको हो तब हम इस इविक्शन के बिल पर कुछ बात बोल सकते हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सादर साग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों विधेयकों को कोई ऐसा असर पड़ने वाला नहीं है कि सरकार ही उलट जायगी, इसलिये उन्हें दूसरे सेशन में रखें। मैं इस आशा के साथ बैठना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उदारता और व्यापक दृष्टिकोण से हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, कल जब सेल्स टैक्स का बिल पेश था उस समय भी यह कहा गया था कि यह विधेयक तो आज पास हो जाय बाकी सेल्स टैक्स का बिल प्रवर समिति को भेजा जायगा । उसी के अनुसार आज भी हमारा यही प्रस्ताव है कि वह प्रवर समिति को भेजा जाय । मैं नहीं समझता कि उससे कोई हानि हो सकती है। उसमें किसी कर के बढ़ाने की बात नहीं है । वह तो सिर्फ तफसील और प्रोसीजर की बातों से संबंध रखता है। मगर जो कुछ भी हो, हमें प्रवर समिति में काफी समय मिलेगा उस पर विचार करने के लिये ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—सिद्धांतों पर बहस करने के लिये कब समय मिलेगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—उसमें कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिससे आपको या किसी को भी झगड़ा हो । वह तो सिर्फ तफसील की चीजों से सम्बन्ध रखता है ।

उसमें कोई रेट बढ़ाया या घटाया नहीं गया है और न कोई चीज एग्जेम्पट या जोड़ने की बात है। वर्किंग में जो दिक्कतें हुईं उनको हल करने के लिये यह बिल है। सेलेक्ट कमेटी के बाद आप जिस चीज पर अमेंडमेंट लाना चाहें ला सकते हैं, हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं होगी कि इसके सिद्धांत को आप मंजूर कर चुके हैं और अब आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते। मैं आशा तो करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी से सर्वसम्मति से शायद वह ऐसा निकले कि कोई मतभेद की जरूरत ही न रहे। मगर फिर भी अगर आप को कोई आपत्ति हो तो आप संशोधन ला सकते हैं चाहे सिद्धांत का हो या सिद्धांतही न हो। मैं यह नहीं चाहता कि यहां पर कोई डिस्कशन स्टाइफिल हो या कोई बात संशोधन के जरिये या किसी तरह से जो आ सकती हो वह न हो। मगर जिससे हमारा बिल सबसे अच्छा बन सके वैसी शैली हमें कायम करनी चाहिये। इसके लिये मेरा यही सुझाव है कि आप इसे इस वक्त तो सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये। वहां आप भी होंगे और उसके बाद भी जो संशोधन करना चाहे करें।

जहां तक दूसरा बिल है, यह बिलकुल जरूरी है। बहुत से लोगों ने इस तरह के कब्जे कर लिये हैं जो कि कोई एलाटमेंट नहीं हुआ है। कोई चीज उनका नहीं हुआ मगर उन्होंने दखल कर लिया है। लिहाजा अगर आप मंजूर कर सकें तो इसे कर दें। इसमें केवल ३ संशोधन आये हैं। उन पर वादविवाद हो जायगा और उसके बाद फिर जैसा आप चाहेंगे वह बिल हो जायगा। उसको आप कर दीजिये।

तीसरी बात अरबन एरिया की जो कही गई, उस बिल के बारे में शायद आपको याद न हो वह रिकमिट हुआ है, सेलेक्ट कमेटी को। तो उसके बाद ही सदन उसे ले सकता है। बहुत से लोगों ने यह कहा था कि यह बेकार बिल है। इससे फायदा क्या है। उधर की तरफ के बहुत से लोगों की यही राय थी और यही सुना गया था। इसलिये बेकार चीज यदि जल्दी न आयी तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे खुशी है कि बेकार नहीं है। हम तो इसे लाये हैं इसलिये इसे बेकार क्यों समझा जाय। सिलेक्ट कमेटी से आजायगा तब वह यहां लाया जायगा। इसलिये मुझे राजनारायण जी से यह आशा है कि वह इसको मान लें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी की सफाई से हमारी तबियत बड़ी खुश हुई। सिलेक्ट कमेटी में जो यह सेल्स टैक्स (बिक्री कर) का विधेयक जायगा तो उस पर सिद्धांत के ऊपर भी बहस हो सकेगी। लेकिन रूल्स यह हैं कि जब तक किसी बिल के सिद्धान्तों से हम एग्री (सहमत) न हो जायं तब तक वह बिल सिलेक्ट कमेंटी में नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं और आप भी जैसा कि सदुपदेश देते हैं कि हार्ड ऐन्ड फास्ट रूल्स से काम नहीं चलता है और उससे देश का काम नहीं बनने वाला है बल्कि हमें उदारता के साथ काम करना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सहमत हूं। उन्होंने व्यवस्था दे दी है। अब मैं आप की इजाजत चाहता हूं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में यदि हम कर सकते हैं तो हम उनके शुक्रगुजार हैं, कृतज्ञ हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि हम सिलेक्ट कमेटी में इसके सिद्धांतों को बदल सकते हैं और विपरीत सिद्धांतों की बात कर सकते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—श्री राजनारायण जी, मैंने यह बात कही कि इस बिल में सिद्धांतों की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नियम हैं वह तो हैं ही अपनी जगह पर। उन को आप बदल दीजिये। आप यह कर दें कि सिलेक्ट कमेटी में जाय तब भी सिद्धांतों पर वादविवाद हो सकेगा। हम ही तो नियम बनाने वाले हैं। लेकिन जब तक यह नियम है, है। मैंने कहा कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है कोई सिद्धांत का सवाल नहीं उठता है। हमारी तरफ से आप के किसी संशोधन पर आपत्ति नहीं होगी कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में चला गया था, इसलिये अब यह संशोधन नहीं हो सकता है। आप जैसा चाहें संशोधन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दूसरे बिल के बारे में तो हमें संतुष्ट कर दिया । मुख्य मंत्री जी ने जो दूसरी व्याख्या की उससे हम संतुष्ट हो गये । मगर जो एक आफत हमारे ऊपर लैंड इविक्शन (बेदखली) वाली है, उससे बचाने की और कृपा करें । उसको भी यदि वह सिलेक्ट कमेटी में भेज दें तो हमें कोई एतराज नहीं है । जैसा कि कल राजस्व मंत्री जी ने कहा भी था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने में कोई हर्ज नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं ।

श्रीमन्, हमारे समर्थन में घड़ी भी प्रसन्न हो कर बोल रही है । मैं समझता हूं कि जब कि निर्जीव चीज तक बोलने लगे तो माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर उदारता दिखलायेंगे और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कृपा करेंगे ।

श्री चरण सिंह (माल मंत्री)---श्री अध्यक्ष महोदय, यह उनकी समझ की बात हो सकती है, कि निर्जीव चीज ने उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया या उनका अनुमोदन किया । मैंने कहा था कि मुझे कोई एतराज नहीं है । मैंने कहा था कि अगर सिद्धांत की बात होती तो मुझे कोई एतराज न था क्योंकि नागर क्षेत्र जमींदारी बिल एक बार सिलेक्ट कमेटी से आगया था उसको दुबारा भेजने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं थी । यह एक ऐसा बिल है कि इसके सिद्धांतों को हम स्वीकार कर चुके हैं । इसका बिल्कुल वही प्रोसीडयोर है, मैंने यह भी अर्ज किया था कि अगर यह इस समय तय नहीं हुआ तो दिसम्बर में कहीं इसका नम्बर आयेगा और फिर कहीं मई या जून, १९५४ तक इसके ऐक्ट बनने का नम्बर आयेगा और वे लोग एक वर्ष तक और काबिज रहेंगे, इसलिये मेरा अनुरोध था कि यह आज ही ले लिया जाय ।

प्राक्कलन समिति का पदकाल बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--एक छोटी सी चीज है लेकिन महत्व की है इसलिये मैं बीच में ही श्री राम नरेश जी शुक्ल को उसे 'मूव' करने की इजाजत दे रहा हूं, वह यह है कि सदन की प्राक्कलन समिति का समय ४ सितम्बर को समाप्त हो रहा है और अभी राजस्व मंत्री जी ने यह संकेत किया कि शायद हम नवम्बर तक न बैठें या इस तरफ़ बैठने की कोई संभावना नहीं है । इस बीच में कमेटी ने कुछ कार्य कर लिया है उसे रिपोर्ट देना बाक़ी है । अगर वह खत्म हो जायगी तो उसके कारण कार्य में बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है । क्योंकि इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है, इसलिये इस प्रस्ताव को श्री राम नरेश जी उपस्थित कर रहे हैं । आशा है सब लोग मिल कर इसको स्वीकार करेंगे । राम नरेश जी इसको पेश कर दें ।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १६५ के उपनियम (३) के अनुसार प्राक्कलन समिति का पदकाल एक वर्ष है, और वर्तमान प्राक्कलन समिति का पदकाल ४ सितंबर, १९५३, को समाप्त हो जायगा, किन्तु कार्य की अवस्था को देखते हुये इस समिति का पदकाल और बढ़ाना आवश्यक है । अतः यह सदन नियम १६५ के उपनियम (३) को निलंबित करता है और इस समिति का पदकाल ३१ मार्च, १९५४, तक बढ़ाता है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १६५ के उपनियम (३) के अनुसार प्राक्कलन समिति का पदकाल एक वर्ष है और वर्तमान् प्राक्कलन समिति का पदकाल ४ सितंबर, १९५३ को समाप्त हो जायगा, किन्तु कार्य की अवस्था को देखते हुये इस समिति का पदकाल और बढ़ाना आवश्यक है । अतः यह सदन नियम १६५ के उपनियम (३) को निलंबित करता है और इस समिति का पदकाल ३१ मार्च, १९५४ तक बढ़ाता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रजा सोशलिस्ट दल द्वारा सभा-त्याग

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जब गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं मानती है और अपने निर्णय से जरा भी झुकने को तैयार नहीं है हालांकि आप ने हर एक प्रयत्न किया, उदारता दिखलायी कि हम दोनों, सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष, मिल कर कोई बात तय कर लें। चूंकि अब सरकारी पक्ष हठ कर रहा है इसलिये हम यही उचित समझते हैं कि हमें इस डिस्कशन (वाद-विवाद) से भाग नहीं लेना चाहिये। इसलिये हम यहां से जाना चाहते हैं।

(इसके पश्चात् प्रजा सोशलिस्ट दल के सदस्य सदन के बाहर चले गये)

* उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर— परिभाषा।

(क) "सरकारी भूमि" का तात्पर्य उस भूमि से है जो राज्य सरकार की हो या उसके स्वामित्व में हो। किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित (ऐसी भूमि) नहीं है जो:—

(१) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गांव समाज में निहित हो गई हो; अथवा

(२) समय विशेष पर उक्त अधिनियम के अधीन और उसके अनुसार भूमिधर सीरदार, असामी अथवा अधिवासी के रूप में किसी व्यक्ति के अधिकार या अध्यासन (occupation) में हो; या

(३) जिस पर समय विशेष में कोई इमारत हो (जो निवासगृह, पशुस्थान, गोदाम या अन्य किसी निर्माण से, जिसका अभिदेश यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३ के खंड (८) के उपखंड (१) में है, भिन्न हो, और इमारत से अधिसम्बंधित (appurtenant) भूमि; यू० पी० ऐक्ट, १७, १९३९।

(ख) "पट्टे (lease)" का तात्पर्य ऐसी लीज (lease) से है जिसकी परिभाषा ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा १०५ में की गयी है, और उसके अन्तर्गत कबूलियत (counter part) भी है; ऐक्ट ४, १८८२

(ग) "लगान" का अर्थ वही है जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में "रेंट (rent)" को दिया गया है और इसके अन्तर्गत उपयोग और अध्यासन (use and occupation) के कारण देय धनराशि भी है; यू० पी० ऐक्ट १७, १९३९।

---

*२५ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

(घ) पद "प्रदेशन गृहीता (allottee)" "पट्टेदार (lessee)" अथवा "अनुदान गृहीता (grantee)" के अन्तर्गत उनके स्वत्व के उत्तराधिकारी भी हैं ;

यू० पी० ऐक्ट ३९, १९५२।

(ङ) पद और शब्द "प्रदेशन", "समर्थ अधिकारी", "नियत" तथा "राज्य सरकार" के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गई है किन्तु जिनका प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ में किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त अधिनियम में किये गये हैं ; और

यू०पी० ऐक्ट ३९, १९५२।

(च) उन पदों और शब्दों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गई है और जिनका प्रयोग उत्तर प्रदेश भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ में नहीं किया गया है किन्तु जिनका प्रयोग १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किया गया है वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त अधिनियम में किये गये हैं।

सरकारी भूमि का अनधिकृत अध्यासन।

३—उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इन अधिनियम में अन्यथा की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त किसी व्यक्ति को सरकारी भूमि का अनधिकृत अध्यासी (unauthorised occupation) समझा जायगा।

(क) यदि उसने सरकारी भूमि पर इस प्रकार दखल किया हो जो किसी प्रदेशन पट्टा या अनुदान के अधीन या अनुसार न हो,

स्पष्टीकरण।

केवल इस कारण कि किसी व्यक्ति ने कोई धनराशि लगान के रूप में दे दी है, उसके विषय में यह नहीं समझा जायगा कि उसने प्रदेशन गृहीता (allottee) पट्टेदार (lessee) अथवा अनुदान गृहीता (grantee) के रूप में क़ब्ज़ा किया है।

(ख) और यदि वह प्रदेशन गृहीता (allottee), पट्टेदार या अनुदान गृहीता रहा हो किन्तु प्रदेशन, पट्टा या अनुदान में इस संबंध में दी हुई शर्तों के अनुसार उनकी समाप्ति या निरसन (cancellation) के कारण, उक्त भूमि पर अधिकार या अध्यासन का अधिकारी न रह गया हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४—१२

काश्तकारों की शर्तों के भंग अथवा अनधिकृत अधिवास के कारण सरकारी भूमि से बेदखल करने का अधिकार।

४—(१) यदि समर्थ अधिकारी को संतोष हो जाय कि:—

(क) प्रदेशन गृहीता, पट्टेदार अथवा अनुदान गृहीता के रूप में सरकारी भूमि पर अध्यासन के लिये अधिकृत व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अथवा पश्चात्—

(१) राज्य सरकार की अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना समस्त उक्त भूमि को या उसके किसी भाग को शिकमी उठा दिया है (has sublet), अथवा

(२) किसी व्यक्त या अव्यक्त (express or implied) ऐसी शर्त या प्रतिबन्ध (condition) का पालन नहीं किया है, अथवा उसके उल्लंघन में कार्य किया है, जिसके अधीन उसे उक्त भूमि पर अध्यासन का अधिकार था, अथवा

(ख) कि कोई व्यक्ति सरकारी भूमि में अनधिकृत अध्यासन किये हुये है, तो समर्थ अधिकारी उस रीति से, जो नियत की जाय, नोटिस तामील करके उस व्यक्ति को तथा किसी ऐसे व्यक्ति को जो उक्त सरकारी भूमि पर या उसके किसी भाग में अध्यासीन हो या आदेश दे सकता है कि वह नोटिस तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसे खाली कर दे।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के पालन से इनकार करे अथवा उसका पालन न करे तो समर्थ अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम १९५२, की धारा ७ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार सरकारी भूमि से उसकी बेदखली की आज्ञा दे सकता है और यदि इस आज्ञा का पालन नहीं किया जाय तो सरकारी भूमि से उक्त व्यक्ति को बेदखल कर सकता है और उक्त अधिनियम की धारा ८ से १२ तक के उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत अपील तथा अनधिकृत अध्यासन के लिये क्षतिपूर्ति से सम्बद्ध उपबन्ध भी हैं, इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो कि "सरकारी भूगृहादि" के स्थान पर शब्द "सरकारी भूमि" रख दिये गए थे। यू०पी० ऐक्ट ३९, १९५३।

बकाया लगान की वसूली। यू०पी० ऐक्ट, ३९, १९५२।

५—यदि सरकारी भूमि पर अध्यासन के निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा लगान या बकाया देय हो तो उस बकाया की वसूली के लिये उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ की धारा ४ में कही गई रीति से समर्थ अधिकारी कार्य प्रारम्भ करेगा; और उक्त धारा के तथा उस अधिनियम की धारा ५ और ६ के उपबन्ध इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो कि शब्द "सरकारी भूगृहादि" के स्थान पर शब्द "सरकारी भूमि" रख दिये गए थे।

कुछ अधिकारों के संबंध में अपवाद।

६—इस अधिनियम में कही गई किसी बात से किसी व्यक्ति का ऐसे प्रतिकर पाने का अधिकार नष्ट अथवा बाधित न होगा जिसको उक्त प्रदेशन, पट्टा या अनुदान की शर्तों के अनुसार, प्रदेशन, पट्टा या अनुदान के निरसन या समाप्ति पर पाने का वह अधिकारी हो।

बेदखली के प्रभावशाली होने पर फ़सल इकट्ठा करने का अधिकार।

७—यदि धारा ३ के खंड (ख) अथवा धारा (४) की उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति धारा ४ के अधीन आज्ञा के अनुसार सरकारी भूमि से बेदखल कर दिया जाय तो वह अपनी फ़सल या वृक्षों के फलों को जो उक्त भूमि पर वर्तमान हों, ऐसे समय के भीतर जिसे समर्थ अधिकारी इस संबंध में निश्चित करे, देख-भाल करने, इकट्ठा करने या हटाने के लिये अनुज्ञात (permitted) किया जाय।

इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रवृत्ति। ऐक्ट, ९, १९०८।

८—इंडियन लिमिटेशन, ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ और १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन अपील तथा प्रार्थना-पत्रों (applications) को प्रवृत्त होंगे और उक्त धारा १२ के प्रयोजनों के निमित्त धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन और अनुसार दी गई बेदखली की आज्ञा डिक्री समझी जायगी।

आज्ञाओं के संबंध में अपवाद।

९—उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा की गई हो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग में दी गई आज्ञा के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्य का बचाव।

१०—(१) इस अधिनियम या इसके अधीन दी गई किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये किसी कार्य के या किसी ऐसे कार्य के लिये जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही (Suit, prosecution or other legal proceeding) नहीं की जा सकेगी।

(२) उस परिस्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में स्पष्टरूप से की गई हो, इस अधिनियम के या इसके अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार किसी ऐसे कार्य के कारण जो सद्भावना से किया गया हो या जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, पहुंची हुई या पहुंचने वाली क्षति के लिये राज्य सरकार या समर्थ अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अन्य विधियों की प्रवृत्ति।

११—किसी अन्य विधि में या किसी अन्य विधि के आधार पर सप्रभाव किसी कारण (Instrument) में किसी विपरीत बात को रहते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावशाली होंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

१२—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतया और उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों के या उनमें से किसी के संबंध में व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) नोटिस (notice) का आकार (form) और उसे तामील करने की रीति ;

(ख) सरकारी भूमि पर दखल (possession) लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) धारा ४ के अधीन कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) अनधिकृत अध्यासन (unauthorised occupation) के कारण देय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने की रीति ;

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार अपील प्रस्तुत की जाय और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(च) अन्य कोई विषय जिसे नियत किया जाना हो या जो नियत किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४,५,६,७,८,९,१०,११ और १२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३

बिना अधिकार सरकारी भूमि पर अध्यासीन रहते हुये (occupying) व्यक्तियों की उक्त भूमि से बेदखली तथा उक्त भूमि के संबंध में लगान की बक़ाया की वसूली के निमित्त

शीघ्रतर प्रसर (speedier process) की व्यवस्था के लिये।

विधेयक

बिना अधिकार सरकारी भूमि पर अध्यासीन रहते हुये व्यक्तियों की उक्त भूमि से बेदखली तथा उक्त भूमि के संबंध में लगान की बक़ाया की वसूली के निमित्त शीघ्रतर प्रसर (speedier process) की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) अधिनियम, १९५३ कहलाएगा। संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसके निम्नलिखित सदस्य हों —

यह जो पहला नाम है इसको मैं आप की इजाजत से बदलना चाहता हूं। उसके बजाय श्री हनुमान प्रसाद (सीतापुर) का नाम होगा।

(१) श्री हनुमान प्रसाद
(२) श्री बाबू लाल मीतल
(३) श्री लक्ष्मीशंकर यादव
(४) श्री गंगा सिंह
(५) श्रीमती सईदजहां बेगम मख़फ़ी
(६) श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री
(७) श्री राम कुमार शास्त्री
(८) श्री रामजी सहाय
(९) श्री जैपाल सिंह
(१०) श्री रामस्वरूप
(११) श्री खूब सिंह
(१२) श्री नेकराम शर्मा
(१३) श्री कालीचरण टंडन
(१४) श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा
(१५) श्री पुलिन बिहारी बनर्जी
(१६) श्री परिपूर्णानन्द वर्मा
(१७) श्री अवधेश प्रताप सिंह
(१८) श्री गेंदा सिंह
(१९) श्री रामनारायण त्रिपाठी
(२०) श्री बैजनाथ सिंह

ये नाम हैं। अभी ऐवान ने सुना था कि इस बिल के जरिये न तो कोई नया कर लग रहा है या जितना कर इस वक्त लगा हुआ है जिन चीजों के ऊपर उनमें कोई नई चीज के ऊपर

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

कोई कर ही बढ़ाया गया है। न कोई शरह ही जो कि इस वक्त तक है वह बढ़ाया गया है। उसमें कोई फ़र्क़ नहीं हुआ है। बल्कि सन् १९४८ ई० में जब यह कानून पास हुआ था उस वक्त से लकर इसके जरिये जो इन्तजाम हुआ है उसके बीच में तजुर्बा हुआ कि फलां दफ़ा जो है उसमें इस लफ्ज के बजाय यह लफ्ज लिखने से अच्छा मतलब निकलेगा या फलां दिक्क़त जो पैदा हुई है वह नहीं होगी या इन दफाओं के ऊपर जो कुछ अदालतों के फैसले हुए हैं उन फैसलों की वजह से उन अल्फाज में जरूरी तरमीम करना है। इसमें इस क़िस्म का कोई नया प्रोविजन नहीं है। और किसी किस्म का कोई और प्राविजन इसमें नहीं है बजाय इसके कुछ चीजों को बदल कर इबारत दूसरे तरीके से रखी है, कहीं थोड़ा सा संशोधन किया है, कहीं निकाला है, कहीं ओमिशन्स है और इसके अलावा और कोई नहीं है। शायद इस वक्त हाउस ज्यादा बैठना पसंद न करे वर्ना मैं बतलाता कि क्या खास बातें हैं। वैसे तो १९ हैं और मैंने भी सात-आठ मिसालें छांट रखी थीं और मैं हाउस को बतलाता कि इस किस्म की तरमीमें हैं लेकिन उसको मैं इस वक्त रखना जरूरी नहीं समझता कि उसको अर्ज करूं। बहरहाल यह बिल प्रवर समिति के पास जा रहा है वहां पर गौर करके, समझ करके यहां आयेगा और इस ऐवान में आकर के काफी बहस होगी। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि यह मोशन जो इस वक्त है उसको ऐवान पास करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसके निम्नलिखित सदस्य हों —

(१) श्री हनुमान प्रसाद
(२) श्री बाबूलाल मीत्तल
(३) श्री लक्ष्मीशंकर यादव
(४) श्री गंगा सिंह
(५) श्रीमती सईद जहां बेगम मखफी
(६) श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी
(७) श्री राम कुमार शास्त्री
(८) श्री रामजी सहाय
(९) श्री जैपाल सिंह
(१०) श्री रामस्वरूप
(११) श्री खूब सिंह
(१२) श्री नेकराम शर्मा
(१३) श्री काली चरण टंडन
(१४) श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा
(१५) श्री पुलिनबिहारी बनर्जी
(१६) श्री परिपूर्णानन्द वर्मा
(१७) श्री अवधेश प्रताप सिंह
(१८) श्री गेंदा सिंह
(१९) श्री रामनारायण त्रिपाठी
(२०) श्री बैजनाथ सिंह

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्रवर समिति के अध्यक्ष माननीय वित्त मंत्री होंगे।

आजमगढ़ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य मंत्री आदि को दिये गये स्मृति-पत्रों की जांच के संबंध में श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा ७ अगस्त, १९५३ को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब आजमगढ़, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा राज्य के मुख्य मंत्री, गृह मंत्री एवं माल मंत्री को दिये गये स्मृति-पत्रों की जांच के संबंध में श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा ७ अगस्त, १९५३, को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ४२ के अन्तर्गत विवाद आरम्भ होगा।

(श्री रामसुन्दर पांडेय उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे, इसलिये उपर्युक्त विषय पर विवाद नहीं हुआ।)

सदन की अगली बैठक के संबंध में पूछ-ताछ

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या कोई समय सदन के पुनः बैठने के लिये निश्चित किया है ?

मुख्यमंत्री (श्री गोबिन्द वल्लभ पन्त)—हमारा कोई समय निश्चित तो नहीं है मगर मैं समझता हूं कि कम से कम सितम्बर तक तो कोई सदन की बैठक होनी नहीं है और उसका जो कार्यक्रम होगा वह बाद में मालूम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—तो हम अब अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४८ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२८ अगस्त, १९५३।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर।)

तालिका

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	१९५२-५३ आवर्तक अनुदान		१९५२-५३ अनावर्तक अनुदान	
		अनुपालन	महंगाई	विशेष वृद्धि	भवन सज्जा
१	पी० वी० ऐंड ए० एस० हायर सेकेंड्री स्कूल, प्रतापगढ़	११,२२०	७२०	२,१६०	रु० १५०
२	के० पी० हिन्दू हायर सेकेंड्री स्कूल, प्रतापगढ़	९,५०४	४८०	३८४	..
३	हनुमत हायर सेकेंड्री स्कूल, काला-कांकर, प्रतापगढ़	६,६६०	५४०	४३२	१००
४	वी० डी० दुबे हायर सेकेंड्री स्कूल, प्रतापगढ़	६,२०४	७५०	१२०	१५०
५	हायर सेकेंड्री स्कूल, कोहडौर, प्रतापगढ़]	..	...	...	९००
६	हायर सेकेंड्री स्कूल, ढिगंवस, प्रतापगढ़ ...	...	...	...	९००
७	हायर सेकेंड्री स्कूल, पट्टी, प्रतापगढ़	..	..	..	९००
८	डी० ए० वी० हायर सेकेंड्री स्कूल, प्रतापगढ़		..	..	१००
९	हायर सेकेंड्री स्कूल, कुण्डा-प्रतापगढ़	..	..	..	८५०
१०	हायर सेकेंड्री स्कूल, रामगंज, प्रतापगढ़	५०*	..	..	५०
११	गांधी जनता हायर सेकेंड्री स्कूल, सांगीपूर, प्रतापगढ़	५०*	..	..	५०
१२	हायर सेकेन्डरी स्कूल, गरवार, प्रतापगढ़		..	..	८५०
१३	हायर सेकेंड्री स्कूल, रानीगंज, प्रतापगढ़	..	..	..	८००
१४	हायर सेकेंड्री स्कूल, साहबगंज, प्रतापगढ़	५०*	..	..	..
					५,८००

*प्रारंभिक अनुदान

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ व १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर)

१-१२-४९ को रामपुर के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या मय श्रेणी के	संख्या जिनका स्थायीकरण अब तक किया गया	संख्या जिनका स्थायीकरण शेष है	रिमार्क
रजा डिग्री कालेज, रामपुर–			
१ कर्मचारी ७५० रु० मासिक निर्धारित वेतन का।	..	..	रामपुर राज्य में इस कर्मचारी की नियुक्ति ५ वर्ष के कन्ट्रैक्ट पर की गई गई थी। कन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होने पर सेवा से मुक्त कर दिया गया।
१० ,, २५०–१५–४००–२०–५००–वेतन-क्रम के	७	३	..
३ ,, २००–१०–४००	१	२	..
१ ,, ७०–३–१००–४–१२०	१	..	..
१ ,, ३८–१॥–६०	–	१	..
१ ,, १००–१०–१५०	–	१	..
३ ,, ३२–१–४४–२–५४	३	..	..
१० ,, २४–॥–३०–१–३२ रु० २० निर्धारित वेतन रु० १८ निर्धारित वेतन	१०	..	..
ओरियन्टल कालेज, रामपुर–			
१ कर्मचारी ३००–१०–४००	..	१	..
३ ,, १५०–१०–२१०–१५–२५०	...	३	..
३ ,, ७५–५–१००–५–१५०	..	३	..
७ ,, ९०–५–१५०	..	७	..
६ ,, ७५–५–११०–६–१४०			
,, ७–१७५	..	६	..
३ ,, ५०–४–७०–५–१००	..	३	..
१ ,, ४५–२–५५–३–८५	..	१	..
५ ,, ४०–३–७०	..	५	..
२ ,, ३८–१॥–६०	..	२	..
६ ,, ३०–१–४०	..	६	..
१ ,, २५–१–३०	..	१	..
१ ,, ७०–३–१००–४–१२०	..	१	..

अध्यक्ष सभा

१-१२-४९ को रामपुर के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या मय श्रेणी के	संख्या जिनका स्थायीकरण अब तक किया गया	संख्या जिनका स्थायीकरण शेष है	रिमार्क
ओरियन्टल कालेज, रामपुर—(क्रमागत)			
१ कर्मचारी ३८-१॥-६०	..	१	..
३ ,, २४-१/२-३०-१-३२	..	३	..
१ ,, २० रु०	..	१	..
१ ,, २ रु०	..	१	..
१ ,, ३ रु०	..	१	..
१ ,, ४ रु०	..	१	..
हायर सेकेंड्री स्कूल, रामपुर (लड़कों का)—			
१ कर्मचारी ५०० रु० निर्धारित वेतन का			रामपुर राज्य में कर्मचारी की नियुक्ति ३ वर्ष के कन्ट्रैक्ट पर की गई थी। कन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होने पर सेवा से अलग कर दिया गया।
२ ,, १७५-१०-२५०-१०-३००	..	२	.
१३ ,, १६०-१०-२१०-१५-२५०	१०	३	..
२९ ,, १२५-६-१७३-८-२००	२७	२	..
८ ,, ८३-४-११५-५-१३३	१	३	४ कर्मचारियों ने त्याग-पत्र देदिया।
३० ,, ७५-५-११०-६-१४०-७-१७५	१४	१५	१ कर्मचारी रिटायर हो गया।
१ ,, ५०-३-८०-५-१२०	१	..	..
२ ,, ३८-२-५०-३-६५	१	१	..
१ ,, १००-४-११५-५-१३३	..	१	..
१ ,, ७०-३-१००-४-१२०	..	१	..
२ ,, ४८-२-६६-३-८५	१	१	..
३ ,, ३८-१॥-६०	..	३	..
४८ ,, निम्नकोटि के कर्मचारी	४८	..	..
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर (लड़कियों का)—			
१ कर्मचारी ३००-१५-४००	१	..	..
६ ,, १३०-१०-२००	६	..	..
६ ,, ८५-५-११०-६-१४०-७-१७५	६	..	..

१-१२-४१ को रामपुर के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या मय श्रेणी के	संख्या जिनका स्थायीकरण अब तक किया गया	संख्या जिनका स्थायीकरण शेष है	रिमार्क
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर—			
२ „ ५५-३-७०-५-११५	२	..	..
१ „ ३०-१-४०	१	..	..
१ „ ५०-२-७०-३-८५	१	..	..
१ „ ७०-३-१००-४-१२०	..	..	रिटायर हो गये
१ „ ३८-१॥-६०	..	१	..
३० „ निम्नकोटि के	३०	..	..
कर्मचारी जूनियर हाई स्कूल, रामपुर—			
२ कर्मचारी १७५-१०-२५०-१०-३००	२	..	..
८ „ १२५-६-१७५-८-२००	८	..	..
२१ „ ७५-५-११०-६-१४०-७-१७५	९	७	३ कर्मचारी पाकिस्तान चले गये। १ कर्मचारी रिटायर हो गया। १ कर्मचारी ने त्यागपत्र दे दिया।
४ „ ५०-३-८०-५-१२०	४	..	
४ „ ८३-४-११५-५-१३३	..	„	२ कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया
३ „ ४८-२-६६-३-८५	२ १	..	२ कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया।
१ „ ४५-२-५५-३-८५	१	..	..
२ „ ४८-२॥-६०-३-८५	..	२	..
२३ „ निम्न कोटि के	२३	..	..
जूनियर हाई स्कूल—			
६ कर्मचारी ७५-५-११०-६-१४०-७-१७५	..	६	
१ „ १२५-६-१७३-८-२००	..	१	
३ „ ५०-३-८०-५-१२०	..	३	
४३ „ ४५-२—५५-३-८५	..	४३	
३ „ ३८-१॥-६०	..	३	
५३ „ निम्नकोटि के	..	५३	
प्राइमरी स्कूल्स, रामपुर (बालकों के)—			
८५ कर्मचारी ४५-२-५५-३-८५	..	८५	
२४० „ ३८-१॥-६०	..	२४०	
८९ „ ३०-१-४०	..	८९	
६ „ ५०-३-८०-५-१२०	..	६	
५६ „ निम्नकोटि के	५६	..	

११-२-४९ को रामपुर के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या मय श्रेणी के	संख्या जिनका स्थायीकरण अब तक किया गया	संख्या जिनका स्थायीकरण शेष है	रिमार्क
प्राइमरी स्कूल (बालिकाओं का)—			
१ कर्मचारी ७५–१७५	..	१	
६ „ ५०–२–८०	..	६	
११ „ ३०–१–४०	..	११	
९ „ ३८–१॥–६०	..	९	
१ „ ३८–१॥–६०	..	१	
१६ „ निम्नकोटि के कर्मचारी	..	१६	
नार्मल स्कूल, रामपुर—			
१ कर्मचारी १७५–१०–२५०–१०–३००	..	१	
३ „ १२५–६–१७३–८–२००	२	१	पाकिस्तान चले गये
५ „ ७५–५–११०–६–१४०–७–१७५	..	५	
१ „ ३८–१॥–६०	..	१	
३ „ निम्नकोटि के कर्मचारी	३	..	
मान्टसरी स्कूल, रामपुर—			
१ कर्मचारी १७५–१०–२५०–१०–३००	१	..	
१ „ ८३–१३३	..	१	
३ „ ७५–१७५	१	२	
२ „ ५५–११५	..	२	
१ „ ५०–८५	१	..	
१ „ ४०–६५	..	१	
१ „ ३८–१॥–६०	..	१	
८ „ निम्नकोटि क कर्मचारी	८	..	
कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर—			
१ कर्मचारी २५०–१०–३१०–१५–४००	१	..	
७ „ ४०–२–५०–३–६५	७	..	
२ „ ३२–२—४४–२–५५	२	..	
१ „ २४–१/२–३०–१–३२	१	..	
पीपुल कालेज, रामपुर—			
२ कर्मचारी ५० रु० निर्धारित वेतन के	..	२	
२ „ २५ रु० निर्धारित वेतन पर	..	२	
४ „ निम्नकोटि के कर्मचारी	१	३	
जिला विद्यालय निरीक्षक रामपुर का			
१ कर्मचारी ३००–२०–६५०	..	..	सेवा से त्यागपत्र दे दिया।
१ „ ११०–५–१६०	..	..	पाकिस्तान चले गये

१-१२-४९ को रामपुर के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या मय श्रेणी के	संख्या जिनका स्थायीकरण अब तक किया गया	संख्या जिनका स्थायीकरण शेष है	रिमार्क
जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर—			
१ कर्मचारी ७०-१२०	१	..	
१ ,, ६०-३-९०	१	..	
१ ,, ४८-२-६०-३-८५	..	१	
३ ,, ३८-१॥-६०	..	३	
डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स—			
१ कर्मचारी २५०-१०-३००-१०-३५०	..	..	पाकिस्तान चले गये।
२ ,, १२५-६-१७३-८-२००	२	..	
१ ,, ७५-१७५	१	..	
१ ,, ६०-३-१००-४-१२०	..	१	
१ ,, ४८-२-६६-३-८५	..	१	
५ ,, ३८-१॥-६०	..	५	
७ ,, २४-१/२-३०-१-३२	..	७	
बालिका विद्यालय निरीक्षिका—			
१ कर्मचारी २००-१०-३००-१०-३५०	..	१	
१ ,, ४८-२-६६-३-८५	..	१	
१ ,, २४-१/२-३०-१-३२	१	..	
रजा नाइट स्कूल—			
१ कर्मचारी २५ रु० मासिक भत्ते पर	..	१	
५ ,, २० रु० मासिक वेतन पर	..	५	
१ ,, ५ रु० मासिक वेतन पर	..	१	
बच्चों का पुस्तकालय—			
१ कर्मचारी ३० रु० मासिक वेतन पर	..	१	
७ ,, निम्नकोटि के कर्मचारी	१	६	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५९ पर)

लिस्ट 'क'

थाना बछरावां, जिला रायबरेली में १ जनवरी, १९५२ से ११ अगस्त, १९५३ तक हुए जुर्मों की सूची।

क्रम-संख्या	भारतीय दंड विधान की धारायें	नाम जुर्म	संख्या
१	३२४–३२५–३२६	विभिन्न प्रकार की चोटें	१५
२	४५२–३२६	तेज धार वाले हथियार से गहरी चोट करने की तैयारी के पश्चात् गृहातिक्रमण	४
३	१४७–३२३–३२५	मारपीट और दंगा	६
४	१४७–४५२	चोट करने की तैयारी के पश्चात् दंगा और गृहातिक्रमण	१
५	१४७–३०४	दंडनीय नर हत्या जो नर हत्या न समझी जाय और दंगा	३
६	३०२	हत्या	१
७	३०४	दंडनीय नर हत्या जो नर हत्या न समझी जाय	४
८	३०९	आत्म हत्या का प्रयत्न	१
९	३०७	हत्या का प्रयत्न	१
१०	३९५–३९७	डकैती	५
११	३९६	हत्या के साथ डकैती	१
१२	४५८	चोट करने की तैयारी के पश्चात् रात्रि में गृहातिक्रमण	२
१३	४५७	चौर्य गृहातिक्रमण	८७
१४	४५४	दिन में चोरी	२२
१५	३८०	निवासस्थान में चोरी	३०
१६	३८१	नौकर द्वारा चोरी	१
१७	३७९	साधारण चोरी	२०
१८	३७९	जानवरों की चोरी	३
१९	४३०	सिंचाई के साधनों को हानि पहुंचाना	१
२०	४११	चुरायी हुई सम्पत्ति को ग्रहण करना	१
२१	४३५–४३६	अग्नि द्वारा अपकृत्य	३
२२	४०९	सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात	१
२३	४२०	ठगी	१
२४	३५३	सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना	२

क्रम-संख्या	भारतीय दंड विधान की धारायें	नाम जुर्म	संख्या
२५	३५४–४५१	बलात्कार करने के अभिप्राय से चोट पहुंचाना	१
२६	४४७	आपराधिक अतिक्रमण	१
२७	३७४	बेगार लेना	२
२८	३७७	अप्राकृतिक अपराध	१
२९	२७९–३३७	तेजी व असावधानी से गाड़ी चलाकर चोट पहुंचाना	२
३०	३१८	नाजायज पैदाइश को छुपाना	१
	भारतीय दंड विधि संग्रह की धारायें		
३१	१०९	सद्व्यवहार के लिये जमानत	४७
३२	११०		१९
३३	क्रिमिनल ट्राइब्ज ऐक्ट की धारा २२		१४
३४	क्रिमिनल ट्राइब्ज ऐक्ट की धारा २४		१
३५	आर्म्स ऐक्ट की धारा १९		१२
३६	एक्साईज ऐक्ट की धारा ६०/६३		४१
३७	ओपियम ऐक्ट की धारा ९		१
		योग ..	३५९

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५९ पर)

लिस्ट 'ख'

थाना बछरावां, जिला रायबरेली में गत वर्ष में (३-८-५२ से १०-८-५३ तक) हुए क़त्ल और डकैतियों का विवरण

१—३ अगस्त, १९५२ को निवान गांव में दो स्त्रियों की हत्या हुई। मामला भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत दर्ज किया गया। जांच में पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

२—कुन्दौली ग्राम में २८-२९ अगस्त, १९५२ को श्री ठाकुरदीन के घर पर डकैती हुई। मामला भारतीय दंड विधान की धारा ३९५-३९७ के अन्तर्गत दर्ज किया गया। जांच के पश्चात् ७ व्यक्तियों का चालान किया गया। मामला अब अदालत में है।

३—ग्राम खण्ड खेड़ा में ७-८ फरवरी, १९५३ को श्री गज्जूदास चमार के यहां डकैती हुई। एक रिपोर्ट भारतीय दंड विधान की धारा ३९५ में दर्ज की गई। जांच के बाद ३ व्यक्तियों का चालान किया गया। अब मामला अदालत में है।

४—७-८ मई, १९५३ को जुहा शरकी में हुई डकैती की रिपोर्ट भारतीय दंड विधान की धारा ३९५/३९७ के अन्तर्गत दर्ज की गयी। जांच के पश्चात् रिपोर्ट गलत सिद्ध हुई। इस जुर्म को लिस्ट से हटा देने के लिये रिपोर्ट भेज दी गयी है और रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति रामेश्वर के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा १८२ के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है।

५—ग्राम तालेबन्द खेड़ा में जुलाई १८-१९, १९५३ को श्री राजाराम के घर पर डकैती हुई। एक रिपोर्ट भारतीय दंड विधान की धारा ३९५/३९७ के अधीन दर्ज की गई। मामले की जांच हो रही है। १७ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर)

तालिका

क्रम-संख्या	जिला अल्मोड़ा की संस्था के नाम	अनुपालन अनुदान १९५२-५३	पुस्तकालय अनुदान १९५२-५३	भवन अनुदान १९५२-५३
		रु०	रु०	रु०
१	श्री बागनाथ विद्यालय, पोस्ट आफिस टकुला	१,९६८	..	..
२	श्री वराही संस्कृत पाठशाला, देवीदोहरा	७९२	५०	१,०००
३	श्री सनातनधर्म संस्कृत पाठशाला प्रेम-विद्यालय, कृष्णपुर, कनला, द्वाराहाटा	८५२	५०	..
४	श्री कूरमाची ऐंग्लो संस्कृत पाठशाला, चम्पावत	९६०	३०	..
५	श्री बद्रीश विद्यापीठ भारद्वाज आश्रम, बैजनाथ	१,२४८	..	..
६	श्री संस्कृत विद्यालय कामोदी देवी पोस्ट आफिस, सनिउड्डार	१,१४०	३०	..
*७	श्री बद्रीविशाल, संस्कृत विद्यालय, चांसर	..	..	..

* इस वर्ष ५० रु० का प्रारम्भिक अनुदान तथा ७०० रु० का अतिरिक्त अनुदान भी दिया गया है तथा ५० रु० का पुस्तकालय अनुदान भी दिया गया।

पो० एस० यू० पी० ए० पी०--३६ ए० ए०-- १९५३--८५०